₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अगस्त 2023

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

महुआ राय चौधरी का आतंक

(पढ़िए अगले अंक में)

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PT.-35

जीविका के अधिकारी हुए बागी

"1960 से आपकी सेवा में"

पाटलिपुत्र सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि0

मुख्य कार्यालय :- मदनधारी भवन,
एस.पी. वर्मा रोड, पटना-800 001, फोन :-0612-2332933
E-mail :- dccbpatliputra@gmail.com, Website :- www.dccbpatliputra.com

पाटलिपुत्र सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि० सभी ग्राहकों के लिए लेकर आया है कई सुविधाएँ :-

- अब धन बाहर भेजना हुआ आसान, RTGS/NEFT से है यह लाभ।
- सूक्ष्म बीमा सुविधा अपनाएँ, जीवन को सुरक्षित बनाएँ।
- वित्तीय समावेशन की आवाज, बैंक से जुड़े हमारा समाज।
- किसान क्रेडिट कार्ड की आवाज, खुशहाल हो हमारा कृषक समाज।
- हर किसान के पास हो रूपे किसान कार्ड, जिससे हो फसल ऋण लेना और आसान।
- वित्तीय साक्षरता केन्द्र-हमारा परामर्श आपकी प्रगति।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
- मोबाइल वैन से बैंकिंग सुविधाएँ।
- सभी प्रकार के ऋण की सुविधाएँ।
- बैंक के तीन शाखाओं (बाँकीपुर, मसौढ़ी, बाढ़) में Locker की सुविधा।
- ई-स्टैम्पिंग की सुविधाएँ।
- ई-कोर्ट फी कलेक्शन की सुविधाएँ।
- आधार कार्ड आधारित भुगतान के प्रणाली से जुड़े, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ।

सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

मेथोडिस्ट हॉस्पीटल

प्रताप सागर,
बक्सर-802101 (बिहार)

-: सुविधाएँ :-
सभी सुविधाओं से लैश।
मुफ्त रेलवे पास।
गरीब रोगियों को विशेष छूट।

डॉ0 आर.के. सिंह

दीपक मेहता अमर रहें !

स्वच्छ दानापुर
सुन्दर दानापुर

दीपक मेहता अमर रहें !

आप सभी नगरवासियों को
स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बन्धन एवं
विश्वकर्मा पूजा की
हार्दिक शुभकामनाएं !

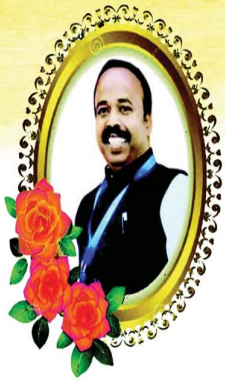

शहीद दीपक कुमार मेहता
पूर्व उपाध्यक्ष
नगर परिषद् दानापुर

शिल्पी कुमारी अध्यक्ष नगर परिषद्, दानापुर

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

काजोल
05 अगस्त 1974

वेंकटेस प्रसाद
05 अगस्त 1969

कपिल सिब्बल
08 अगस्त 1948

महेश बाबू
09 अगस्त 1975

सुनील शेट्टी
11 अगस्त 1961

सीताराम येचुरी
12 अगस्त 1952

स्व०श्रीदेवी कपूर
13 अगस्त 1963

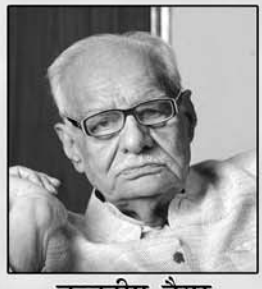

कुलदीप नैयर
14 अगस्त 1923

सुनीधी चौहान
14 अगस्त 1983

अदनान सामी
15 अगस्त 1973

अरविन्द केजरीवाल
16 अगस्त 1968

सैफ अली खान
16 अगस्त 1970

दलेर मेंहदी
18 अगस्त 1967

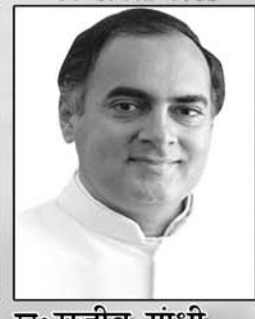

स्व० राजीव गांधी
20 अगस्त 1944

रणदीप हुड्डा
20 अगस्त 1976

चिरंजिवी
22 अगस्त 1955

मधुर भंडारकर
26 अगस्त 1966

मेनका गांधी
26 अगस्त 1956

दिलीप सिंह खली
27 अगस्त 1972

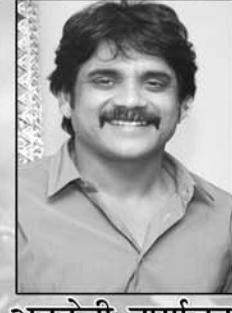

अक्केनी नार्गाजुन
29 अगस्त 1959

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Riya Plaza, Flat No.-303, Kokar Chowk, Ranchi-834001 (Jharkhand)
Mob.- 09955077308,
E-mail:-
editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

राजनीति एवं आजादी का महोत्सव

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

''गाड़ी वाला आया है, घर से कचड़ा निकाल'' की आवाज सुनते हीं लोग अपने घर का कूड़ा-कचरा को उस गाड़ी में डालकर स्वच्छ भारत बनाकर स्वस्थ भारत बनाने में एक कड़ी जोड़ रहे हैं। सरकार की स्वच्छ भारत अभियान से देश की जनता भी जुड़ी है जिसकी वजह से सड़कों पर गंदगी का महाजाल कम होता जा रहा है। जिस प्रकार की इस योजना को देशवासियों ने हाथों-हाथ लिया अन्य योजनाएं राजनीति की शिकार हो चुकी है। 15 अगस्त 2023 आजादी का भी महोत्सव है और 2024 के लोकसभा चुनाव मोदी फिर से सरकार बनाने का महोत्सव मना रहे हैं तो इंडिया (महागठबंधन) के लोग 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे का महोत्सव मना रहे हैं। देश धर्म और जाति की राजनीति के दलदल में धंसती जा रही है और राजनेताओं को अपनी सरकार बनाने की चिंता तो है लेकिन आमजनता घरों में नियमित चूल्हा कैसे जले इससे दूर-दूर तक वास्ता नहीं दिखता। जिसके दम पर महोत्सव पार्टियां मना रही है उनके बच्चों को कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्था होगा? कैसे गरीब के बच्चे भी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करेगा? बेटियों की आबरू कैसे बचेगी? समय पर न्याय मिलेगा? सुरक्षा की गारंटी कैसे सुनिश्चित होगी? के उपाय के बजाय कोई राम का धुन बजा रहा है तो कोई रहीम की बासुरी बजा रहा है। आजादी के जश्न में राजनेता राजनीति का महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञात है कि जनता को तो 2पीस जलेबी पर संतुष्ट होना है।

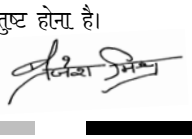

15 अगस्त 2023 को आजादी का महोत्सव भारत का हर एक नागरिक बड़े हर्षो-उल्लास से मना रहा है लेकिन आवाम के भीतर 77वें स्वतंत्रता के बाद भी भय का वातावरण कायम है क्योकि आजादी के महोत्सव को राजनेताओं ने राजनीति का महोत्सव (चुनाव) बना दिया जहां से देश के प्रधानमंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सत्ता पर काबिज होने के लिए देश के असली मालिक जनता से स्वांग रच रही है। बेटियों के साथ गैंगरेप एवं जघन्य हत्या पर लगाम क्यों नहीं? बेरोजगारी से मुक्ति कब तक मिलेगी? जीएसटी एवं आयकर टैक्स के बाद भी बेहतर स्वास्थ्य एवं समुचित शिक्षा निशुल्क क्यों नहीं? मंदिर पर टैक्स तो मदरसा एवं गिरजाघर पर मेहरबानी क्यों? हिरण की हत्या अगर क्रूर अपराध तो गाय की हत्या पर राजनीति क्यों? अगर 15 साल का रोड टैक्स तो फिर टोल टैक्स क्यों? एक देश एक कानून तो फिर एससी/एसटी एक्ट क्यों? एक तरफ जातिगत जनगणना तो फिर अंर्तजातिय विवाह पर प्रोत्साहन क्यों? सांसद और विधायक को पेंशन तो सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बंद क्यों? आजादी का अमृतकाल कहने से भूखे का पेट नहीं भर सकता। केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित होने वाली जनहित योजनाओं को भ्रष्टाचारियों के चंगुल से कैसे बचाया जाये और आवाम को उसका सीधा लाभ मिले उसपर संयुक्त विचार केन्द्र एवं राज्य की सरकारों को करना होगा अन्यथा राजनीति का महोत्सव तो होता रहेगा लेकिन आजादी के महोत्सव के लाभ से देश की जनता वंचित रह जायेगी। एक तरफ आजादी का महोत्सव चल रहा है तो दूसरी तरफ 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए गठजोड़ बनाया जा रहा है और भारत को सत्ता के लिए इंडिया में तब्दील हो गया लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री के रेस में मोदी के विरोध में 10 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं जो भले ही जनता के बीच खुद को उम्मीदवार नहीं बता रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव, अरबिन्द केजरीवाल हों या ममता बनर्जी या फिर राहुल गाँधी दूसरी तरफ प्रचंड शक्ति के साथ 2024 में नरेन्द्र मोदी खड़े हैं। राजनीति का महोत्सव मनाने वाले राजनीति के दिग्गजों ने सत्ता प्राप्ति के लिए जनता के बीच में मुफ्त में सुविधा पहुंचाने का वादा करके सरकार में चले आते हैं और उसके बाद उस राज्य की आर्थिक हालत जर्जर होती जा रही है तथा सत्ता पक्ष अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए विरोध ी पार्टियों को गंदे बयान देकर उनका हौसला पस्त कर देती है। आजकल विपक्षी दलों के नेता सरकार की जांच एजेसियों पर भी उंगली उठाते हैं तथा एजेंसी को तोता-मैना तक कहा जाता है जबकि यही जांच एजेंसी पदाधिकारी एवं व्यवसायी पर कार्रवाई करते हैं तो उस वक्त विपक्ष एक शब्द नहीं बोलता लेकिन जैसे ही किसी दल के नेता पर जांच बैठा तो वह जांच एजेंसी सरकार के ईशारे पर काम कर रही है का बयानबाजी शुरू हो जाता है। आजादी का महोत्सव में भले ही आमजनता के हाथ दो पीस जलेबी मिल जाये लेकिन राजनेता खाने के दाने-दाने के लिए दर-दर की ठोकरे खाते थे वह सांसद, विधायक, पार्षद, मुख्या एवं अन्य जनप्रतिनिधि बनते ही करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, वैसे में इनको चुनने वाला जलेबी पर ही संतुष्ट हो जाता है पर नेता जी करोड़ों से हजार करोड़ तक का मालिक बन जाता है और उनका पूरा परिवार राजनीतिक महोत्सव के सरोवर में डूबकी लगाते हैं और जनता सरकारी योजनाओं की मोहताज रहती है। राजनीति एवं आजादी का महोत्सव के मायने बदलते जा रहे हैं क्योकि देश का असली मालिक जो 05 साल के संविदा पर जनप्रतिनिधियों को चुनती है ताकि वह अपनी बेहतरीन सेवा से देश एवं आवाम को तमाम प्रकार के जनबुनियादी समस्याओं से मुक्ति दिलायें एवं जनसुविधा से लाभ पहुंचाये ताकि उनका वोट का प्रतिशत बरकरार रहे लेकिन दूसरी ओर राजेनताओं ने जातिवाद एवं धर्म की कूटनीति करके जनता का ही दोहन करना शुरू कर देती है। भारत के किसी भी कोने की बात करें स्थिति कश्मीर से कन्याकुवारी तक जनता को दो भागों में बांटने का प्रयास निरंतर जारी है और सभी राजनीतिक दल वोट के लिए अपना जमीर बेचने में थोड़ा भी संकोच नहीं करती और यही कारण है कि कोई भी दल स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी अन्य गठबंधन में शामिल होकर जनता के वोट का गला घोंटकर राजनीति शुरू कर देते हैं और स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो पुन: पुराने गठबंधन में मुंह लटकाये चले आते हैं। देश की जनता भी बुनियादी समस्याओं के समाधान करने वाले नेताओं को चुनाव में नहीं चुनेगी और कारोबारी या अपराधी को जाति एवं धर्म के स्वार्थ में चुनने पर वही नेता राजनीतिक महोत्सव मनाने लगेगा और वोटर आजादी का महोत्सव को देखकर संतुष्ट हो जाती है। जनता को 2024 के चुनाव में किसको चुनना है यह सोचकर वोट देना होगा कि राष्ट्रहित में कौन कारगर साबित होगा और देश के विकास के साथ आवाम को भी संसाधनों से लैश कर सके अन्यथा.....

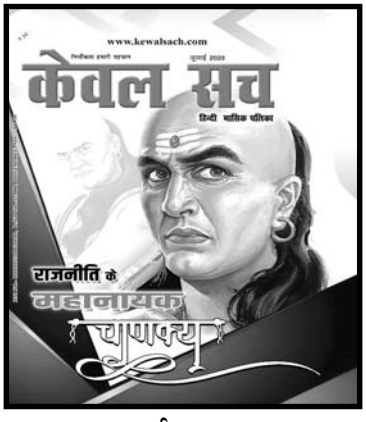

जुलाई 2023

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

डरता है विकास

संपादक जी,

मैं केवल सच, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और इसकी बेबाक सभी खबरों को पढ़ता हूं। सागर कुमार एवं के.के. सिंह की जुलाई 2023 अंक की खबर **''गाजीपुर जिले का ऐसा गांव जहां जाने से डरता है विकास''** में पटखौलिया के ग्राम प्रधान गमगम बिंद और रेवतीपुर के बीडीओ की काले कारनामे के कारण विकास अवरूद्ध है जबकि देश के पीएम एवं यूपी के सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी विकास से वंचित न हो परन्तु दोनों के गठजोड़ ने जीना हराम किया है। सटीक खबर।

✦ ओमप्रकाश खत्री, करमटोली चौक, झारखंड

श्रद्धांजलि

ब्रजेश जी,

प्रधान संपादक अरूण कुमार बंका ने जुलाई 2023 अंक में ''यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे रमन प्रकाश बंका'' की श्रद्धांजलि सह सम्मान समारोह के आयोजन को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैट्रिक एवं इंटर में टॉप करने वाले 7 छात्र-छात्राओं को 1-1 लाख रूपये एवं प्रमाण पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया है। ऐसी खबरों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए सदैव सचेत एवं सजग रहता है। ऐसे आयोजन की खबरों को प्राथमिकता से प्रकाशित करना चाहिए।

✦ पंकल लाल, शीतलपुर बाजार, छपरा

चाणक्य

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका का जुलाई 2023 अंक पढ़ा जिसमें **''राजनीति के महानायक''** अमित कुमार का खबर काफी सटीक व जानकारीप्रद लगा। वास्तव में इतनी विस्तृत जानकारी से आवाम को बहुत लाभ पहुंचेगा की किस प्रकार अखंड भारत के लिए हमारे महापुरूषों ने किस प्रकार से राष्ट्रहित में कार्य किया है। चाणक्य के उपर आईपीएस विकास वैभव की कविता भी पठनीय है। केवल सच का हर अंक डीजिटल दौर में भी अपनी विशेष पहचान रखने में कामयाब है। चाणक्य की राजनीति एवं कूटनीति के साथ सभी प्रकार की नीतियां आज भी जीवंत है।

✦ मनोज गुप्ता, लहेरियासराय, दरभंगा

राजनीति

मिश्रा जी,

''भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी राजनीति''
जुलाई अंक 2023 के संपादकीय में आपने भारत की तस्वीर को सभी दृष्टिकोण से रखा है। चुनाव की बात से लेकर भ्रष्टाचार के कारणों को भी बताने की कोशिश की है। संपादकीय में सामान्य ज्ञान की बात को भी गंभीरता के साथ रखा गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और भ्रष्टाचारी अपनी झोली भरने में लगे हैं। लगभग डेढ़ अरब आबादी वाला भारत जाति एवं धर्म के चक्रव्यूह में फंसी है और इसका लाभ राजनेता वसूलते हैं और जनता के हाथ सिर्फ आश्वासन लगता है।

✦ गणेश पाठक, अशोक नगर, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार का बहार

संपादक जी,

भ्रष्टाचार उजागर करने के मामले में बिहार का इकलौता पत्रिका है केवल सच। जुलाई 2023 अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबर ''स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का बहार है, रेणु का जलवा बरकरार है'' में राजनीति के प्रमुखों की राजनीति में पदाधिकारियों का बहार है। नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव भले ही एक ही सरकार के अंग हैं लेकिन दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा है और इसी का लाभ विभाग की रेणु कुमारी उठा रही है। रेणु कुमारी के काले कारनामे को उजागर करके आवाम के बीच लाया है। इसपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए।

✦ कौशल वर्मा, घंटा घर, भागलपुर

15 पार्टियाँ

संपादक जी,

केवल सच, किसी भी विषय पर सटीक समीक्षा करती है। जुलाई 2023 अंक में आपकी खबर ''मोदी बनाम 15 पार्टियां'' में बिहार में 15 पार्टियों की हुई बैठक से लेकर राजनीति के क्या मायने 2024 में होंगे पर मोदी और नीतीश कुमार के बीच के राजनीतिक रंजिश पर सटीक मूल्यांकित करते हुए खबर को लिखा गया है। मोदी और राहुल के बीच के राजनीतिक युद्ध का लाभ लोकसभा चुनाव 2024 में किसको कैसे मिलेगा उसपर सही खबर आपने पाठकों के बीच रखा है। केवल सच पत्रिका अगर रंगीन पृष्ठों में आने लगे तो यह और लोकप्रिय होगा।

✦ सोहन यादव, लेखा नगर, खगौल, पटना

अन्दर के पन्नों में

डॉ. हर्षिता तिवारी ने लगाया राहत चौपाल.........77

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 207, | माह:- अगस्त 2023, | मूल्य:- 20/- रू०

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505/8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०):- श्रीधर पाण्डेय 9470709185
(म०):- गौरव कुमार 9472400626
(ग्रा०) :-
बाढ़ :-
भोजपुर :- गुड्डू कुमार सिंह 8789291547
बक्सर :- बिन्ध्याचल सिंह 8935909034
कैमूर :-
रोहतास :- अशोक कुमार सिंह 7739706506
:-
गया (श०) :- सुमित कुमार मिश्र 7667482916
(ग्रा०) :-
औरंगाबाद :-
जहानाबाद :- नवीन कुमार रौशन 9934039939
अरवल :- संतोष कुमार मिश्रा 9934248543
नालन्दा :-
:-
नवादा :- अमित कुमार 9934706928
:-
मुंगेर :-
लखीसराय :-
शेखपुरा :-
बेगूसराय :- निलेश कुमार 9113384406
:-
खगड़िया :-
समस्तीपुर :-
जमुई :- अजय कुमार 09430030594
वैशाली :-
:-
छपरा :-
सिवान :-
:-
गोपालगंज :-
:-
मुजफ्फरपुर :- .
:-
सीतामढ़ी :-
शिवहर :-
बेतिया :- रवि रंजन मिश्रा 9801447649
बगहा :-
मोतिहारी :- संजीव रंजन तिवारी 9430915909
दरभंगा :-
:-
मधुबनी :- सुरेश प्रसाद गुप्ता 9939817141
:- प्रशांत कुमार गुप्ता 6299028442
सहरसा :-
मधेपुरा :-
सुपौल :-
किशनगंज :-
:-
अररिया :- अब्दुल कय्यूम 9934276870
पूर्णिया :-
कटिहार :-
भागलपुर, :-
(ग्रा०):- रवि पाण्डेय 7033040570
नवगछिया :-

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें

8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक
राजीव कुमार 9431369995, 7280999339

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो

झारखण्ड सहायक संपादक
ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक
अजय कुमार 8409103023, 6203723995

संयुक्त संपादक
शशि भूषण 7061052578, 9905643374

विशेष प्रतिनिधि
भारती मिश्रा 8210023343-8863893672

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो

राँची	:- अभिषेक मिश्र	7903856569
	:- ओम प्रकाश	9708005900
साहेबगंज	:- अनंत मोहन यादव	9546624444
खूँटी	:-	
जमशेदपुर	:- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता	9304824724
हजारीबाग	:-	
जामताड़ा	:-	
दुमका	:-	
देवघर	:-	
धनबाद	:-	
बोकारो	:-	
रामगढ़	:-	
चाईबासा	:-	
कोडरमा	:-	
गिरीडीह	:-	
चतरा	:- धीरज कुमार	9939149331
लातेहार	:-	
गोड्डा	:-	
गुमला	:-	
पलामू	:-	
गढ़वा	:-	
पाकुड़	:-	
सरायकेला	:-	
सिमडेगा	:-	
लोहरदगा	:-	

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)

पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका

एवं 'केवल सच टाइम्स'

एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,

लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020

फोन- 0612/3504251

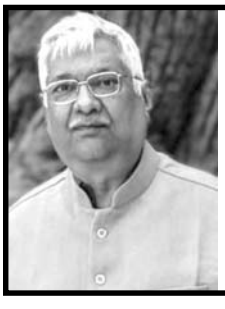

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क

भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी

'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''

9060148110

sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक

'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**

EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C

08877663300

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सागर कुमार	9155378519, 8863014673
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

धूमधाम से केवल सच पत्रिका ने मनाया अपना 18वाँ स्थापना वर्ष

आचार्य चाणक्य

केवल सच सम्मान-2023 का हुआ आयोजन

छाया : मुकेश कुमार

● अमित कुमार/पूनम जायसवाल

वर्ष 2006 में जब केवल सच पत्रिका की नीव रखी गई थी, तब किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि आज यह संस्था अपने 17 वर्ष को पूरे करते हुए 18वें वर्ष में प्रवेश करके युवा पत्रकारों की सैकड़ों टोली बिहार प्रदेश के जिला और प्रखण्ड तक ही नहीं वरन् देश के अन्य राज्यों में भी अपना परचम फैलाने में कामयाब होंगे। और आज का वक्त इन 17 वर्षों के संघर्ष और त्याग का ही परिणाम है कि केवल सच हिन्दी मासिक पत्रिका, राष्ट्रीय मुकाम पर कदम आगे बढ़ाने में कामयाब होते दिख रही है। इन तमाम उपलब्धियों का श्रेय पत्रिका के संपादक सह संस्थापक श्री ब्रजेश मिश्र जी के कुशल नेतृत्व को दिया जा सकता है। क्योंकि उनके मार्गदर्शन पर आज सैकड़ों पत्रकार बंधु केवल सच से जुड़कर समाज, राष्ट्र में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक युग, अर्थ युग के साथ चलने को मजबूर है। बावजूद इसके केवल सच से जुड़े वह तमाम पत्रकार केवल सच को बुलंदियों तक पहुंचाने में जी-जान से जुटे रहते हैं। श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका के साथ ही समय के साथ नये-नये और भी संगठन को शुरू किया गया। जिनमें केवल सच टाइम्स द्विभाषीय पत्रिका, केवल सच लाइव डॉट इन पोर्टल चैनल और केवल सच न्यूज यूट्यूब चैनल इनमें शामिल है।

गौरतलब हो कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के साथ केवल सच सामाजिक संस्थान सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता रहा है, जिनमें गरीब बच्चों को मुफ्त कॉपी-किताब का वितरण करके, दिव्यांगजनों को मुफ्त ट्राइ साइकिल का वितरण करके, गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण करने के साथ-साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी अपनी महत्ती भूमिका को अदा करते आया है। वही बताते चले

कि श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट और केवल सच समूह के द्वारा वर्ष में तीन बड़े कार्यक्रम पटना, रांची और दिल्ली में आयोजित किया जाता रहा है और समाज में अपना योगदान देने वाले लोगों को केवल सच सम्मान से सम्मानित भी किया जाता रहा है। बीते वर्ष जून 2022 की बात करे तो राजधानी पटना में चिकित्सा जगत में सर्जरी के जनक कहे जाने वाले महर्षी सुश्रुत पर कार्यक्रम किया गया। उसके बाद सितम्बर 2022 में रांची में देश की आजादी में प्रमुखता से आन्दोलन का आगाज करने वाले तिलका मांझी पर कार्यक्रम किया गया और दिसम्बर 2022 में काशी विश्वविद्यालय के जनक और प्रखर अधिवक्ता भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय केवल सच सम्मान-2022 कार्यक्रम को किया गया था और इस वर्ष 23 जुलाई 2023 को ''राजनीति के पितामह : आचार्य चाणक्य'' पर कार्यक्रम किया गया।

बताते चले कि राजधानी पटना के विद्यापति भवन के सभागार में श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट ने अपना 18वाँ स्थापना वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के बैनर तले 'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान-2023' से समाज के प्रबुद्धजन, जिनकी अपनी-अपनी क्षेत्र में सराहनीय योगदान रहा है तथा केवल सच राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका के पत्रकारों को कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों के हाथों शिल्ड व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। इसके बाद कार्यक्रम में मंच पर आसिन गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का का कार्य हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य व विशिष्ट अतिथियों में,

- ☞ श्रीमती अनिता देवी (मंत्री, बिहार सरकार),
- ☞ श्रीमती सीता साहू (मेयर, पटना नगर निगम, पटना),
- ☞ पदम्श्री डॉ० शांति राय (स्त्री रोग विशेषज्ञ),
- ☞ श्री चन्द्र प्रकाश सिंह (प्रदेश अध्यक्ष, मजदूर युनियन कांग्रेस),
- ☞ श्री इंद्रेश कौशिक जी महाराज (कथावाचक),

☞ श्री सुधाकर सिंह
(पूर्व मंत्री व रामगढ़ विधायक, कैमूर),
☞ श्री रणविजय साहू
(विधायक, मोरवा, समस्तीपुर),
☞ श्री मृत्युंजय कुमार सिंह
(अध्यक्ष, बिहार पुलिस एसोसियेशन),
☞ श्री लोकेश कुमार झा
(डीपीआरओ, पटना),
☞ श्री ब्रजेश मिश्र
(संपादक, केवल सच) मौजूद थे।

दीप प्रज्जवलित के बाद **'राजनीति के महानायक : चाणक्य'** विशेषांक का विमोचन गणमान्य अतिथियों के द्वारा किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों ने आचार्य चाणक्य पर प्रकाश डालते हुए अपने-अपने विचार को रखा।

कथावाचक श्री इंद्रेश कौशिक जी महाराज ने अयोध्या धाम और मां कामाख्या के जयकारा लगाने के साथ ही अपनी ओजस्वी भाषणों से पूरे हॉल को गुंजायमान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज चाणक्य बनने वाले लोग अत्यधिक हैं हर कोई अपने आपको चाणक्य कहलवाना चाह रहा है परंतु कोई भी व्यक्ति या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आचार्य चाणक्य की चिंता नहीं है

क्योंकि जब भी वे आचार्य चाणक्य की बात करते हैं तो उन्हें नजर आता है आचार्य चाणक्य की जाति ब्राह्मण जो कि आज के लोकतंत्र के लिए अछूत है। लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है और ब्राह्मणों की संख्या काफी कम है शायद यही वजह है की समस्त ब्राह्मणों के साथ-साथ आज राजनीति के महापंडित प्रकांड विद्वान और अखंड भारत का सर्वप्रथम सपना देखने वाले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य भी अछूत बने हुए हैं। आज ना तो उनकी कोई बात करता है और ना ही उनके विचारों को आत्मसात करने हेतु सरकार कोई कदम उठाती है और आज का जो यह कार्यक्रम केवल सच के संपादक ब्रजेश मिश्र जी ने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य पर किया है जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं और वह धन्यवाद के पात्र हैं।

डीपीआरओ पटना श्री लोकेश कुमार झा ने अपने भाषण की शुरुआत आचार्य चाणक्य के शुरुआती जीवन व्यक्तित्व से किया। लोकेश कुमार ने बताया कि आचार्य चाणक्य किस प्रकार के परिवेश से आते थे और कितने ही संघर्ष करके उसे समय के महानतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक बने। शिक्षक बनने के बाद उनके पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन और बुद्धि थी परंतु फिर भी एक सच्चे देशभक्त होने के नाते उन्होंने देश पर आने वाले संकटों को बहुत पहले ही भांप कर उन संकटों को दूर करने के उपाय करने लगे और अंत में देश एक ऐसा साम्राज्य दिया जो सालों तक जनता के हित के लिए काम करती रही। अंत में श्री लोकेश कुमार ने इस कार्यक्रम के लिए केवल सच को बहुत सारी बधाई दी और अपने भाषण को समाप्त किया।

इसके बाद पटना शहर की प्रथम नागरिक पटना नगर निगम की महापौर **श्रीमती सीता साहू जी** का मंच पर आगमन होता है और पूरा मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। महापौर सीता साहू अपने चिर परिचित अंदाज में जनता का अभिवादन करती हैं और केवल सच के कार्यक्रम में एक बार फिर से बुलाने के लिए मंच से ही केवल सच को धन्यवाद देती हैं। आगे अपने संबोधन में चाणक्य के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के साथ ही आचार्य विष्णु को चाणक्य के द्वारा दिए गए नीतियों और सिद्धांतों पर खुद भी चलने का विश्वास दिलाता है तथा जनता को भी आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में चरितार्थ करने हेतु प्रेरणा देती है। और अंत में पटना नगर निगम की जनता के साथ-साथ बिहार के कोने-कोने से आए हुए केवल सच के पत्रकारों और सम्मानित अतिथियों का भी धन्यवाद देकर अपने संबोधन को समाप्त करती हैं।

बिहार पुलिस एसोसियेशन अध्यक्ष श्री मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपने संबोधन के प्रथम हिस्से में आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य को समर्पित करते हुए उनके जीवन चरित्र को अपने व्यवहार में लाने हेतु सभी से आग्रह करते हैं।

मृत्युंजय सिंह जी कहते हैं कि आचार्य चाणक्य की जीवन शैली, देश भक्ति, उनकी राजनीतिक समझ , और कर्तव्य परायणता देश के लिए एक मिसाल है और देश के युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। आगे अपने भाषण के दूसरे हिस्से में पुलिस के दुख दर्द पर बातें करते हुए नजर आते हैं। वे कहते हैं कि पुलिस की जरूरत सबको है लेकिन पुलिस को क्या चीज की जरूरत है इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना हो सबसे पहले लोग पुलिस को ही याद करते हैं और कुछ भी गलत हो जाता है तो सबसे पहले लोग दोष भी पुलिस को ही देते हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करके बिहार पुलिस को कोरोना के समय भी और उसके पहले भी सम्मान दिलाया है और लोगों से भी अपील किया की पुलिस का सम्मान करना चाहिए लेकिन वैसे पुलिस को जो जनता हित में कार्य नहीं करते हैं , लोगों से ठीक ढंग से बातें नहीं करते हैं इन पर कार्रवाई करने की भी बात कही। चेतावनी भरे अंदाज में उन्होंने भ्रष्ट और जनता की समस्या को नजरअंदाज करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी कहा कि वह अपनी आदतों में सुधार कर लें अन्यथा जनता उन्हें सुधार देगी।

इसके बाद बिहार की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ **पद्मश्री डॉक्टर शांति राय** ने जैसे ही पोडियम पर अपनी प्रथम वाक्य बोलने के लिए खड़ा होती हैं इतने में कार्यक्रम के समस्त लोग एक साथ खड़े होकर ताली बजाकर बिहार की गौरव का अभिवादन करते हैं और इस प्रकार के भव्य अभिवादन से अभिभूत होकर विश्व प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शांति राय लोगों का धन्यवाद देती है। अपने संबोधन में डॉक्टर शांति राय जी कहती हैं कि आचार्य चाणक्य इसी बिहार और इसी पाटलिपुत्र की धरती पर जन्म लेकर पूरे भारत को अखंड बनाने का सपना लिया और उसे पूरा भी किया। जिस समय लोग छुआछूत करते थे राजा बनने का अधिकार किसी एक जाति को था उस समय में आचार्य विष्णु गुप्त चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाकर समाज में एक नई मिसाल कायम की और आज भी और जब तक यह दुनिया चलते रहेगी तब तक आचार्य चाणक्य के कहे हुए वाक्य उनकी नीति सिद्धांत देशवासियों और दुनिया के लिए काम आते रहेंगे।

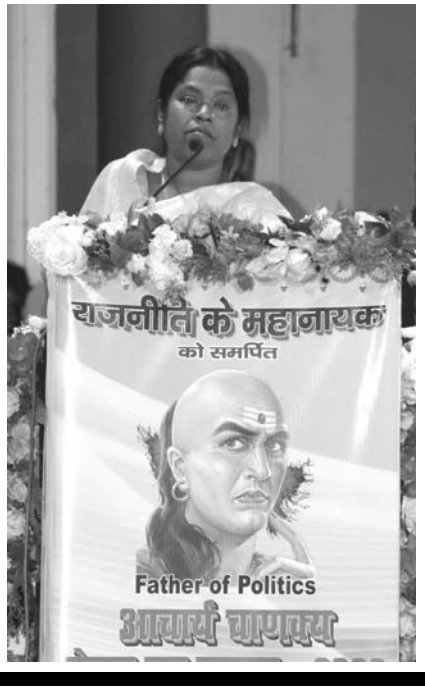

पूर्व मंत्री व रामगढ़, कैमूर विधायक श्री सुधाकर सिंह सर्वप्रथम आचार्य विश्व चाणक्य के जीवन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने ही सर्वप्रथम राजा का चरित्र क्या होना चाहिए, राजा ,लोगों के लिए होना चाहिए, राजा की नीतियां लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इत्यादि सभी सैद्धांतिक और नीतिगत बातें आज भी सशब्द यथार्थ है और इनका पालन करके ही कोई राजा या राज्य और राष्ट्र का मुखिया देश और समाज का हित कर सकता है।

माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्रीमती अनीता देवी ने आचार्य चाणक्य की विचारों की प्रशंसा करते हुए बिहार वासियों को और देशवासियों को यह संदेश देती है कि आचार्य चाणक्य के विचारों को आत्मसात करने से ही व्यक्ति समाज हित और देश हित में कार्य कर सकता है। माननीय मंत्री ने आचार्य चाणक्य को कुशल नेतृत्व करता और महान राष्ट्रभक्त बताया और कहा की आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ही एकमात्र ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमता और अपने दूरगामी सोच के कारण भारत को लंबे समय तक एक लोक कल्याणकारी राजा दिया और भारत को एक ऐसी नींव प्रदान की ताकि सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई।

मोरवा, समस्तीपुर विधायक श्री रणविजय साहू ने सभा को संबोधित करते हुए आचार्य चाणक्य के जीवन चरित्र और सिद्धांतों की चर्चा करते हुए जनता को यह संदेश दिया कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रखना चाहिए ना किसी से द्वेष करना चाहिए ना किसी से छुआछूत करनी चाहिए। हम सभी एक ही ईश्वर के संतान है और हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए।

मजदूर युनियन कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हम तो मजदूर के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें केवल सच उनका संपूर्ण सहयोग और समर्थन करता है। श्री सिंह ने आचार्य चाणक्य को अपना आदर्श मानते हुए बताया कि आचार्य चाणक्य भी जनता के विकास के साथ-साथ सैनिकों की और मजदूर वर्ग की पूरी शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण की बात करते थे और केवल बात ही नहीं करते थे बल्कि उनके शिष्य चंद्रगुप्त का शासनकाल मजदूर वर्ग के लिए खुशहाली का काल था, परंतु आज आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत से जमींदारी प्रथा तो चली गई परंतु प्रत्येक जिले के जो जिलाधिकारी होते हैं, उसी रूप में आज भी प्रत्येक जिले में जमींदार बैठे हुए हैं और प्रत्येक राज्य और देश में भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर राजा ही बैठे हुए हैं। क्योंकि उनसे सीधे-सीधे जनता का मिल पाना और जनता का विकास हो पाना संभव नहीं हो पा रहा है।

केवल सच राष्ट्रीय पत्रिका के संपादक सह संस्थापक श्री ब्रजेश मिश्र ने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओ का, विशिष्ट अतिथियों का, साथ ही कार्यक्रम हॉल में उपस्थित सभी बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि केवल सच आचार्य चाणक्य के विचारों से प्रेरित है और इसलिए केवल सच, केवल सच ही लिखता है और सच ही दिखाता है। सभा को संबोधित करते हुए संपादक श्री ब्रजेश मिश्रा जी आचार्य चाणक्य के जीवन वृतांत को बताते हुए यह भी बताते हैं कि केवल सच केवल एक मीडिया समूह ही नहीं है बल्कि इसके अलावे विभिन्न सामाजिक संगठनों के तहत केवल सच समाज में समरसता का भाव पैदा करने के लिए काम करता है। केवल सच के तत्वाधान में ही चाणक्य विकास मोर्चा नामक संगठन काम कर रही है जो कि चाणक्य के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जानी जाती है और पटना सिटी में प्रसिद्ध चाणक्य गुफा का खोज भी चाणक्य विकास मोर्चा ने ही किया है। इसके अलावे श्रुति कम्युनिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय और वंचित लोगों के लिए भी केवल सच निरंतर प्रयासरत रहती है।

बता दें कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाज में अपनी महत्ती भूमिका को अदा करने वाले लोगों को 'आचार्य चाणक्य केवल सच सम्मान-2023' से सम्मानित किया गया। अंत में सभी के संबोधन समाप्त होने के बाद कार्यक्रम संयोजक सागर उपाध्याय ने धन्यवाद ज्ञापन किया, जिसमें कार्यक्रम में आने वाले सभी आगंतुकों का हृदय से धन्यवाद दिया और सभी का आभार प्रकट किया।●

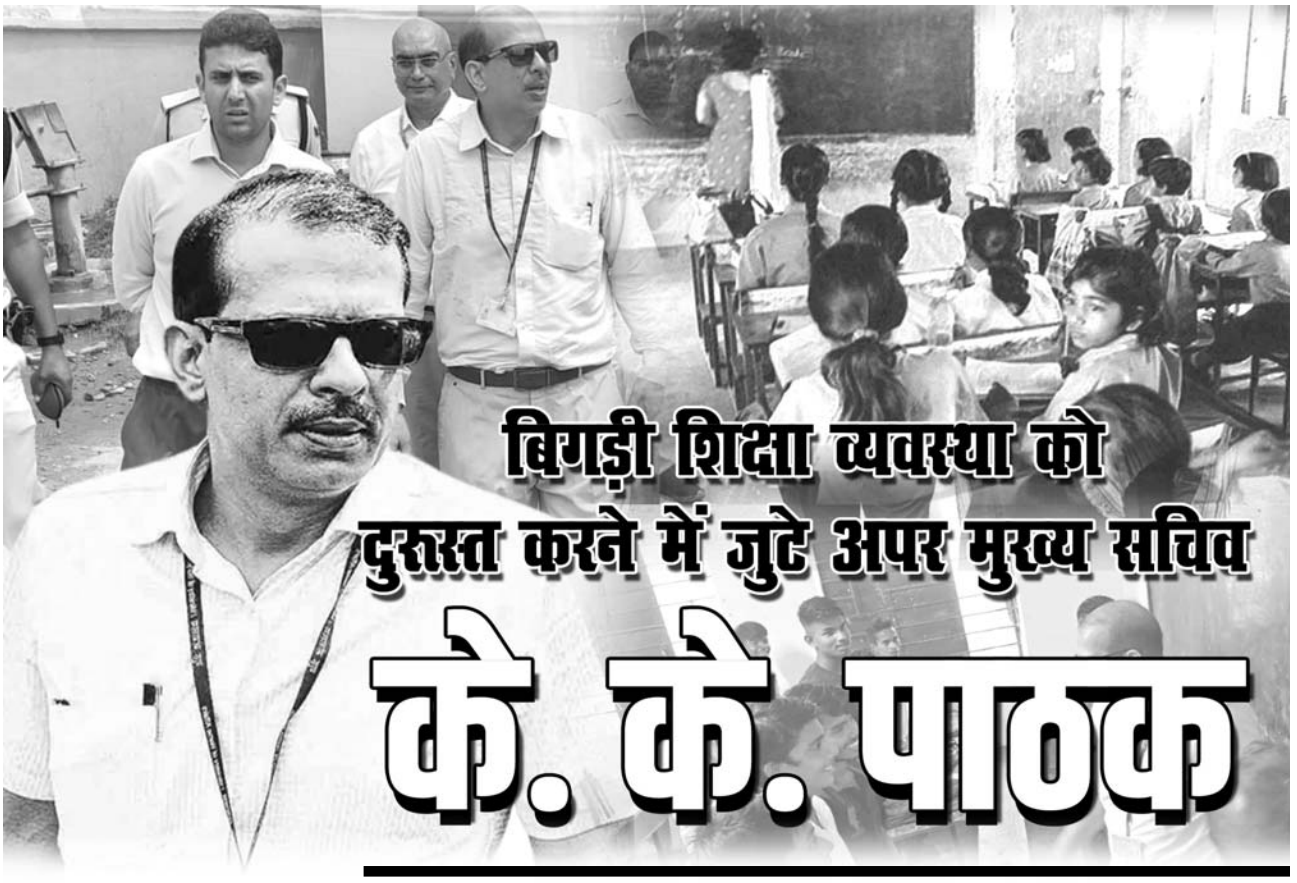

बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने में जुटे अपर मुख्य सचिव के. के. पाठक

● **अमित कुमार**

बिहार! जिसे बौद्ध, चाणक्य और गुरू गोविन्द सिंह की जन्म और कर्म स्थली से जाना जाता रहा है, तो वही लूट, हत्या और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों वाले राज्यों में भी इसकी गिनती गिनी जाती रही है और यह सच भी है। 2005 के पहले का बिहार जिन्होंने करीब से देखा है वह महसूस कर सकते हैं कि बिहार में उन्होंने कैसे वह वक्त बिताये होंगे, जहां अपराध चरम पर और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट। हां, यह जरूर हुआ कि उस दौर में एक चरवाहा विद्यालय भी खुला। राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा प्रयोग, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने, 23 दिसम्बर 1991 को, देश का पहला चरवाहा विद्यालय खुलवाया था। यह बिहार के मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ की जमीन में स्थापित की गई थी। वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने की इस अनोखी पहल की तारीफ दुनिया भर में हुई थी। इस योजना में जान फूंकने के लिए, लालू प्रसाद ने नारा दिया था, ***''ओ गाय-भैंस चराने वालों, ओ सूअर-बकरी चराने वालों, ओ घोंघा चुनने वालों; पढ़ना-लिखना सीखों''***। इस प्रयोग से ये उम्मीद की गई कि, गरीब परिवार के लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगेंगे। यहां छात्रों के मवेशी, स्कूल के मैदान में चरने के लिए छोड़ने की भी व्यवस्था थी। किन्तु समय के साथ-साथ अधिकारीगण चरवाहा विद्यालय से मुंह फेरने लगे। जिस कारण, 1995 के बाद से यह ठप पड़ने लगा।

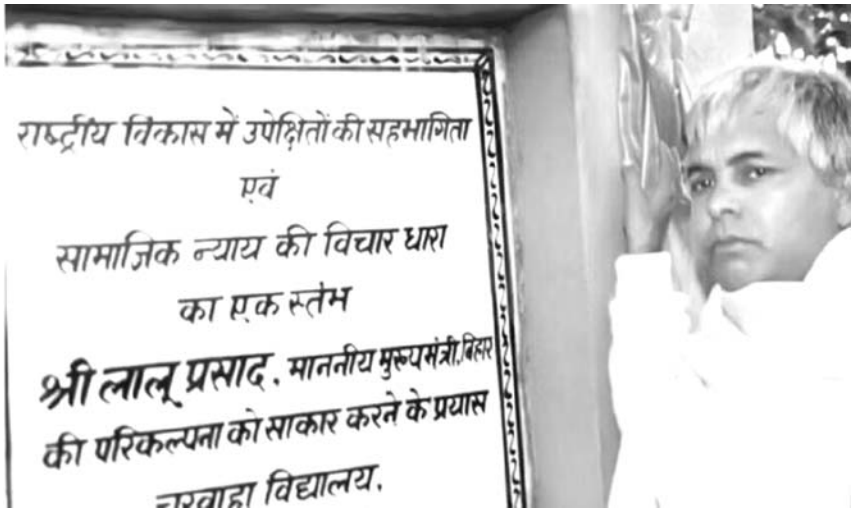

बहरहाल, 2005 में जब नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार बनी तो उम्मीद लगाये जाने लगे कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण के साथ ही शिक्षा व्यवस्था अब दुरूस्त होंगे। किन्तु नीतीश के प्रयोग ने वैसे लोगों को शिक्षक बना दिया जिसे 'कबूतर' और 'संडे' तक लिखने नहीं आता था और वह बिहार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहाल किये गये। हालांकि बाद में मीडिया द्वारा इस पर कई बार

पत्रांक–07 / विविध–136 / 2013.....

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

के. के. पाठक, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक :– .....

विषयः– शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि BLO (Booth Level Officer) को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में 04 से 10 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अनुमण्डल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा स्थायी रूप से लंबी अवधि के लिए की जा रही है।

शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति किए जाने से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ज्ञातव्य हो कि विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा विभाग द्वारा कई आवश्यक पहल किए जा रहे हैं जिसके लिए शिक्षकों की विद्यालय में ससमय उपस्थिति अनिवार्य है।

अतएव अनुरोध है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(के. के. पाठक)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–07 / विविध–136 / 2013 1145 / पटना, दिनांक– 31/7/23

प्रतिलिपि–सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव।

सकता और अब शिक्षा को सुधारने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएसई मॉडल के तौरपर पात्रता पाने के बाद किये जाने का प्रयोग शुरू है।

बहरहाल, शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में वैसे पदाधिकारी के हांथों इसकी कमान सौंपी है, जो 1990 बैच के ब्यूरोक्रेसी लॉबी में 'के.के.' नाम से मशहूर हैं। जब बिहार का कोई मुख्यमंत्री किसी विभाग को दुरुस्त करना चाहता है तो उसे के.के. की याद आती है। लालू से लेकर नीतीश तक के.के. पाठक को आजमा चुके हैं। इन दिनों के.के. पाठक बिहार की लचर हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने में जुट गये हैं। बिहार शिक्षा विभाग की कमान संभालने के बाद से अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई फरमान और आदेश जारी किए। इसी क्रम में अब उन्होंने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जाति गणना के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। के.के. पाठक ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षकों से कोई भी प्रशासनिक कार्य न कराया जाये ताकि शिक्षक स्कूल पहुंच सके और बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। बता दें कि राज्य में जातीय गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है। इसके बाद अब गणना का बचा हुआ कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी जिलों को निर्देश भी भेज दिया गया है। वही गणना का कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होनी

ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बाद इसमें बहुत हद तक सुधार भी हुए। साईकिल योजना, पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना सहित कई योजनाओं को लाकर सरकार ने प्रोत्साहित करने का भी काम किया। किन्तु यहां भी ढ़ाक के तीन पात ही दिखे और सरकार की लोकलुभावन योजनाएं भ्रष्टाचार की बलिबेदी पर चढ़ गई। वही विद्यालयों में बच्चों की अनुपस्थिति और शिक्षकों के अध्यापन में लापरवाही पर रोक लगाये जाने के लिए ठोस कदम ससमय नहीं उठाये गये और शिक्षा व्यवस्था की मार की आवाज विधानसभा के हर सत्र में विपक्ष की आवाजें बुलंद करती रही।

खैर! बिहार संत, राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा के साथ खगौलशास्त्री की जन्मस्थली होने के कारण इस मिट्टी से हर वर्ष यूपीएससी के टॉपर भी निकलते हैं, जिससे इंकार नहीं किया जा

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या–04 / वि–16–77 / 2017 दिनांक.....

प्रायः देखा जा रहा है कि विभाग में पदस्थापित कतिपय पदाधिकारी / कर्मचारीगण कार्यालय संस्कृति के विरूद्ध अनौपचारिक (Casual) परिधान में कार्यालय आ रहे हैं, जो कार्यालय के गरिमा के प्रतिकूल है।

अतएव शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित सभी पदाधिकारी / कर्मचारीगण कार्यालय में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (Formal Dress) में ही कार्यालय आने की कृपा करें साथ ही अपेक्षा की जाती है कि कार्यालय में अनौपचारिक परिधान जैसे जिंस, टी–शर्ट आदि नहीं पहनेंगे।

ह०/–
(सुबोध कुमार चौधरी)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव
पटना, दिनांक 28/06/23

ज्ञापांकः–1140
प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / सचिव के निजी सहायक / विशेष सचिव के निजी सहायक / सभी निदेशक / सयुंक्त सचिव / उप निदेशक(प्रशासन) / उप सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28.6.23
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

थी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि इस बार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर क्या फैसला करेंगे। ऐसे में तमाम अटकलों को विराम देते हुए के.के. पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में एक चिट्ठी जारी की है। वही इससे पहले अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि बीएलओ को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए की जाने वाली शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त की जाये। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति किये जाने से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। के.के. पाठक ने डीएम को लिखी चिट्ठी में बताया था कि विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से कई आवश्यक पहल की जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों की विद्यालय में समय पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में पाठक ने साफ किया है कि बीएलओ को प्रशिक्षण करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में चार से दस शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों की तरफ से स्थायी रूप से लंबी अवधि के लिए की जा रही है। फिलहाल इसी को रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। हालांकि, जातीय गणना के कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक नहीं रहेगी।

दिगर बात है कि कड़क आईएएस अफसर व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक की नजर अब कोचिंग संस्थानों की तरफ भी गई है। नजर पड़ते ही के.के. पाठक ने कोचिंग संचालकों को लेकर डीएम को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 31 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला के डीएम को पत्र लिखकर कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। साथ ही एक महीने बाद सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोचिंग संचालकों की मनमानी पर शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिले भर में कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी कोचिंग के लिए जारी किया गया है। के. के. पाठक ने जारी आदेश में कहा है कि स्कूल के समय पर ही कोचिंग का संचालन किया जाता है, जिससे क्लास रूम में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। इसलिए सुबह 9 बजे से शाम चार बजे तक कोचिंग संचालन पर रोक लगा दी गई है। बिहार के सभी डीएम को लिखे पत्र में के. के. पाठक ने कहा है कि कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर नियंत्रण करें। इस संबंध में एक नियमावली भी शीघ्र प्रख्यापित की जाएगी। जिसमें कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने या दंडित करने के लिए या इनका निबंधन रद्द करने के लिए आपको अधिकृत किया जाएगा। प्रथम चरण में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक अभियान के तौर पर सभी कोचिंग संस्थानों (बीपीएससी यूपीएससी) समेत की सूची बनाएं। दूसरे चरण में 8 से लेकर 16 अगस्त तक इन कोचिंग संचालकों के साथ स्वयं बैठक करें और उन्हें बताएं की विद्यालय समय अवधि में वे कोचिंग का संचालन नहीं करें। शाम 4:00 बजे के बाद ही कक्षा चलाएं। वह अपने टीचिंग फैकेल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक हों। कोचिंग संस्थानों के संचालन में यदि किसी सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखे हैं तो उसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दें। जिले में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण करेंगे। सुबह 9:00 बजे से संध्या 4:00 बजे तक कोचिंग करते पाए जाने वाले कोचिंग संस्थानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उक्त

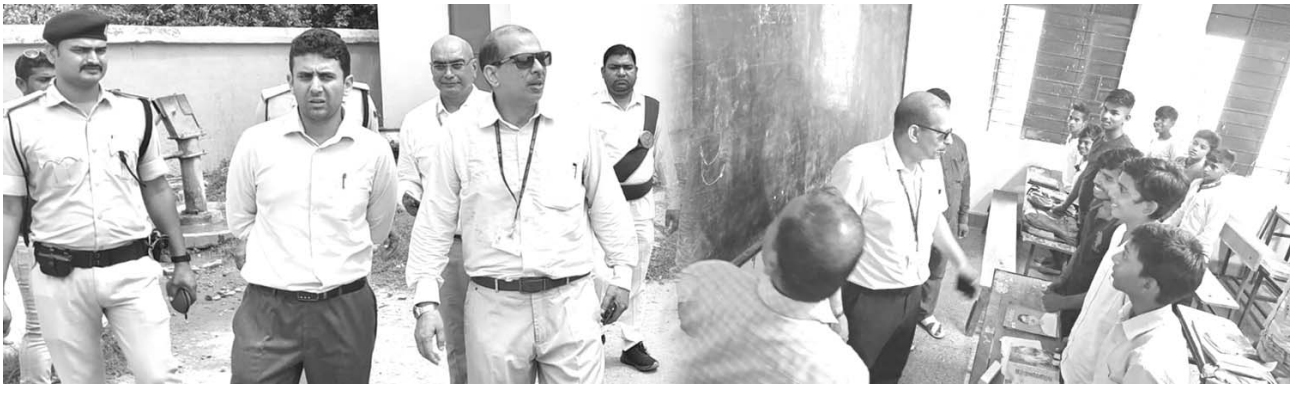

अवधि के दौरान अगर किसी कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक कार्य होते पाया गया तो संबंधित संस्थानों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से कोचिंग संस्थानों की सूची मांगी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के अब कोचिंग नहीं चलेंगे।

गौरतलब है कि के.के. पाठक ने डीएम को लिखे पत्र में कहा है कि बिहार में कोचिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 लागू है, लेकिन इस अधिनियम के तहत कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। 1 जुलाई 2023 से सरकारी विद्यालयों के गहन जांच की जा रही है। प्रतिदिन 25000 से अधिक विद्यालयों की जांच की जा रही है। वे स्वयं सप्ताह में एक बार निरीक्षण के लिए निकलते हैं। अनुश्रवण में कोचिंग संस्थानों को लेकर कई बातों का पता चला है। जानकारी लगी है कि कोचिंग संस्थान विद्यालय के समय पर ही संचालित होते हैं। इस वजह से विद्यालय में उपस्थिति कम रहती है। यह बात कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होती है। ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में

सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान जाकर पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं यह भी पता चला है कि कोचिंग संस्थानों के संचालन में सरकारी विद्यालय के शिक्षक की भी भूमिका रहती है। सरकारी स्कूल के शिक्षक निजी कोचिंग का न तो संचालन करेंगे और न ही किसी निजी कोचिंग में पढ़ाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने यह निर्देश जारी किया है। उन्होंने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को निजी कोचिंग में नहीं पढ़ाने और खुद का कोचिंग नहीं चलाने को कहा है। दरअसल, शिक्षा विभाग के सामने

पत्रांक :— 202 /pr.

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0के0 पाठक,
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 31/07/2023

विषयः **आपके जिले मे कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य में Bihar Coaching Institute (Coaching and Regulation) Act, 2020 पहले से प्रख्यापित है। किन्तु इस अधिनियम के तहत कभी कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया।

01 जुलाई, 2023 से विद्यालयों के गहन अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापित की गई, जो कि अब वह एक स्थायित्व ले चुकी है। इस अनुश्रवण प्रणाली के तहत अब प्रतिदिन 25 हजार से अधिक विद्यालयों का अनुश्रवण हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी स्वयं भी सप्ताह में एक बार निरीक्षण हेतु निकलते हैं। इस गहन अनुश्रवण से कोचिंग संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित बातें पता चलती हैः–

1. **(क)** सभी कोचिंग संस्थानों की कक्षाओं का समय वही होता है, जो हमारे विद्यालयों का है। हमारे विद्यालय सुबह 09 बजे से खुलकर संध्या 04 बजे तक चलते हैं। किन्तु इसी अवधि में कोचिंग संस्थान भी चलते रहते हैं। इससे हमारे (छात्र चाहे वह किसी भी कक्षा के हों) कोचिंग संस्थानों में जाने के फलस्वरूप विद्यालय में उपस्थित कम रहते हैं। यह बात कक्षा 09 से 12 तक के छात्रों पर विशेष रूप से लागू होती है।
   (ख) ऐसी जानकारी मिली है कि कोचिंग संस्थानों में सरकारी शिक्षक भी विद्यालय के समय के दौरान ही जाकर पढ़ाते हैं।
   (ग) यह भी सूचना है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालन में भी हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भी प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका है।
2. उपरोक्त को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि "विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था" के स्थायित्व के साथ–साथ कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति पर भी अब जोर लगाना होगा, विशेषकर कक्षा 09 से 12वीं तक के छात्रों के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस आशय का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है और सूचना भी प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न) कि जो छात्र 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखेंगे, उन्हें बोर्ड की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।
3. उपरोक्त पृष्ठभूमि के आलोक में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले के कोचिंग संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नियंत्रण करें। क्योंकि कोचिंग संस्थाओं की समानांतर समय–सारणी के चलते विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। उल्लेखनीय है कि एतद् संबंधी अधिनियम जो वर्ष 2010 से ही प्रख्यापित है, के तहत इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आप प्राधिकृत हैं। इस संबंध में एक नियमावली भी विभाग द्वारा शीघ्र ही प्रख्यापित की जायेगी, जिसमें कोचिंग संस्थानाओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अथवा इन्हें दण्डित करने के लिए अथवा इनका निबंधन रद्द करने के लिए आपको प्राधिकृत किया जायेगा।
4. जब तक नियामवली प्रख्यापित नहीं होती है, तब तक आपसे अनुरोध है कि आप कोचिंग संस्थाओं पर निम्न प्रकार से चरणवार कार्रवाई प्रारंभ कर देंः–

प्रथम चरणः–

प्रथम चरण में दिनांक 01 अगस्त, 2023 से 07 अगस्त, 2023 तक अभियान के तौर पर आप अपने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों (चाहे वह किसी भी कक्षा अथवा प्रतियोगिता परीक्षा–बी.पी.एस.सी./यू.पी.एस.सी. सहित) की सूची बना लें।

द्वितीय चरणः–

द्वितीय चरण में 08 अगस्त, 2023 से 16 अगस्त, 2023 तक आप इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक स्वयं अपने स्तर पर बुलाएं और उन्हें निम्नलिखित के बारे में आगाह कर देंः–

(क) वे अपने कोचिंग संस्थानों को विद्यालय अवधि–यानि–सुबह 09 बजे से पूर्व एवं संध्या 04 बजे के बीच ना चलाएं। वे विद्यालय अवधि के पहले या बाद में अपनी कक्षाएं चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे।

(ख) वे अपने teaching faculty में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखें, जो स्वयं किसी अन्य सरकारी अथवा गैर–सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं।

(ग) कोचिंग संस्थानों के संचालन मंडल में यदि किसी कार्यरत सरकारी कर्मी/पदाधिकारी को रखा है, तो उसकी सूचना वे जिला पदाधिकारी को समर्पित करें।

तृतीय चरणः–

दिनांक 16 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक आप अपने अधीनस्थ दण्डाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करते हुए इन सभी कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण कराएं और यदि वे सुबह 09 बजे से संध्या 04 बजे तक कोचिंग का कार्य करते पाये जायें, तो लिखित चेतावनी निर्गत किया जाए और आगाह किया जाए कि वे अपनी समय–सारणी में बदलाव करें।

5. दिनांक 31 अगस्त, 2023 के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उपरोक्त बातों को नहीं मानते हुए अपनी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं लाते हैं, तो इसके लिए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु विभाग शीघ्र विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(के0के0 पाठक)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–13/वि0 03–01/2016......1284..../
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

त्यावश्यक ईमेल

प्रेषक,
के० के० पाठक (भा०प्र०से०),
अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 24.07.2023/

विषय :– राज्य स्कीम अन्तर्गत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर चयन करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 1570 दिनांक 23.07.2018 एवं पत्रांक 1566 दिनांक 05.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत जिलों में शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के रिक्त पदों पर शिक्षा सेवकों का चयन किया जाना है। इस संबंध में आपको विभागीय पत्रांक–1570, दिनांक 23.07.2018 के द्वारा शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन एवं सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2018 की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय पत्रांक–1566, दिनांक 05.07.2019 के द्वारा आपको विस्तृत निर्देश पूर्व में दिया जा चुका है (छाया प्रति संलग्न)।

जिला स्तर पर शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की रिक्ति से संबंधित जिलावार विवरणी संलग्न करते हुए कहना है कि जिला स्तर पर जितने सामान्य जाति के शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) को हटाया गया है तथा ऐसे अन्य सभी मामले जिनमें चयन/सेवामुक्ति से संबंधित विवाद विचारण हेतु माननीय न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष लंबित है उतने पदों एवं स्थान को सुरक्षित रखते हुए उक्त विवरणी के आलोक में जिला स्तर पर शेष रिक्त शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन मार्गदर्शिका, 2018 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन नहीं हो।

शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के चयन से संबंधित एक वर्क कैलेण्डर भी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनु०–यथोपरि।

विश्वासभाजन
ह0/–
(के०के० पाठक)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–1284........ पटना, दिनांक–24.07.2023

प्रतिलिपि :– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता)/सभी सदस्य, राज्य संसाधन समूह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

यह बात सामने आई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक कोचिंग में पढ़ाने के लिए स्कूल से जल्दी निकलने की तैयारी में रहते हैं या स्कूल लेट से पहुंचते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के चलने के दौरान कोई कोचिंग संस्थान न चले, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें। इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी है। इस काम में जिलाधिकारी की भी मदद ली जाएगी। कहा गया है कि जिले में कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनिमय) अधिनियम 2010 ही लागू है। अब इसका सख्ती से पालन होगा। डीईओ ने कोचिंग संचालकों व शिक्षकों को चेताया कि स्कूल के समय में कोचिंग का संचालन नियम के विरुद्ध है। बता दें कि के.के. पाठक का खौफ चारों तरफ देखा जा सकता है, जिसके फलस्वरूप पिछले तीन सप्ताह में राज्य में 6000 से भी ज्यादा ऐसे शिक्षकों की सैलरी काटी गई है, जो स्कूल के समय में ड्यूटी पर मौजूद नहीं पाए गए हैं। के.के. पाठक के आदेशानुसार जो शिक्षक स्कूल के समय स्कूल में नहीं पाए जा रहे हैं, उनकी सैलरी को काटने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल, कुछ वक्त पहले के.के. पाठक ने शिक्षा विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाली। जिसके बाद 1 जुलाई से बिहार में उन्होंने स्कूलों के निरीक्षण का काम शुरू किया है। के.के. पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर हर सप्ताह दो बार स्कूलों का औचक निरीक्षण कराएं, जो भी शिक्षक या फिर गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल से गायब पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद एक्शन लेते हुए उस दिन की उनकी सैलरी काटी जाएगी। 1 जुलाई से शुरू हुई इस कवायद में अब तक 6200 से भी ज्यादा शिक्षकों की सैलरी काटी गई है और 1000 से भी ज्यादा शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक बिहार में 20,000 से भी ज्यादा स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 300 से भी ज्यादा शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए।

सनद् रहे कि बिहार के शिक्षा विभाग की कमान अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने जब से संभाली है तब से लगातार कोई ना कोई बड़ा फैसला या फरमान सुनाए जा रहे हैं। जिससे सरकारी शिक्षाओं के साथ ही शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में अब के.के. पाठक ने एक और नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत स्कूलों में अब बच्चों को सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि निरीक्षण में जाने वाले पदाधिकारी भी पढ़ायेंगे। पाठक ने जारी किये गये निर्देश में कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण को जाने वाले पदाधिकारी ना सिर्फ शिक्षकों की उपस्थिति जांच करेंगे बल्कि बच्चों को शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं? यह भी देखेंगे। साथ ही निरीक्षण में गए पदाधिकारी बच्चों को क्लास में आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक पढ़ायेंगे भी। पाठक द्वारा कहा गया कि निरीक्षण में राज्य शिक्षा परियोजना परिषद् के इंजीनियर भी जाते हैं। विद्यालय के निरीक्षण में जो इंजीनियर जायेंगे वह प्रयोगशाला की स्थिति क्या है, इसको भी देखेंगे। साथ ही बच्चों को बतायेंगे कि प्रयोगशाला में प्रयोग कैसे किया जाता है। वही के.के. पाठक के एक और नये फरमान में कहा गया है कि बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक अब ओवरटाइम काम करेंगे। शिक्षक अब स्कूल समय के बाद जातीय गणना के इंट्री का काम करेंगे। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इस पत्र के बाद राज्य के शिक्षकों को ओवरटाइम काम

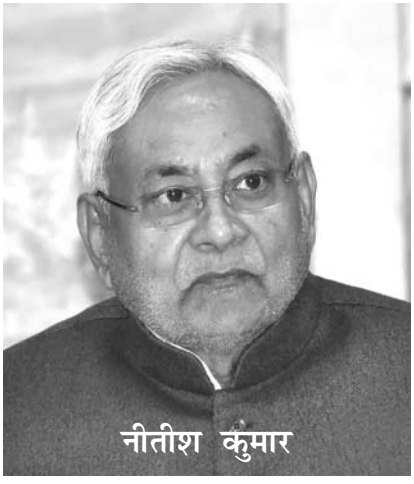
नीतीश कुमार

चंद्रशेखर

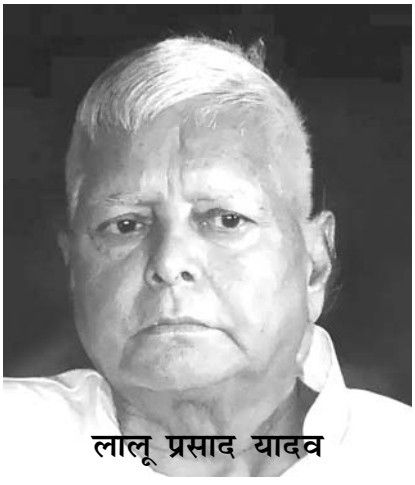
लालू प्रसाद यादव

करना पड़ेगा। अपने पत्र में अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक ने लिखा है कि जाति आधारित गणना का काम लगभग पूरा हो गया है। अब डाटा इंट्री का कार्य शेष बचा है। अत: उक्त डाटा इंट्री के कार्य हेतू शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के पश्चात लेना उचित होगा। अत: अनुरोध है कि जाति आधारित गणना के शेष कार्य हेतु शिक्षकों की सेवा विद्यालय अवधि के पश्चात लेने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कृपा की जाये। के.के. पाठक के इस आदेश का पालन करने पर स्कूलों के शिक्षकों को ओवर टाइम काम करना होगा। पहले उन्हें स्कूल के समय में बच्चों को पढ़ाना होगा और उसके बाद जाति गणना हेतू डाटा इंट्री का कार्य करना होगा। बताते चलें कि के.के. पाठक के एक के बाद एक आदेश जारी करने से कई शिक्षक दवाब में हैं तो वहीं शिक्षक संघ ने के.के. पाठक के काम करने के तरीके पर आपत्ति जताई है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश के साथ महागठबंधन की मीटिंग में भी चर्चा हुई थी। वामपंथी विधायक ने कहा था कि के.के. पाठक बैलगाड़ी में मोटर लगाकर उसे तेज चलाने की कोशिश कर रहें है, जो व्यवहारिक नहीं है।

बहरहाल, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी केके पाठक वैसे तो इनके कार्य करने के तेवर के किस्से कई हैं और पहले भी सुर्खियों में रहे हैं किन्तु बिहार के सियासी और प्रशासनिक गलियारों में केशव हाल ही में सुर्खियों में तब आये, जब नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से इनका विवाद इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री को सुलह के लिए आगे आना पड़ा था। कुछ माह पहले की घटना पर गौर फरमाये तो ज्ञात होगा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने आप्त सचिव से के.के. पाठक के खिलाफ पीत पत्र लिखवाया तो उसके जवाब में शिक्षा विभाग ने मंत्री के आप्त सचिव को शिक्षा विभाग में घुसने पर ही रोक लगा दी थी। सनद् रहे कि के.के. को करीब से जानने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकर ही शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था दुरूस्त करने का के लिए यह रिस्क उठाया है। बता दें कि पाठक की हनक से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, पूर्व सांसद रघुनाथ झा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। 2015 में सनकी कहने पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को पाठक ने लीगल नोटिस तक भेज दिया था। के.के. का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छे माफिया के पसीने छूट जाते हैं। कुछ लोग हद से ज्यादा जिद्दी और जुनूनी अफसर तक कहते हैं। कभी ये ठेकेदार पर रिवॉल्वर तानने के लिए सुर्खियों में आते हैं तो कभी एक साथ एक बैंक के सात ब्रांच मैनेजरों पर एफआईआर का आदेश देने के लिए। गालीकांड भी के.के. कर चुके हैं। 2015 में जब महागठबंधन सरकार सत्ता

के.के. पाठक

में आई तो के.के. पाठक दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे। राज्य सरकार ने इनकी वापसी बिहार में कराई। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की जिम्मेदारी केके पाठक को दी। मद्य निषेध विभाग का प्रधान सचिव बनाया।

गौरतलब हो कि 1968 में जन्मे केशव कुमार पाठक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शुरुआती पढ़ाई यूपी से की। 1990 में पाठक की तैनाती कटिहार में हुई। इसके बाद गिरिडीह में भी एसडीओ रहे। पाठक का पहला विवाद गिरिडीह में ही सामने आया था। वे बेगूसराय, शेखपुरा और बाढ़ में भी एसडीओ पद पर तैनात रहे। 1996 में पाठक पहली बार डीएम बने। उन्हें गिरिडीह की कमान मिली। राबड़ी शासन के दौरान पाठक को लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज की जिम्मेदारी भी मिली। यहीं पर पाठक ने पहली बार सुर्खियां बटोरी। के.के पाठक ने गोपालगंज में एमपीलैड फंड से बने एक अस्पताल का उद्घाटन सफाईकर्मी से करवा दिया। यह फंड गोपालगंज के सांसद और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने मुहैया कराया था। के.के. पाठक के इस रवैए से खूब बवाल मचा था। गोपालगंज में पाठक की हनक से आखिर में राबड़ी सरकार तंग आ गई और उन्हें वापस सचिवालय बुला लिया। ब्यूरोक्रेसी में कड़क अफसर के तौर पर केके पाठक जाने जाते हैं। जब वो गोपालगंज के जिलाधिकिरी थे और लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने के.के. पाठक को होम डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में लालू यादव को अपने करीबियों को बचाने के लिए के.के. पाठक का ट्रांसफर करना पड़ा। के. के. पाठक जब गोपालगंज के जिलाधिकारी बने थे तो समय से आधे घंटे पहले स्कूल लग जाती थी और पूरा काम खत्म होने के बाद ही विद्यालय को बंद किया जाता था। मतलब आज

का काम आज। उससे पहले कभी भी स्कूल समय से नहीं खुलते थे। टीचर भी समय पर स्कूल नहीं आते थे। आते थे तो जाने का टाइम देखते रहते थे। नहीं आए तो भी हाजिर भर देते थे। के.के. पाठक जब डीएम बन कर आए तो कभी गार्जियन तो कभी चपरासी, तो कभी आम आदमी बनकर स्कूलों का मुआयना करने लगे। शिक्षकों से लेकर अफसरों तक पर एक्शन लेने लगे। अखबारों की सुर्खियां बनने लगी। प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। सिर्फ स्कूल ही नहीं सड़क से लेकर अस्पताल तक में के.के. पाठक का असर दिखने लगा। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी तो के.के. पाठक को बड़ा ओहदा मिला। कई विभागों में कार्य करने के बाद साल 2010 में पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए फिर 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश ने उन्हें वापस बुलाया। 2015 में आबकारी नीति लागू करने में के.के. पाठक ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 2017-18 में फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए, जहां से 2021 में पदोन्नत होकर वापस लौटे।

यह विडम्बना ही है कि बिहार जैसे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए एक कड़क पदाधिकारी को आज मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस धरती पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसी ख्याति है और जिसके इतिहास पर दुनियां गर्व करती है, वहां की शिक्षा व्यवस्था चौपट होने के पीछे का बस एक कारण भ्रष्टाचार ही है। क्योंकि बजट व्यवस्था में सर्वाधिक फंडिंग इसी विभाग से आती है। पैसों की बंदरबांट में बच्चों का भविष्य बिगाड़ कर अब उसे सुधारने की जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक को दी गई है, उस पर वह खड़े उतर रहे हैं और पाठक के फैसलों का कई जगह सकारात्मक असर दिखने भी लगा है। के.के. पाठक द्वारा किये गये स्कूलों के निरीक्षण के बाद से विद्यालयों के स्वरूप बदलने लगे हैं। कल तक जिन स्कूलों में बच्चों की कमी दिखती थी, अब उन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेट लतीफ आने वाले शिक्षक भी राइट टाइम हो गए हैं। स्कूलों में पढ़ाई का माहौल दिखने लगा है। सही समय पर विद्यालय आने से एवं विद्यालय की सतत निगरानी बढ़ने से अब शिक्षक पढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुआ है। जब से के.के. पाठक के निर्देश पर स्कूलों की निगरानी का कमा शुरू हुआ है, तब से हेडमास्टर और शिक्षकों को कई तरह का टास्क मिला है और औचक निरीक्षण के समय यह देखा भी जा रहा है कि दिए गए निर्देशों का स्कूलों में अनुपालन हो रहा है या नहीं। हर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 75% तक लाने का निर्देश दिया गया है। वही शौचालयों की साफ-सफाई न रहने पर कार्रवाई करने की बात कही गयी है। पुरूष शिक्षक जींस पैंट, टीशर्ट में स्कूल नहीं आ रहे हैं तो महिला शिक्षिकाओं के परिधान भी बदल गये हैं। बता दें कि पद संभालने के बाद के.के. पाठक ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को जींस और टीशर्ट पहनकर ऑफिस आने पर भी पाबंदी लगा दी थी।

हालांकि बिहार में शिक्षकों और सरकार के बीच अपनी मांग को लेकर कई वर्षों से चली आ रही लड़ाई पर भी आइना दिखाने की भी जरूरत है। नियोजित शिक्षक की मांग को लेकर

आन्दोलनरत्त शिक्षकों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागकर सरकार और उनके प्रशासन, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरूस्त करने में वह सहायता करेंगे? हकीकत तो यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के आदेशों को दबी जुबां में भी कहने से डरने वाले शिक्षक उनके आदेशों को हिटलरशाही का नाम दे रहे हैं। यहां यह भी सच है कि बैलगाड़ी में मोटर इंजन लगाकर उसे हांका नहीं जा सकता। किसी जानवर या व्यक्ति के सिर पर बोझ उतने ही डालने चाहिए, जिससे उसे दर्द भी ना हो और काम भी पूरा हो जाये। दूसरी तरफ शिक्षा को दुरूस्त करने के लिए शिक्षक का जिंस-टीशर्ट पहनना मायने नहीं रखता। क्योंकि जो बच्चे अपने शिक्षक से शिक्षा लेंगे, वह जिंस-टीशर्ट पहनेंगे या नहीं, इसका फैसला उसके परिजन या वह स्वयं ले सकते हैं। इसलिए परिधान पहनने पर सवाल उठाना बेतुका है। वही जिन शिक्षकों का मूल कार्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना है, उसके बदले सरकार उनसे कई तरह के अन्य कार्य वर्षों से कराती आ रही है और वह शिक्षक इसके आदतन हो चुके हैं, उसे अचानक सुधारना कठिन होगा, किन्तु के.के. पाठक का यह आदेश इस दिशा में उचित है। वही बिहार में शिक्षा की कमियों पर कार्य कर रहे और वर्षों से विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे विभिन्न संगठनों के पत्रकार यह भलीभांति जानते हैं कि सरकार ने विद्यालय भवन पर प्रथम नजर नहीं डाली, नतीजतन कही छत से पानी चुते देखे गये तो कही बरसात के मौसम में कैंपस के बीचो-बीच बने विद्यालय जलमग्न देखे गये। कइयों में वर्षों से ताला भी लटका नजर आया। ये हालात बिहार के विद्यालयों का है, जहां पर उचित शिक्षा का माहौल बनाने की बात की जा रही है। वही जिन विद्यालयों के प्रधानाचार्य अनुपस्थित या लेटलतीफ होते हैं, वहां शिक्षकों की उपस्थिति और समय पर उपलब्ध होना कितना मायने रखता है। किंतु इस दिशा में भी के.के. पाठक के आदेश उचित हैं। क्योंकि प्राचार्य, शिक्षक अगर ससमय उपस्थित होंगे तो विद्यालय समय पर खुलेंगे और बच्चे की उपस्थिति भी संभव होगी। गौरतलब है कि बिहार में इन दिनों जातीय गणना अपने आखिरी कार्य दिनों पर है। श्रीमान अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का कहना कि शिक्षा के कार्य के बाद जातीय गणना के कार्य को करना है और तो और उन्हें लौटकर आने के बाद डाटा इंट्री भी करनी है तो भलां अपर मुख्य सचिव बतायें कि क्या बिहार सरकार के सारे कर्मचारियों का वेतन अकेला उन शिक्षकों को ही मिलता है, जिनसे अत्यधिक कार्य भी कराये जाये और गलती होने पर उनके वेतन तक काट लिये जाये! हालांकि सुधार के लिए प्रयोग जरूरी है। चूकि के.के. पाठक एक दिलेर, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं और उनका इतिहास भी है कि जहां वह जाते हैं अपने नाम की डंका बजाकर ही आते हैं।

बहरहाल, इसी तरह से के.के पाठक के आदेशों और फरमानों का सिलसिला जारी रहा तो उम्मीद लगायी जा सकती है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति निजी विद्यालयों से बेहतर हो जायेगी और उन विद्यालयों में गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने बच्चों का भविष्य संवार सकेंगे, जो आज आर्थिक बोझ तले निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलवाने के साथ ही अलग से कोचिंग की व्यवस्था करने को मजबूर हैं।●

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का मतलब ही बन गया है लूट की छूट

कार्यपालक निदेशक संजय सिंह ने एसपीएम अविनाश के झांसे में आकर विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त और स्वास्थ्य आयुक्त के आदेश को पलटा !

● **त्रिलोकी नाथ प्रसाद**

राज्य स्वास्थ्य समिति की स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण कार्यक्रम के संचालन के लिए किया गया था, लेकिन अब राज्य स्वास्थ्य समिति का संचालन स्वास्थ्य में सभी स्तर पर लूट योजना के तहत किया जा रहा है! राज्य स्वास्थ्य समिति के पूर्व और वर्तमान मुखिया इस महालूट योजना को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। वर्तमान प्रमुख राज्य स्वास्थ्य समिति को महालूट योजना को तेज करने के कारण पुरस्कार स्वरूप स्वास्थ्य विभाग का सचिव भी बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एनएचआरएम घोटाला तो सीबीआई के दांव-पेच के भेंट चढ़ गया, लेकिन अगर बिहार के एनएचआरएम की एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति की जांच की जाए तो यहां लगभग 10000 करोड़ की अनियमितता हुई है और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी हाल में चर्चित 102 एंबुलेंस संचालन का मामला हो या उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का या एनएचआरएम योजनाओं के प्रसार हेतु प्रिंटिंग का, इसमें भ्रष्टाचार करोड़ों नहीं अरबों में हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के एसपीएम द्वारा अपनी एवं प्रिय कैडर डीपीसी को इस हद तक जाकर सपोर्ट किया जा रहा है की डीपीसी का स्थानांतरण भी नहीं होने देना चाह रहे हैं और इन्हें जिले में शक्तिशाली बनाने के लिए एक्जुटिव कमेटी के आदेश को भी धत्ता बताते हुए कार्यपालक निदेशक स्तर से ही पत्र निकलवा दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि राज्य स्वास्थ्य समिति के एक्जुटिव कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त, उपाध्यक्ष, वित्त आयुक्त और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य जैसे बड़े अधिकारी होते हैं।

केवल सच ने अपने पिछले अंक में लिखा था कि एसपीएम जो चाहते हैं कार्यपालक निदेशक वही करते हैं। जैसे प्रधान सचिव के पत्रांक-10180, दिनांक- 30/12/2013 द्वारा सभी जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यकलापों को लेकर एक्जुटिव कमेटी में निर्णय लेकर सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखा कि डीएचएस में फाइल इनीशिएटिंग ऑफिसर कौन होंगे? परंतु एसपीएम अपने घमंड में चूर होकर कार्यपालक निदेशक से पत्रांक-727, दिनांक-09/05/2023 द्वारा पत्र निकलवा कर डीएचएस में डीपीसी संबंधित संचिका इनीशिएट करेंगे और बिना डीपीएम और डीएम का संचिका सीधे उपाधीक्षक सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को स्थापित करेंगे। एसपीएम का कहना है कि मेरे लिए डीएचएस में सर्वेसर्वा डीपीसी हैं। क्योंकि प्रत्येक माह इन लोगों से उन्हें जो राशि प्राप्त होती है, वह ऊपर तक बंटती है। उच्चाधिकारी किस परिस्थिति में इस प्रकार के पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं यह तो जांच का विषय है। उक्त पत्र से यह स्पष्ट होता है कि सच

झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रॉंची
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं0–U51228JH2010SGC014519, TIN No - 20520108277
उत्पाद भवन, भूतल, नवीन पुलिस केन्द्र के सामीप, कॉके रोड, पिन–834008
E-mail :- jsbcl.jharkhand@gmail.com

पत्रांक :- 767 रॉंची, दिनांक :- 11/04/2023

प्रेषक,
प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरशन लि०,
झारखण्ड, रॉंची।

प्रेषित,
Managing Director,
Urmila International Services Pvt. Ltd.

विषय :– E-Tender No JSBCL/Tender/2022-23/04 दिनांक– 16.02.2022 (E-TENDER FOR EMPANALMENT OF PLACEMENT AGENCY) के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबध में सूचित करना है कि झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि० के द्वारा E-Tender No JSBCL/Tender/2022-23/04 दिनांक– 16.02.2022 (E-TENDER FOR EMPANALMENT OF PLACEMENT AGENCY) के माध्यम से आपके फर्म का चयन Zone- 7 एवं Zone- 10 में JSBCL द्वारा संचालन की जाने वाली खुदरा उत्पाद दुकानों में मानव बल उपलब्ध कराने हेतू किया गया था। चयन के आलोक में निगमीय पत्रांक– 627 दिनांक– 22.03.2023 के माध्यम से LOI निर्गत कर उक्त दोनों जोन का BG जमा करने के लिये निदेश दिया गया था।

आपके द्वारा कार्य प्रारंभ किये बिना ही पत्र सं०– UISPL/2023/006 दिनांक– 07-04-2023 के माध्यम से कुल 6 बिन्दुओं का उल्लेख करते हुये JSBCL पर आरोप लगाते हुये काम करने में असमर्थता व्यक्त की गयी है। जिसके कारण Section- IV के कंडिका– 5(a) के आलोक में आपके द्वारा दोनों जोन के लिये जमा की गई EMD की राशि को जब्त किया जाता है।

आपको निदेश दिया जाता है कि JSBCL पर लगाये गये आरोपों के संबंध में उचित साक्ष्य पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि सत्यापन के पश्चात उन पर उचित आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न निविदा के Section- VII के कंडिका– 1.2 "The Corporation reserves the right to black list a bidder for suitable period in case it fails to honour its bid without sufficient grounds." के आलोक में JSBCL पर लगाये गये आरोपों के सत्यापन न होने की स्थिति में आपकी कम्पनी को काली सूची में डालते हुये नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

10/4/23
प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि०,
झारखण्ड, रॉंची।

में एसपीएम ही राज्य स्वास्थ्य समिति के बॉस हैं। यह आलेख 100% सही है। केवल सच जानना चाहता है कि ऐसी कौन सी बात हो गई डीपीसी को डीपीएम और डीएम बायपास करने का अधिकार मिला और पूर्व में एक्जुटिव कमेटी से पास है। प्रधान सचिव के लेटर में स्पष्ट था कि फाइल इनीशिएटिव ऑफिसर कौन होंगें, तो किस परिस्थिति में डीपीसी को यह अधिकार दिया गया? केवल सच ने पिछले अंक में लिखा था कि राज्य स्वास्थ्य समिति के मानव संसाधन नियम के तहत डीपीसी, डीपीएम और डीएम एंड ईओ और डीसीएम का पद स्थानांतरित पद है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के नियम तो राजा के मंत्री **अविनाश पांडे** की मर्जी से चलता है। इसलिए 3 पदों को स्थानांतरण तो किया गया, लेकिन डीपीसी और डीसीएम का स्थानांतरण नहीं किया जाता है। अब जब वर्षों से जमे हैं और लूट की छूट मुख्यालय से प्राप्त हो तो दुष्परिणाम निकलना ही था। सीतामढ़ी में नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को धत्ता बताते हुए सीतामढ़ी जिला स्वास्थ्य समिति के डीसीएम यानी जिला सामुदायिक उत्प्रेरक मतलब आशा कार्यकर्ता के बॉस समरेंद्र नारायण वर्मा शराब के नशे में हंगामा करते रुन्नीसैदपुर थाना में गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा समाचार लिखे जाने तक इनपर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि हमाम में सारे लोग नंगे हैं।

राज्य स्वास्थ्य समिति में अविनाश बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे एसपीएम अविनाश पांडे हो या उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अविनाश बाबू। इन दोनों के बिना राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्ता भी नहीं हिलता है। डाटा मैनेजमेंट के लिए 2019 में टेंडर निकलता है। टेंडर नंबर-NIT/02/SHSB/PPP- 2019-20 भारी अनियमिता और भ्रष्टाचार के तरीकों को अपनाकर उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करते हुए 20 मार्च 2012 को इकरारनामा कर लिया जाता है। NIT और BID के विरुद्ध 3 सालों के लिए इकरारनामा किया जाता है। अब जब 19 मार्च 2023 को एकरनामा की अवधि समाप्त हो गई तो उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की अवधि उसके अच्छे कामों को देखकर बढ़ा दिया और आलेख लिखे जाने तक अभी तक आउटसोर्सिंग के लिए निविदा भी नहीं प्रकाशित की गई। अब उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का जलवा इतना है कि मध्य प्रदेश में भी पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारियों से पैसे लेकर नौकरी देने का इनपर आरोप है, तो वही दूसरी तरफ झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची में काली सूची में दर्ज करने का नोटिस जारी हो चुका है। बिहार में पैसे लेकर नौकरी देने के सैकड़ो मामले प्रकाश में आ चुके हैं, वहीं दूसरी ओर 3 महीने का वेतन नहीं देकर सैकड़ो डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा बिना पूर्व नोटिस के ही समाप्त करने का आदेश उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी **प्रिय रंजन राजू** से पूछने पर उन्होंने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे कर्मचारी नहीं है, इसलिए हम उनकी खैर खबर नहीं रखते हैं। अब उनको कौन समझाए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर रखना और हटाने का आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश पर ही निर्गत होता है, तो वेतन देने की जिम्मेदारी भी आपकी

नशे में स्वास्थ्य विभाग के डीसीएम गिरफ्तार

रून्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। सीतामढ़ी स्वास्थ्य विभाग के डीसीएम समरेन्द्र नारायण वर्मा को बुधवार देर रात पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। रून्नीसैदपुर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि डीसीएम सीतामढ़ी–मुजफ्फरपुर पथ पर रून्नीसैदपुर टोल प्लाजा के समीप एक ढाबा में शराब पीकर शोर मचा रहे थे। उसी समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

DOSA/2/2023-DATA CENTRE-BSHS

I/69982/2023

Letter No: SHSB/DOSA/109/2020/..........
Patna, Dated: ..../........../2023

Priya Ranjan Raju, B.A.S.
OSD-cum-I/c DMU

To,

M/s Urmila International Services Private Limited,
Software Technology Park of India (STPI),
New Incubation Building, 1st Floor, Software
Polytechnic College, Patna, Bihar-800013

Subject: Regarding revising the number of DMUs operated/working in Microbiology Department of Medical College, RMRI, Covid Control Room & Health PS Cell, Department.

Ref: SHSB Renewal Letter No. 608, Dated: 28.04.2023

Sir,

As per the subject and reference mentioned above and directed, it is to be informed that the number of DMUs operated/working in Microbiology Department of Medical College, RMRI, State level Covid Control Room & PS Cell, Health Department for the purpose of Covid-19 RT-PCR test record entry, uploading & reporting, is being revised from 01.08.2023 as per the count given below -

Sl. No.	MCH/Institution	Outsourced DMU
1	SHSB, Patna	4
2	RMRI, Patna	4
3	IGIMS, Patna	1
4	AIIMS, Patna	1
5	PMCH, Patna	1
6	SKMCH, Muzaffarpur	1
7	DMCH, Darbhanga	1
8	JLNMCH, Bhagalpur	1
9	ANMMCH, Gaya	1
10	NMCH, Patna	1
11	PS Cell, Health Dept.	1
	Total:	17

2. Others terms & conditions are remained same as renewal work order no.-608 dated 28.04.2023.

Yours Sincerely
Sd/-
(Priya Ranjan Raju)

Memo No. : 2482 Date: 19/7/23

Copy to:

1. Additional Chief Secretary Health-cum-Chief Executive Officer, SHSB, for your kind information.

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

---

Urmila International Services Pvt. Ltd.
We Grow Together

CIN : U93000BR2015PTC025097

पत्रांक :– UIS/2023/1549 दिनांक :– 20/07/2023

प्रेषक,

उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा० लि०,
न्यू इन्क्यूबेशन बिल्डिंग, प्रथम तल्ला,
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस०टी०पी०आई)
राजीव नगर रोड, पाटलीपुत्रा कॉलोनी
पटना, बिहार– 800013

सेवा में,

माइक्रोबॉयोलॉजी अन्तर्गत कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटर,
(COVID-19 & RT-PCR REPORTING).

विषय :– **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा समाप्त करने के संबंध में।**
प्रसंग :– **राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 2482 दिनांक 19/07/2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक मे आवश्यक कार्यवाई करते हुए दिनांक 01/08/2023 से आपकी सेवा समाप्त की जाती है। उक्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

धन्यवाद।

संलग्नः–सेवा समाप्त किए गए डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सूची।

(मानव संसाधन)
उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा० लि०

प्रतिलिपि– अधीक्षक AIIMS/DMCH/GAYA ANMCH/IGIMS PATNA/JLNMCH/PMCH/NMCH/SKMCH/RMRI को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– प्रोजेक्ट मैनेजर, माइक्रोबॉयोलॉजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिला समन्वयक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(मानव संसाधन)
उर्मिला इन्टरनेशनल सर्विसेज प्रा० लि०

Reg. Office : 1st Floor, New Incubation Building, Software Technology Parks of India, Rajeev Nagar road, Patliputra Colony, Patna - 800013. Email : info@uistech.in | PH No. : 0612 - 2540193.
Corp. Office : A-44, Block A, 2nd Floor, Connaught Place, New Delhi - 110001

है। बिहार का श्रम विभाग सिर्फ निजी कारखाने को तंग करने के लिए है या बिहार सरकार के पोषित और बिहार के नौजवानों के लिए कैंसर बन चुके उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर भी श्रम विभाग का नियम लागू होगा।

राज्य स्वास्थ्य समिति में अभी जो सबसे बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, वह 102 एंबुलेंस के संचालन में निविदा शर्तों में उलट-पुलट कर पीडीपीएल को निविदा आवंटित करने का है। मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम अगले अंक में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए जो सामग्री छपती है, इसमें भी करोड़ों नहीं अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है। इस संबंध में आप केवल सच के अगले अंक का इंतजार कीजिए, आपको अरबों रुपया का एनएचआरएम घोटाला सामने आ जाएगा।

राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक और बड़े घोटाले की रूप रेखा तैयार कर ली है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने GFR के नियम का उल्लंघन कर रॉडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग के डिजिटेशन का

भोपाल से प्रकाशित
दैनिक द लुक

…रुवार, 20 जुलाई, 2023 E-paper: thelook.org.in कुल पेज-08 मूल्य 1.00 रुपए

उर्मिला इंटरनेशनल के सुपरवाइजर का जलवा

नरसिंहपुर में आउटसोर्स कर्मचारियों का जमकर शोषण – एक कर्मचारी के 70 हजार मांगे जा रहे हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जमकर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ लूट मची हुई है

जबलपुर में उर्मिला कंपनी ने 18 लड़कों का वेतन नहीं दिया -अधिकारियों से कहा उसके कर्मचारी नहीं

ठेका दे दिया है। निविदा भी गजब तरीका से किया गया। निविदा का मसौदा स्वास्थ्य विभाग से तैयार हुआ। निविदा BBSICL द्वारा किया गया और इकरारनामा राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया गया। क्योंकि BMSICL में उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का भी दाल नहीं गला और राज्य स्वास्थ्य समिति को लूट की छूट देने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए इकरारनामा राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ किया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति में पहले से उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, संजीवनी एप्लीकेशन और प्रिंटिंग प्रेस वाले को लूट में छूट है। आपको याद दिलाते चले कि रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डिजाइन के कारण भागलपुर-अगुवानी पुल ध्वस्त हो गया था। आज बिहार राज्य पुल निगम, बिहार सड़क निगम, बिहार विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी विभागों का मुख्य डिजाइनर रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड है।

बिहार के अस्पतालों में संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से OPD स्लीप और दवाओं का वितरण होता है। संजीवनी एप्लीकेशन में भी बिहार के आईएस अधिकारी द्वारा संचालित है। पहले राज्य स्वास्थ्य समिति से उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड और संजीवनी को ही जनता को लूटने कि छूट थी, लेकिन तीसरा कंपनी रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड धूम-धड़ाके के साथ आ गया है। रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी एप्लीकेशन का नाम भव्या रखा है। BMSICL ने वर्ष 2022 में

निविदा संख्या- BMSICL/MSPBSHSD/ 22/01 के माध्यम से पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग को डिजिटेशन करने के लिए निविदा निकाला था, जिसमें नियमों को तोड़-ममोड़ कर भारत सरकार के कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को योग्य घोषित किया गया। आज एक वर्ष बीत जाने के बाद पहले 13 जिलों में काम करने

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

–2–

4. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कार्यक्रम Comprehensive Primary Health Care Delivery से संबंधित है। अतः सभी प्रखण्ड में हेल्थ एण्ड वेलनेस कार्यक्रम के कार्य हेतु प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक को प्रखण्ड स्तरीय सलाहकार के रूप में नामित किया जाता है। ये लोग संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के कियान्वयन, अनुश्रवण एवं अन्य कार्य में सहयोग करेंगे एवं इस कार्यक्रम से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय जानकारी जिलास्तरीय प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट/ राज्य को उपलब्ध करायेंगे।

5. जिलों में अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग), जिला योजना समन्वयक (DPCs) एवं सलाहकार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा जिलों में विकसित HWCs का निरन्तर अनुश्रवण कराया जाय। अनुश्रवण के लिये प्रपत्र को इस पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।

कृपया अपने जिला में उपरोक्त व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराया जाय।

अनु० यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक: 727 ,पटना/ दिनांक: 09/5/23

प्रतिलिपिः
1) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2) जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3) सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
4) सभी अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग), बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
5) राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, शहरी स्वास्थ्य मिशन, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

9/5/23
सचिव स्वास्थ्य–सह–
कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना - 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014,
Tel : 0612-2290340, 2281545, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

दीपक कुमार, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य–सह–
मख्य कार्यपालक पदाधिकारी

पत्रांक :– SHSB/FA/86/09- 10180

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

पटना, दिनांक :– 30.12.13

विषयः जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के इकाईयों को उपावंटन हेतु चेक हस्ताक्षर के अधिकार के संबंध में ।

प्रसंगः राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्र संख्या 11117, दिनांक 09.07.2009 ।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 26.02.2013 को मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा आयोजित राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कतिपय जिला पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति में निहित 5 लाख रूपये के व्यय की शक्तियों को बढ़ाने का अनुरोध किया गया ।

किये गये अनुरोध के आलोक में सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में विषयवस्तु की समीक्षा एवं अनुशंसा हेतु एक समिति का गठन किया गया । इस समिति से प्राप्त अनुशंसा को राज्य स्वास्थ्य समिति के 11वीं Executive Committee की बैठक में दिनांक 05.10.2013 को एजेंडा नम्बर–18 पर रखा गया तथा इस प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य स्वास्थ्य समिति के Executive Committee से प्राप्त हुआ । तदोपरांत् दिनांक 02.12.2013 को राज्य स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय में 11वीं Executive Committee की बैठक में लिये गये निर्णय को संपुष्ट किया गया । अतः राज्य स्वास्थ्य समिति के Executive Committee तथा शासी निकाय में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्र संख्या 11117, दिनांक 09.07.2009 में निम्न रूप से संशोधन किया जाता है –

1. भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ROP (NRHM approval) के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति तथा जिला स्वास्थ्य समिति के अधिन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के अधिन वार्षिक बजट का अनुमोदन सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति से वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में करा लिया जायेगा ।
2. जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट के अधिन विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को राशि उपावंटन हेतु जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी तथा अनुमोदित बजट के अधिन विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राशि उपावंटन करने के लिये सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव स्वतंत्र होंगे । यदि राशि उपावंटन में अनुमोदित वार्षिक बजट से भिन्नता होती है तो उस पर जिला स्वास्थ्य समिति/जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

तीन साल का अन्तर अच्छा, स्वस्थ माँ मजबूत बच्चा।

अविनाश कुमार

प्रत्यय अमृत

प्रियरंजन राजू

की सुगबुगाहट शुरू हुई है। रॉडिक कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को सभी रोगियों का एक ID बनाना है, जिसमें रोगियों के सभी प्रकार का डाटा, जांच रिपोर्ट, बीमारी, दवा आदि का विवरण संग्रहित रहता है, लेकिन अभी एक साल में सिर्फ सुगबुगाहट होना अपने आप में भ्रष्टाचार को दिखाता है। रॉडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को निविदा QCBS नियम के तहत भारत सरकार की खरीद नीति GFR का उल्लंघन कर दिया गया। इस विषय में ज्ञात हो कि QCBS निविदा नियम पर बिहार वित्त नियमावली में कुछ भी नहीं कहा गया, तो भारत सरकार की खरीद नीति GFR को मानना चाहिए। लेकिन नियमों को ताख पर रखकर रॉडिक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दे दिया गया। जब कंपनी खुद अधिकारियों का हो या अधि कारियों का बर्धस्त प्राप्त हो तो डरने की कोई बात नहीं। ऊपर से राज्य स्वास्थ्य समिति समिति में लूट की छूट जो है।

राज्य स्वास्थ्य समिति को उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड से इतना प्यार है कि उनके ईमानदारीपूर्वक कार्य को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने मेमो नंबर -673, दिनांक-03/05/23 से उनको एक वर्ष और बेरोजगार युवकों से लूटने की छूट प्रदान कर दी है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह चाहती है कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

पत्रांक: SHSB/SPM/332/2017/727 दिनांक: 09/5/2023

प्रेषक:
संजय कुमार सिंह, भा0प्र0से0
सचिव स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक

सेवा में,
सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
सभी जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार

विषय: हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कार्यक्रम के जिला स्तर पर सुदृढ़िकरण हेतु जिला स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) की स्थापना हेतु।

महाशय,

जैसा कि आपको मालूम है, 1243 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 106 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 8807 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (कुल 10246) हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप मे विकसित है। इन केन्द्रो के माध्यम से बारह प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें जनभागस को दी जाती हैं। गत जनगणना के आकड़ो के अनुसार राज्य की लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। सरकार के सात निश्चय–2 के अनुपालन में राज्य की ग्रामीण जनसंख्या को उनके घर के निकट, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के प्रयास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किये जाने हैं। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास करने वालों को, उनके घर के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

2. वर्तमान में इस कार्यक्रम के जिलास्तरीय सलाहकार के रूप में जिला योजना समन्वयक नामित हैं, जो कि संबंधित सिविल सर्जन को इस कार्यक्रम के कियान्वयन/ अनुश्रवण कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। इस कार्यक्रम के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे समरूप कियान्वयन एवं निरन्तर अनुश्रवण की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का जिलास्तरीय प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके सदस्यों के रूप में निम्नांकित पदाधिकारियों/ सलाहकारों को नामित किया जाता है :–

(i) अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (गैर संचारी रोग) नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।
(ii) जिला योजना समन्वयक पूर्व की भांति नोडल सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। जिला योजना समन्वयक सभी सचिकाओं को इनके माध्यम से सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सभी संचिकायें उपस्थापित करेंगे।
(iii) जिला अनुश्रवण एवं मूल्यान्कन पदाधिकारी, (जो कि पूर्व से eSanjeevani के नोडल सलाहकार नामित हैं)। HWC एवं eSanjeevani portal से संबंधित सभी प्रकार के प्रशिक्षण, आंकड़ों की ससमय प्रविष्टि, मॉनिटरिन्ग
(iv) सलाहकार, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम
(v) Jhpiego एवं CARE (सहयोगी संस्थाओं) के एक–एक प्रतिनिधि

3. प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (PMU) संबंधित सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुसार जिला में कियान्वयन, अनुश्रवण, पोर्टल updating, इस कार्यक्रम अन्तर्गत उपबन्धित राशि का मार्गदर्शन के अनुसार उपभोग सहित इस कार्यक्रम से संबंधित अन्य सभी कार्य/ निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं संबंधित सिविल सर्जन को ससमय feedback प्रदान करेंगे। इस यूनिट की प्रत्येक माह कम–से–कम एक बैठक आयोजित की जाय जिसकी कार्यवाही पंजीबद्ध की जाय एवं उस पर संबंधित सविल सर्जन का अनुमोदन प्राप्त कर, निर्णयों का ससमय अनुपालन का दायित्व प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट का होगा।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

(iii)

में संयुक्त हस्ताक्षर संस्थान के उपाधीक्षक तथा सिविल सर्जन के द्वारा किया जा रहा है । सिविल सर्जन प्रशासनिक कार्यों में ज्यादा ध्यान दें, इसलिये उन्हें इस कार्य से मुक्त करते हुये संचिकाओं के उपस्थापन का दायित्व अस्पताल प्रबंधक के माध्यम से संस्थान के उपाधीक्षक को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है तथा प्रस्ताव अनुमोदनोपरांत चेक हस्ताक्षर का दायित्व अस्पताल प्रबंधक तथा संबंधित संस्थान के उपाधीक्षक को सौंपा जाता है ।

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार निम्न प्रकार से चेक हस्ताक्षर करने की शक्तियां प्रदान की जाती है –

Sl. No.	Name of Programme	File Initiating Officer	Movement of File through (Recommending Officer)	Officer authorised for approval		Financial Limit Cheque Signing Authority	
1	NRHM Part- C to I Malaria/Kala-azar/ Tuberculosis/ Leprosy/Blindness/ Filaria/ R.I./P.P. etc. (DMO/DLO/DHO/ DTO/DIO)	Concerned Programme Officer	ACMO	Upto 15,00,000/- (ACMO)	Above 15,00,000/- (D.M.-Cum-Chairman, DHS)	Upto 25,00,000/- Above 25,00,000/-	DPO + ACMO ACMO + DM
2	NRHM Part- A + B (DHS)	DPM	C.S.	Upto 15,00,000/- (C.S.)	Above 15,00,000/- (D.M.-Cum-Chairman, DHS)	Upto 25,00,000/- Above 25,00,000/-	DPM + C.S. C.S. + D.M.
3	NRHM Part- A to I (SDH/RH/PHC)	BHM/ Hosp. Manager	MOIC	BHM/ Hosp. Manager + MOIC			
4	NRHM Part- A to I (District Hospital)	Hospital Manager	Deputy Superintendent	Hosp. Manager + D.S.			

तदनुकूल निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अंकित दिशा–निदेश पर दृढ़ता से अनुपालन करते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,
(दीपक कुमार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR
Parivar Kalyan Bhawan, Patna 800014, Tele: 0612-2281545,2290340, Fax: 0612-2290322
Email: ed@statehealthsocietybihar.org, ed_shsbihar@yahoo.co.in, Web site- www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Sanjay Kumar Singh I.A.S
Executive Director

Letter No.: SHSB/DOSA/101/2019/P-I/2283

To,

Urmila International Services Pvt Ltd.,
1st Floor, New Incubation Building,
Software Technology Park of India,
Rajeev Nagar Road, Patliputra Colony,
Patna-800013.

Patna, Dated: 27/03/2023

Subject: - Extension of Master Service Agreement (MSA) entered into on 28.03.2020 by State Health Society, Bihar and Urmila International Services Pvt Ltd.

Ref:
1. Letter No.-SHSB/DOSA/101/2019/9151, Dated. 07/03/2020.
2. Notice Inviting Tender (NIT) Reference No.-2/SHSB/PPP (DATA MANAGEMENT UNIT(DMU))/2019-20 (PR. No.-02667 (Ni. Ni.) 2019-20.

Sir,

This is to notify that your request vide Letter no:-UIS/2023/74 dated 12.01.2023, for extension of Master Service Agreement (MSA) dated 28.03.2020, for Establishment and operating of Data Management Units (DMUs) under Sanjeevani, Data Centre, RPMU & Medical Colleges in all 38 districts of Bihar, has been considered and given approval in the 34th meeting of Executive Committee, held on 17.03.2023.

This is for your information that the above mentioned agreement has been extended for a period of one year or till the selection of new agency, whichever is earlier. Also the rate, terms and condition of the extended agreement will remain same as mentioned in the Master Service agreement dated 28.03.2020.

You are hereby required to undertake the following activities against the approved extension:

a. Submit the signed copy of this letter, as acceptance of extension as per rate and terms & conditions defined in the Master Service Agreement, within 7 days of the issuing date of this letter.

b. Submit a fresh performance security of Rs. 2,00,00,000/- (Rupees Two Crore Only) or extended the existing submitted performance security of Rs. 2,00,00,000/- (Rupees Two Crore Only) as defined in the signed contract agreement, within 15 days of the issuing

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

date of this letter – as per Clause-2.2 (PROJECT DURATION) of the signed Master Service agreement. The Bank guarantee should be valid for a period, which is six months beyond the date of expiry of the extended contract agreement.

2. Non-fulfilment of any of these conditions will result in cancellation of the extension and forfeiture of the performance security with consequential action, if so desired by State Health Society, Bihar.

You are requested to undertake the aforementioned actions at the earliest.

Yours Sincerely
(Sanjay Kumar Singh)

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना– 800 014,
दूरभाष: 0612–2290328, फैक्स: 0612–2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

WHEREAS,

(a) The State Health Society, Bihar (SHSB), Patna is implementing National Health Mission (NHM) to carry out various health related program and strengthening the health delivery system, in the state of Bihar.

The government owned health facilities in the state, provide a wide range of healthcare services and report data every month. Data from these health facilities is drawn into a web-based monitoring system comprising of Health Management Information Systems (HMIS), RCH Portal, Patient Registration & Drug Distribution System etc., Human Resource Information System (HRIS), RBSK Portal etc. for reporting health indicator values through consolidation of data points at the Block level, Hospital level, District HQ level for Chief Medical Officers(CMOs), and Divisional/State level. These indicators values help:

- Monitor and evaluate program performance and interventions under National Health Mission (NHM)
- Provide key inputs for health policy formulation and interventions

At the core of this system of generating pre-determined indicator values, is the aggregated facility-based / population-based data compiled from a set of paper-based registers and other source documents. Data is generated from these government owned health facilities across the state, where it is entered into the portal by Data Entry Operators (DEOs) for further reporting & analysis purposes.

(b) The State Health Society, Bihar (SHSB), Patna to select agency "for establishing Data Management Units (DMUs) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare facilities and health department offices, in all 38 districts in the state of Bihar, for a period of three (3) years from the date of contract agreement, had published on its website https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON, the Notice Inviting Tender (NIT) No.: **02/SHSB /PPP (DATA MANAGEMENT UNIT(DMU)/2019-20**.

(c) Based on technical & financial evaluation of the bids, received, the State Health Society, Bihar (SHSB), Patna, shortlisted the agency **Urmila International Services Private Limited,** 31/A, 1st Floor, Banke Bihari Sadan, S. K. Puri, Boring Road, Patna-800001 as L1 bidder based on Least Cost Selection (LCS), as the service provider, for establishing Data Management Units (DMUs) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare facilities and health department offices, in all 38 districts in the state of Bihar and issued, Letter of Intent (LoI), vide letter no. SHSB/DOSA/101/2019/9151, dated 07/03/2020, mentioned in **Schedule 1** of this agreement.

(d) The agency/service provider **Urmila International Services Private Limited, Patna** has submitted Performance Security(PS), for the sum of Rs 2,00,00,000 (Rupees Two Crore only) in the form of bank guarantee No.- 087GT02200770001 from HDFC Bank, Dated: 17.03.2020, Expiry on 15.09.2023 vide letter No. UIS/2020/158, Dated: 18.03.2020 which is valid *for* a period of 6 months beyond the date of expiry of this agreement.

(e) **CONTRACTED RATE FOR THE SERVICE PROVIDER**

1. The agency shall provide services for establishing Data Management Units (DMU) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare

Page 2 of 21

आम जनता तक पहुंचे, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति उसी योजना में कितना लूट संभव हो, यह पूरी ईमानदारी के साथ करती है। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, प्रशासनिक अधिकारी, राज्य अधिकारी के रूप में तैनात स्वास्थ्य प्रशिक्षक और राज्य स्वास्थ्य समिति में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों की संपत्ति करोड़ों नहीं अरबों में हो चुकी है।

नीतीश कुमार की सरकार में अधिकारियों का बोलबाला है। बिहार में अधिकारी ही राज्य चला रहे हैं। जब जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है, तो उन्हें लूटने से कौन रोक सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य में इतने शक्तिशाली हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदोन्नति तक नहीं होने दे रहे, जिस कारण सत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की हाथ की कठपुतली होकर रह गयी है। राज्य में मंत्रियों के अधिकारों को भी कुचल कर रख दिया गया है, जिससे मीडिया में न्यूज आने या परिवाद और जनहित याचिका से भी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आज संपूर्ण प्रशासनिक बदलाव की आवश्यकता है, नहीं तो नीतीश कुमार के विकास को यह अधिकारी भस्मासुर के तरह भस्म कर देंगे।●

ना खाता ना बही जो रेणु कहे, वही सही

● **शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला**

किसी भी पत्रकार का काम है जनता और सरकार को जगाना। अगर सरकार और जनता नहीं जागना जानती है तो पत्रकार का काम है अपने कलम की धार देकर उसे जगाना। बता दें कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार की ऐसी नदी बह रही है कि हर कोई उसमें गोता लगाना चाह रहा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के समय में एक से एक घोटाले प्रकाश में आए थे। बिहार में नियमों को ताख पर रखकर नर्सिंग संस्थाओं को निबंधित करने का रिकॉर्ड में मंगल पांडे का ही नाम है। आज भी पटना उच्च न्यायालय में यह मामला जांच के लिए लंबित है। नीतीश कुमार की सरकार ने बड़े-बड़े भाजपा नेताओं का आवास वापस ले लिया लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नहीं लिया गया। पता नहीं यह रिश्ता क्या कहलाता है।

वही विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी मंगल पांडे के कार्यकाल में भी नियमों को ताखपर रखकर कार्य करती थी और शक्तिशाली अधिकारी के रूप में जानी जाती थी। आज भी तेजस्वी यादव के कार्यकाल में वही कार्य कर रही हैं। पता नहीं यह रिश्ता क्या कहलाता है?

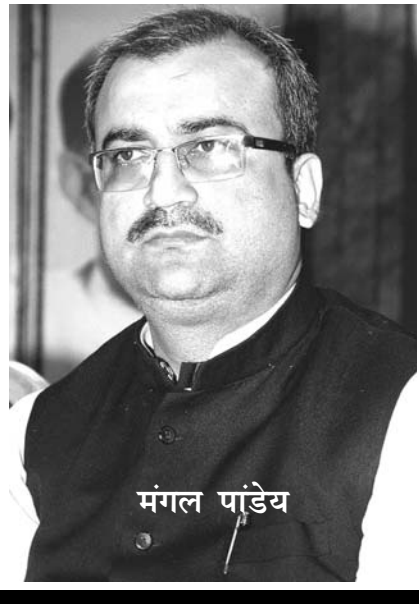
मंगल पांडेय

राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के मामले में तो रेणु कुमारी का ऐसा जलवा है कि विभाग के संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे भी विवश हैं। रेणु कुमारी और उसकी पूरी टीम जहां प्राचार्य संपूर्णानंद तिवारी को बचाने में लगी हुई है, वहीं संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे महोदय ने पत्रांक संख्या-669, दिनांक-20/07/2023 को डॉ० संपूर्णानंद तिवारी को पत्र लिखकर अंतिम मौका देते हुए 3 दिनों के अंदर लिखित जवाब देने को कहा और 1 महीने बीत जाने के बाद भी डॉ० संपूर्णानंद तिवारी पर कार्रवाई नहीं होना रेणु कुमारी के स्वास्थ्य विभाग में वर्चस्व को दिखाता है। चाहकर भी अलंकृता पांडे कुछ नहीं कर पा रही हैं। केवल सच द्वारा अलंकृता पांडे को फोन पर इस संबंध में पूछने पर उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की और कहा कि सब बातें मीडिया में नहीं बताई जा सकती हैं। विभाग द्वारा मैट्रिक, इंटर, बीएएमएस डिग्री फर्जी करार दिए जाने के बावजूद भी रेणु कुमारी के डर से डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी पर कोई कार्यवाही का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।

किसी भी अधिसूचना पर अवर सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 11/8/2023

संचिका संख्या–17/विवि–01–134/2023 791(17) स्वा०/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में चिकित्सीय कार्यों के सुचारू रूप से संचालन एवं राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के मानक के अनुरूप आवश्यकता के आलोक में जूनियर रेजिडेन्ट के 01 वर्षीय टेन्योर पदों पर चिकित्सकों को निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापन किया जाता है :–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	1	[illegible]	SHABNAM PHULEMAN	23 Sep 93	F	BC	UR	DMCH, Darbhanga
2	2	[illegible]	UTPAL KUMAR	[illegible]	M	UR	UR	JLNMCH, Bhagalpur
3	3	[illegible]	SHAMS AAGHAZ	[illegible]	M	UR	UR	DMCH, Darbhanga
4	4	[illegible]	PRIYANKA	27 Dec 89	F	UR	UR	GMC Bettiah
5	5	[illegible]	ANIRUDHA KUMAR	03-Jan-87	M	BC	UR	NMCH Patna
6	6	[illegible]	AFARINA UPADHYAY	16-Apr-89	F	UR	UR	DMCH, Darbhanga
7	7	[illegible]	TULIKA DASGUPTA	26-Nov-97	F	UR	UR	JLNMCH, Bhagalpur
8	8	[illegible]	FARHAN ABDUL HAI	21-Feb-95	M	UR	UR	DMCH, Darbhanga
9	9	[illegible]	SANDHYA	18-Oct-91	F	UR	UR	SKMCH, Muzaffarpur
10	10	[illegible]	PRACHI SATYAM	08-Sep-97	F	UR	UR	VIMS Pawapuri, Nalanda
11	11	[illegible]	MEDHA KUMARI	22-Jan-94	F	UR	UR	PMCH Patna
12	12	[illegible]	SUMIT KUMAR	10-Aug-96	M	EW	UR	PMCH Patna
13	13	[illegible]	SAKSHI	[illegible]	F	UR	UR	GMC Purnea
14	14	[illegible]	HARSHITA	04-Dec-96	F	EW	UR	GMC Bettiah
15	15	[illegible]	ANKIT KUMAR	15-Jan-98	M	UR	UR	DMCH, Darbhanga
16	16	[illegible]	AAKANKSHA SUMAN	18-Feb-99	F	EW	UR	PMCH Patna
17	17	[illegible]	SURABHI	07-Nov-93	F	UR	UR	JLNMCH, Bhagalpur
18	18	[illegible]	ANANYA CHAUDHARY	16-Nov-97	F	UR	UR	DMCH, Darbhanga
19	19	[illegible]	VAISHNAVI SINGH	[illegible]	F	UR	UR	PMCH Patna
20	20	[illegible]	VIBHUTI KASHYAP	27-Oct-98	M	UR	UR	VIMS Pawapuri, Nalanda

11. आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नही होगा।

12. विभागीय आदेश सं0–559–(17) दिनांक–31.05.2023 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में विभागीय अधिसूचना सं0–161(17) दिनांक–19.04.2022 द्वारा जूनियर रेजिडेन्ट के एक वर्षीय टेन्योर पदों पर पूर्व से नियुक्त चिकित्सकों का टेन्योर अवधि नये जूनियर रेजिडेन्ट के नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित किया गया था, जिसे नयी नियुक्ति होने संबंधी निर्गत अधिसूचना की तिथि से समाप्त समझा जायेगा।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विवि–01–134/2023 791(17) पटना/दिनांक– 11/8/2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के प्राचार्य/अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय उप मुख्य(स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 01, 02, 03, 09, 17 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

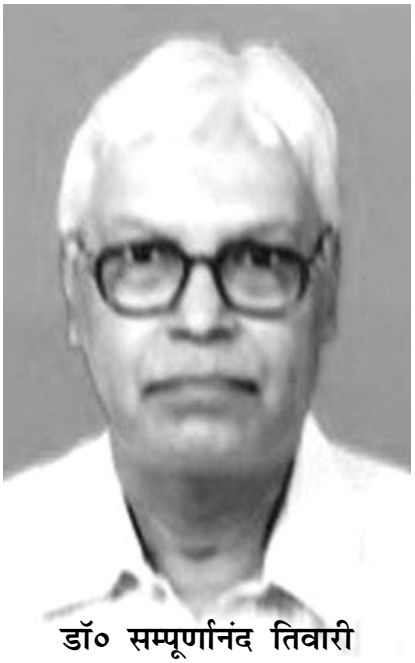

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक–सं0सं0–16/सी01–32/2022 – 679 (आ. चि.)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अलंकृता पांडे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

डा० सम्पूर्णा नन्द तिवारी,
प्राचार्य,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।

पटना, दिनांक :–20.7.2023

विषय :– विभागीय ज्ञापांक–563(आ०चि०), दिनांक–15.06.2023 द्वारा निर्गत आरोप पत्र में लगाये गये लांछन/आक्षेप के विरूद्ध तीन दिनों के अन्दर बिन्दुवार बचाव–ब्यान का लिखित अभिकथन/प्रत्युत्तर समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 3422/2022 (PIL) में दिनांक–11.03.2022 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम किशुन साह द्वारा समर्पित परिवाद अभ्यावेदन के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–563(आ०चि०), दिनांक–15.06.2023 द्वारा आपके विरूद्ध आरोप–पत्र निर्गत किया गया था तथा एक सप्ताह के अन्दर अपने बचाव–ब्यान का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था, परन्तु आपके द्वारा बिन्दुवार स्पष्ट लिखित अभिकथन/प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अंतिम मौका देते हुए कहना है कि निर्गत आरोप पत्र में आपके विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर तीन दिनों के अन्दर बचाव–ब्यान का बिन्दुवार स्पष्ट लिखित अभिकथन/प्रत्युत्तर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा यह माना जायेगा कि बचाव–ब्यान में कुछ नहीं कहना है। फलतः विधि–सम्मत कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन
(अलंकृता पांडे)
सरकार के संयुक्त सचिव।

106] सचिवालय अनुदेश

(ख) जब नीति संबंधी किसी ऐसे प्रश्न या अन्य महत्वपूर्ण विषय पर सरकारी निर्णय या आम रूप से लागू होनेवाले आदेशों को संसूचित करना हो, जो विचार-विमर्श या जांच के विषय बने रहे हों, तब उसका प्रारूप परिपत्र या संकल्प के रूप में तैयार करना चाहिये। गजट में प्रकाशित होनेवाले आम आदेशों के लिये नियमतः संकल्प रूप का व्यवहार किया जाय। कम महत्वपूर्ण विषयों पर आम जांच या आदेश के लिये संकल्प के बदले परिपत्र रूप का उपयोग किया जाय।

संकल्प के साधारणतः तीन भाग होते हैं:-

(1) प्रस्तावना जिसे, उदाहरणार्थ, इस प्रकार शुरू करनी चाहिये:- "1949-50 के बिहार भू-राजस्व-प्रशासन की रिपोर्ट पढ़ें";
(2) संकल्प; और
(3) आदेश।

इसका प्रारूप बराबर अन्य पुरुष में तैयार किया जाता है। संकल्प के पहले भाग (प्रस्तावना) में केवल अभिज्ञापन, निर्णय या आदेश [illegible] इसके बाद विचाराधीन रिपोर्ट या मामले के निबटाव [illegible]

अन्त में "आदेश" शीर्षक के अन्तर्गत संकल्प जिन विभागों या पदाधिकारियों को सूचित करना हो, उनके नाम रहते हैं। इस पर साधारणतः सचिव अथवा अपर, संयुक्त या उप-सचिव हस्ताक्षर करते हैं। इसे आमतौर से निम्न रूप में लिखा जाता है:-

"आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि ... ... को भेज दी जाय। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।"

(7) अधिसूचना,-अभिज्ञापन, राजपत्रित (गजटेड) नियुक्ति, बदली तथा वैध अधिनियमों के अधीन बने नियम और दिये आदेश प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना निकाली जाती है। अधिसूचना बराबर अन्य पुरुष में लिखी जाती है और उस पर संख्या और तारीख दी जाती है। यह अवर-सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निकलती है। आम निवेदन निम्न रूप से किया जाय:-

"बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ल॰ प्र॰ सिंह,
मुख्य सचिव"

(8) सूचना या विज्ञापन,-(क) सूचना में आम लोगों के बीच व्यापक प्रचार के लिए अभिप्रेत कुछ जानकारी रहती है, जैसे सरकारी मुद्रणालय, बिहार के अधीक्षक द्वारा निकाले सरकारी प्रकाशनों की बिक्री की सूचना।

(ख) विज्ञापन भी एक तरह की आम सूचना या घोषणा है, जो सरकारी गजट और समाचार-पत्रों के जरिये व्यापक प्रचार के लिए प्रकाशित किया जाता है, जैसे सचिवालय विभाग में निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पद भरने के लिये विज्ञापन।

(9) विज्ञप्ति या प्रेस-टिप्पणी,-नीति, आदि के बारे में कुछ विषयों पर हुए निर्णयों या कार्रवाइयों को प्रेस के जरिये संसूचित करने के लिए सरकार आमतौर से इसका उपयोग करती है। जन-सम्पर्क विभाग विज्ञप्ति को प्रकाशन के लिये प्रेस में भेजता है।

(10) तार,-(क) तार गूढ़ या सांकेतिक अक्षरों में सीधी-सादी या गुप्त भाषा में भेजा सकता है। यह बिलकुल संक्षिप्त होना चाहिये, ताकि कम-से-कम शब्दों में भाव व्यक्त हो जाय। तार लिखते समय पहला खाना प्रेषण-संख्या के लिये खाली छोड़ा दिया।

(ख) तार तभी देना चाहिये जब साधारण या द्रुत-पत्र भेजने से उद्देश्य सिद्ध न हो सकता हो।

(11) एकीकृत विभाग दो हैसियतों से काम करते हैं। एक हैसियत से ये सरकार की ओर से आदेश निकालने के लिये प्राधिकृत सचिवालय-पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से आदेश निकालते हैं और दूसरी हैसियत

डॉ० सम्पूर्णानंद तिवारी

से न्यूनतम अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किए जाने के मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी द्वारा बार-बार मुख्य सचिव के आदेश को नहीं मानना, उनके शक्तिशाली होने का सबूत है। आपको बताते चलें कि सचिवालय में विशेष कार्य पदाधिकारी का कोई भी पद अधिसूचित नहीं है। किसी भी अधिसूचना पर अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव, सचिव, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव के ही हस्ताक्षर हो सकते हैं।

अभी हाल में ही 1016 जूनियर डॉक्टरों का पदस्थापन विभिन्न मेडिकल कॉलेज में किया गया। इसमें भी मुख्य सचिव के आदेश का उल्लंघन करते हुए अधिसूचना संख्या-791(17), दिनांक-11/08/2023 पर विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी ने हस्ताक्षर किया। इसमें भी कई डॉक्टरों ने केवल सच को कहा कि इस पदस्थापन में पैरवी और पैसा का बहुत जोर रहा है। अगर एक डॉक्टर से 50000 भी लिया गया होगा तो कुल राशि 5 करोड़ की हो जाती है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टरों द्वारा दिए गए बयान पर तो यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

रेणु कुमारी स्वास्थ्य विभाग में स्थापना का कार्य भी देखती हैं। आज स्वास्थ्य विभाग में फर्नीचर से लेकर स्टेशनरी तक टूटा हुआ है। यहां तक कि विभाग में बल्ब फ्यूज होने पर भी महीनों मिन्नत करने के बाद बल्ब बदलता है। केवल सच को उस वक्त यह देखकर बहुत हैरानी हुई जब एक प्रोग्रामर ने कंप्यूटर बंद होने की सूचना और उसके खुलवाने का अनुरोध भी 'पीत पत्र के बदले' से किया। जब कंप्यूटर खोलने, स्टेशनरी का सामान मंगाने, फर्नीचर देने, फ्यूज बल बदलने की सूचना के लिए 'पीत पत्र के बदले' होने लगे तो उस विभाग को भगवान ही बचा सकता है।

अभी स्वास्थ्य विभाग में सेक्शन 16 की बॉस संयुक्त सचिव अलंकृता पांडे हैं, लेकिन चला रही हैं विशेष कार्य पदाधिकारी रेणु कुमारी। जिसके कारण संयुक्त सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग में बैठतीं ही नहीं हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के बावजूद पहली बार बिहार में अलंकृता पांडे असहज महसूस कर रही हैं। रेणु कुमारी का ऐसा जलवा है कि विभाग के मंत्री और विभागीय अधिकारी प्रमुख भी विवश हैं। मुख्य सचिव के आदेश को रद्दी की टोकरी में रखने वाले विशेष कार्य पदाधिकारी महोदय विभाग में आगे-आगे क्या करती हैं, यह तो भविष्य ही बतायेगा। फिलहाल विभाग में खाता न बही, जो रेणु कहे वही सही।●

आवास बोर्ड के राजीव नगर एसडीओ रणविजय यादव

राजनीतिक पहुंच दिखाकर करते हैं मनमानी उगाही

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

किसी भी आदमी को मुख्य रूप से रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। सरकार शहरी क्षेत्रों में अपने नागरिकों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास बोर्ड का गठन किये हुए है। आज बिहार के लगभग सभी आवास बोर्ड की आवासीय परिसर और आवास की स्थिति दयनीय और जर्जर है। सरकार ने राजधानी पटना में वर्ष 1974 में राजीव नगर क्षेत्र में 1024.52 एकड़ भूमि अधिकृत किया और नाम दिया गया दीघा हाउसिंग कॉलोनी। पटना जिला प्रशासन ने 17.42 करोड़ों रुपया भूमि अधिकरण मुआवजा दिया, लेकिन यह पैसा किसानो को नहीं दिया गया। लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। लेकिन कई लोग तो मुआवजे की आस में चल बसे और कई जाने के कगार पर हैं। आवास बोर्ड ने 2014 में एक स्कीम लायी, जिस पर आवास बोर्ड किसानों की जमीन पर मालिकाना हक जमाने के लिए रंगदारी देने की मांग की। लेकिन लोगों ने रंगदारी देने से मना कर दिया और इसी योजना का नाम रखा गया "दीघा लैंड सेटेलमेंट स्कीम"। पटना उच्च न्यायालय ने भी अपने 25/05/2023 के आदेश में राजीव नगर के भूमि अधिग्रहण पर पूरी तरह से व्याख्या की है।

1024.52 एकड़ जमीन पर आज तक किसी निजी व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं किया गया है। आवास बोर्ड में जो व्यक्ति जमीन के लिए आवेदन दिया था, उसने जब आवास के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की तो उन्हें कहा गया कि आप अपना पैसा वापस ले लें। लेकिन कइयों का पैसा आज तक आवास बोर्ड रखे हुए हैं। आवास बोर्ड ना तो पैसा दे रही है, ना तो जमीन। ऊपर से पटना जिला प्रशासन द्वारा दिए गए 17.42 करोड़ रूपया भी आवास बोर्ड के द्वारा किसानों को नहीं दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि 1974 से कई सरकार आयी और गई, लेकिन किसी ने इसका समाधान क्यों नहीं निकाला? तो इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अवैध रूप से मकान निर्मित कर रहें लोगों से मोटी कमाई सभी लोगों की जो होती है।

अभी दीघा हाउसिंग कॉलोनी के आवास बोर्ड में अधिकारी अभियंता रणविजय यादव पदस्थापित है, जिनका कभी सोशल मीडिया पर पूर्व मंत्री ताराकिशोर प्रसाद तो कभी तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में आवास बोर्ड के मंत्री भी हैं; उनके साथ रणविजय बाबू का फोटो वायरल होता है। अभियंता रणविजय बाबू यह दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरी पहुंच ऊपर

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.9422 of 2022

Satyendra Rai, son of late Keshwar Rai, resident of Mohalla-Nepali Nagar, P.S. Rajiv Nagar, District- Patna.

... ... Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna.
2. The Principle Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Bihar State Housing Board, through its Managing Director, 6, Sardar Patel Marg, Patna.
4. The Managing Director, Bihar State Housing Board, 6, Sardar Patel Marg, Patna.
5. The Secretary Bihar State Housing Board
6. The District Magistrate, Patna.
7. The Superintendent of Police, Patna, Bihar.
8. The Circle Officer Patna Sadar, Patna, Bihar.
9. The South Bihar Power Distribution Company Limited through its Managing Director, Patna.

... ... Respondents

with

Civil Writ Jurisdiction Case No. 9424 of 2022

1. Gajendra Kumar Singh, son of late Bindhyachal Prasad Singh.
2. Sanjay Kumar Singh, son of Sri Devendra Kumar Singh.
3. Pankaj Kumar Singh @ Pankaj Singh, son of Sri Uma Shankar Singh.
4. Neeraj Kumar Singh, son of Late Girdhar Gopal Singh.
5. Prakash Mishra, son of Late Chandradeo Mishra.
6. Sudhanshu Kumar, son of Ram Niwas Sharma.
7. Suryakant Mishra, son of Late Suresh Mishra.
8. Sandeep Kumar Singh, son of Sri Manoranjan Kumar Singh.
9. Anjani Kumar, son of Late Dhola Singh.
10. Ram Pravesh Kumar, son of Late Ram Bachan Singh.

All resident of Mohalla - Mahavir Colony, Nepali Nagar, P.O. Ashiana, P.S. Rajeev Nagar, Patna-25, District-Patna.

... ... Petitioners

Versus

WEB COPY

such an authority, the same must be decided by the concerned authority/Court within a reasonable period preferably within one year of its filing after proceeding with the hearing of the case on day-to-day basis and after hearing all the parties. If the writ petitioners/occupants are found to be entitled for more compensation than what has been awarded as an interim compensation by this Court, the same shall be disbursed to them after deducting the interim compensation from the final compensation amount.

84.3. The petitioners whose houses have been demolished cannot be evicted from the land on which they have constructed their houses unless and until they are provided permanent residence (flats) as envisaged under Clause 3.2 of the Digha Land Settlement Scheme, 2014 as well as the final compensation as directed in preceding paragraph.

84.4. It is also directed that if the State wants to decide the fate of the writ petitioners then they have to be heard individually in accordance with law under the Bihar Public Land Encroachment Act, 1956. Further, if the State wants to evict the residents of Nepali Nagar then the State is bound to follow the Digha Land Settlement Act, 2010, Digha Land Settlement Scheme, 2014 and the Digha Land Settlement Rules, 2014.

WEB COPY

84.5. It has been reported that those who have applied for *ex gratia* amount under the Digha Land Settlement Scheme, 2014 are being kept in limbo by the Housing Board and no decision has been taken by the Housing Board. If that be so, the Housing Board is directed to take a decision on all pending applications filed under the Digha Land Settlement Scheme, 2014 for ex gratia amount within one month from today.

85. With the aforesaid observations and directions, these writ petitions stand allowed.

86. Before parting, I must place on record my appreciation for the valuable assistance rendered by Sri Santosh Kumar and Sri Viswas Vijeta, as amicus curiae.

(Sandeep Kumar, J)

pawan/-

AFR/NAFR	A.F.R.
CAV DATE	17.11.2022
Uploading Date	25.05.2023
Transmission Date	

WEB COPY

तक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा की आवास बोर्ड के अधिकारियों की राजीव नगर में पदस्थापना लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। सारी जनता, पुलिस और आवास बोर्ड के अधिकारी जानते हैं कि इस क्षेत्र में मकान निर्माण अवैध है, लेकिन दिन के उजाले में धराधर मकान का निर्माण अभी भी हो रहा है। यहां मकान बनाने का रेट फिक्स है। आवास बोर्ड के अधिकारी का अलग, क्विक मोबाइल का अलग, थाना का अलग फिर उसके बाद लोकल रंगदारों का अलग ही रंगदारी फिक्स है।

आवास बोर्ड के एसडीओ अभियंता रणविजय यादव खुलेआम कहते हैं कि ऊपर का रेट बढ़ गया है तो पैसा उसी हिसाब से देना पड़ेगा। केवल सच द्वारा उनके मोबाइल पर बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी पहुंच ऊपर तक है। आपको जो लिखना है लिखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। वस्तुस्थिति यह है कि आवास बोर्ड के अधिकारी जो व्यक्ति मकान बनाने के लिए मोटी रकम नजराना के रूप में नहीं देते हैं उन्ही पर कार्रवाई करते हैं। आज मुख्य सड़क हो या ब्रांच सड़क, हर तरफ मकान दिन-रात बन ही रहा है और नजराना भी चारों ओर बट रहा है। राजीव नगर के थानेदार को आवास बोर्ड पर मकान बना रहे भारतीय सेना के अधिकारी से रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित भी किया गया था।

बहरहाल, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राजीव नगर आवास बोर्ड के जमीन पर रोज नजराना पेश कर मकान का निर्माण धराधर हो रहा है। आवास बोर्ड के अभियंता और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। आज राजीव नगर के जमीन का व्यापार खून खराबे का रूप लेता जा रहा है। राजीव नगर के विधायक हो या यहां के सांसद; खोखली बयानबाजी ही करते हैं। चाहे सरकार हो या विपक्ष कोई नहीं चाहता है कि इस समस्या का समाधान हो। आज राजीव नगर के जमीन पर बड़े-बड़े अधिकारियों, राजनेता, न्यायाधीश, वकील का मकान है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अवैध है। यह तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो गई।

आज राजीव नगर पर मकान बना रहे कई लोगों के पास वैध बिजली कनेक्शन है, सड़क है, नाला है। फिर यह मोहल्ला अवैध कैसे हुआ। सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि राजीव नगर जमीन का विवाद सुलझे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अधिकारियों, राजनेताओं और बड़े-बड़े लोगों का पैसा राजीव नगर के जमीन पर लगा हुआ है। उनकी अवैध कमाई का पैसा खुलेआम ना हो जाए इसलिए कोई भी नहीं चाहता है कि राजीव नगर के जमीन का मामला सुलझे। अगर राजीव नगर के सभी मकानों की जांच की जाए तो पता चलेगा कि पूरे बिहार के अधिकारियों और राजनेताओं की अवैध कमाई का पैसा यहां इन्वेस्ट किया गया है। राजीव नगर के आवास बोर्ड के एसडीओ रणविजय यादव की पहुंच उप मुख्यमंत्री तक होने के नाते कोई भी उनके खिलाफ बोल नहीं पाता।●

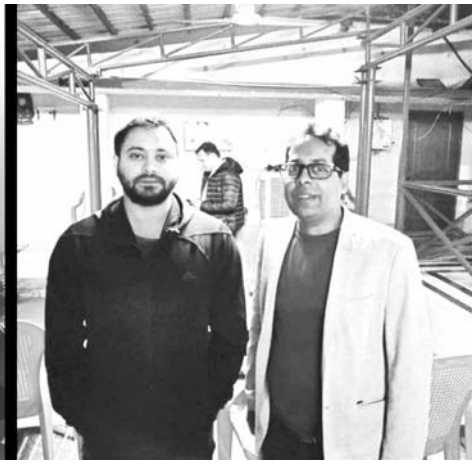

मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात कई पुलिस पदाधिकारियों के हैं

माफियाओं से संबंध!

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

संघीय व्यवस्था में राज्य के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी तरह मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा चाक-चौबंद होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह राज्य में कानून व्यवस्था लचर है, उसी तरह मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी लचर है। एक बार जब मुख्यमंत्री अपने आवास से किसी आयोजन के लिए निकलते हैं तो उनकी सिक्यूरिटी में 40 से 50 लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा कई लेयर में होती है। इसमें बीएमपी, स्थानीय पुलिस के अलावा एडवांस सिक्यूरिटी लाइजनिंग ग्रुप के साथ ही क्लोज प्रोक्सिमिटी ग्रुप टीम भी होती है। सीपीटी ही वह टीम है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास दिखती है। इस टीम की बड़ी जवाबदेही होती है। इसके लोग ही मुख्यमंत्री को हाथों से चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसके अलावा स्कॉट की टीम होती है। इसलिए इतने तरह के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए कोई युवक मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, यह चिंता का विषय है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर की सुरक्षा भी कई लेयर की होती है। मुख्यमंत्री नीतीश के अलावा उनके पुत्र निशांत और उनके सगे संबंधियों की सुरक्षा भी कई लेयर की होती है। लेकिन मुख्यमंत्री तो ठहरे राजा और फकीर को भी उठाकर मंत्री बना देते हैं।

बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री के रेल मंत्री काल से उनके सुरक्षा में तैनात हरेंद्र सिंह को माननीय मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इसी तरह राजधानी पटना में रहकर बालू माफिया, जमीन माफिया और ब्याज पर पैसा लगाने वाले कई पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में कई वर्षों से तैनात हैं। मुख्यमंत्री के तैनात कई इंस्पेक्टर, दरोगा कई-कई वर्षों से पटना में रहकर व्यापार करने के मकसद से मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरा में तैनात हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को उचित नहीं ठहरता है।

बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मुख्यालय में रहने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय और संगठन में पद प्राप्त किए हुए हैं। केवल सच को मिली जानकारी के अनुसार ऐसे कई पुलिस अधिकारी हैं जिनका अपना या बेनामी संपत्ति कई करोड़ के राजधानी पटना में है और बड़े-बड़े व्यापारियों को ब्याज पर पैसा देते हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक पूरे देश को हिला सकता है। सुरक्षाबलों से नजदीकियां या उन्हें रोटेशन पर नहीं रखना मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक है। अगर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखने वाले अधिकारी जिम्मेदार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री पर कई हमले हो चुके हैं, इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान की घटना भी मुख्यमंत्री के सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है।

माननीय मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखने वाले को देखना चाहिए कि पुलिस पदाधिकारी का इतिहास क्या है और वह कितने दिनों से मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात हैं। उनका कोई अपराधियों से सांठगांठ तो नहीं है, उनका माफियाओं से सांठगांठ तो नहीं है, वह बेनामी संपत्तियों के मालिक तो नहीं है। राज्य के पास कई ऐसे सूत्र हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों एवं सुरक्षाबलों का अपराधिक इतिहास नहीं रहा हो या वह बेनामी संपत्ति के मालिक वह नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए सराहनीय कार्य किया है, इसलिए केवल सच उनके लंबी उम्र की कामना करते हुए इस आलेख के माध्यम से आग्रह करना चाहता है कि सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिए।●

करोड़ों के वित्तीय अनियमितता और हेराफेरी का अधिकारियों ने लगाया आरोप

जीविका के अधिकारी हुए बागी

जीविका में हजारों करोड़ों-अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का उजागर कर सीएम नीतीश की बखिया उधेड़ रहे हैं आनंद शंकर

● **सागर कुमार/के के सिंह**

जीविका बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक परियोजना है, जिसको चलाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं हेतु रोजगार सृजन कराके बिहार से गरीबी को जड़ से खत्म करना है, जिससे महिला सशक्त होकर परिवार की आर्थिक समस्याओं के निपटारे में अहम भूमिका निभा सके। वैसे तो 'बिहार रूरल लाइबलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी बिहार' का रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अधीन दिनांक 19 दिसंबर 2005 को किया गया, परंतु इसकी विधिवत् शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को विश्व बैंक और बिहार सरकार की मदद से की गई। जिसमें महिलाएं समूहों से जुड़कर अपने बचत किए हुए रुपए और सरकार तथा विश्व बैंक की सहायता से स्वरोजगार प्राप्त करती हैं जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में 'जीविका दीदी' कहते हैं और इन्हीं 'जीविका दीदियों' के द्वारा बनाए गए समूह, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघ को व्यवस्थित, संगठित करने हेतु जीविका राज्य स्तर, प्रत्येक जिला स्तर और प्रत्येक प्रखंड स्तर तक अपने अधिकारी और कर्मचारियों का एक जाल बुना है। मतलब साफ है की जीविका का निर्माण और उद्देश्य केवल और केवल जीविका दीदियों के लिए कार्य करना ही है और सरकार तथा विश्व बैंक के द्वारा जो भी राशि आवंटित की जाती है वह राशि केवल और केवल जीविका दीदियों के लिए के लिए ही होता है अर्थात इन सभी पैसों का और फंड का मालिक केवल जीविका दीदी ही हैं और जो भी जीविका के प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक के कर्मचारी और अधिकारी गण है वह केवल और केवल उन पैसों को जीविका दीदियों के विकास में, रोजगार सृजन कराने में सहायता करने में, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में उपलब्ध करवाने हेतु सरकार और जीविका दीदियों के बीच के माध्यम मात्र हैं।

बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली इस योजना के सी. ई. ओ. राहुल कुमार के मुताबिक 'जीविका' से राज्य की एक करोड़ 30 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें सरकारी आंकड़े के मुताबिक राज्यभर में इस वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में 1.25 लाख परिवारों को जोड़ा जाना है। इस योजना में एक परिवार से एक महिला को जोड़ा जाता है। उनके मुताबिक बिहार में एक परिवार में औसतन पांच सदस्य होते हैं. इस तरह से राज्य की करीब आधी आबादी जीविका योजना से जुड़ी हुई है और ग्रामीण आबादी की बात करें तो करीब 60 फीसदी आबादी सीधे तौर पर जीविका से जुड़ी

हुई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में राज्य के करीब 84 प्रतिशत परिवार रहते हैं। इनमें 23 फीसदी परिवारों की मुखिया घर की महिला हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका के बड़े ब्रांड अंबेडकर माने जाते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद ही कोई ऐसा सरकारी योजना होगा जिसमें जीविका दीदियों को सम्मिलित नहीं किया गया होगा। हो भी क्यों नहीं जीविका दीदियों के माध्यम से नितीश कुमार जी बिहार के करोड़ों परिवारों के सीधे संपर्क में है और राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार जी की पकड़ आज भी इसलिए अधिक मानी जाती है क्योंकि जीविका दीदियों उन्हें अपना बड़ा भाई मानती हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जब-जब मौका मिला तब तब जीविका के लिए नई-नई घोषणाएं करते गए और अपने प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमों और यात्राओं में सर्वप्रथम जीविका दीदियों से मिलना, उनकी पॉजिटिव स्टोरी को बिहार के पटल पर रख कर अपने पक्ष में माहौल बनाना , यह नीतीश कुमार की जीविका के प्रति संवेदनशीलता और

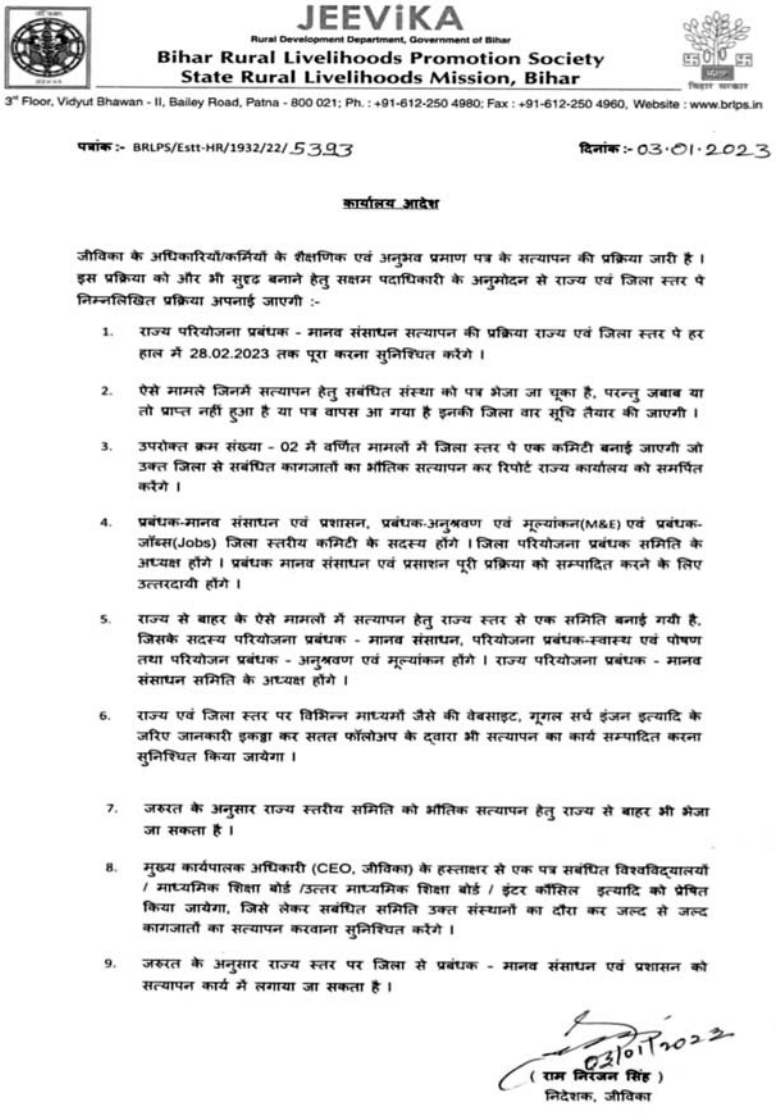

JEEViKA
Rural Development Department, Government of Bihar
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
3rd Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlps.in

पत्रांक :- BRLPS/Estt-HR/1932/22/5393 दिनांक :- 03.01.2023

कार्यालय आदेश

जीविका के अधिकारियों/कर्मियों के शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया को और भी सुदृढ बनाने हेतु सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से राज्य एवं जिला स्तर पे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

1. राज्य परियोजना प्रबंधक - मानव संसाधन सत्यापन की प्रक्रिया राज्य एवं जिला स्तर पे हर हाल में 28.02.2023 तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।
2. ऐसे मामले जिनमें सत्यापन हेतु सबंधित संस्था को पत्र भेजा जा चूका है, परन्तु जबाब या तो प्राप्त नहीं हुआ है या पत्र वापस आ गया है इनकी जिला वार सूचि तैयार की जाएगी।
3. उपरोक्त क्रम संख्या - 02 में वर्णित मामलों में जिला स्तर पे एक कमिटी बनाई जाएगी जो उक्त जिला से सबंधित कागजातों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट राज्य कार्यालय को समर्पित करेंगे।
4. प्रबंधक-मानव संसाधन एवं प्रशासन, प्रबंधक-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन(M&E) एवं प्रबंधक-जॉब्स(Jobs) जिला स्तरीय कमिटी के सदस्य होंगे। जिला परियोजना प्रबंधक समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रसाशन पूरी प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5. राज्य से बाहर के ऐसे मामलों में सत्यापन हेतु राज्य स्तर से एक समिति बनाई गयी है, जिसके सदस्य परियोजना प्रबंधक - मानव संसाधन, परियोजना प्रबंधक-स्वास्थ्य एवं पोषण तथा परियोजन प्रबंधक - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन होंगे। राज्य परियोजना प्रबंधक - मानव संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे।
6. राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न माध्यमों जैसे की वेबसाइट, गूगल सर्च इंजन इत्यादि के जरिए जानकारी इकट्ठा कर सतत फॉलोअप के द्वारा भी सत्यापन का कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. जरुरत के अनुसार राज्य स्तरीय समिति को भौतिक सत्यापन हेतु राज्य से बाहर भी भेजा जा सकता है।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO, जीविका) के हस्ताक्षर से एक पत्र सबंधित विश्वविद्यालयों / माध्यमिक शिक्षा बोर्ड /उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / इंटर कॉसिल इत्यादि को प्रेषित किया जायेगा, जिसे लेकर सबंधित समिति उक्त संस्थानों का दौरा कर जल्द से जल्द कागजातों का सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
9. जरुरत के अनुसार राज्य स्तर पर जिला से प्रबंधक - मानव संसाधन एवं प्रशासन को सत्यापन कार्य में लगाया जा सकता है।

03/01/2023
(राम निरंजन सिंह)
निदेशक, जीविका

जीविका दीदियों से जुड़े परिवारों के वोट बैंक के महत्व को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से दोबारा नाता तोड़कर महागठबंधन में एंट्री की तब वे शराब के मुद्दे से लेकर कानून व्यवस्था पर घिरे हुए थे। बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी उनके खिलाफ लगातार आवाज उठने लगी थी, साथ ही कुढ़नी सीट उपचुनाव में भी जदयू की हार हो गई थी, तब विरोध के उठते सुर को दबाने और बिहार के बदले सियासी माहौल में जनता में अपनी विश्वास दोबारा कायम करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत की, जिसे मिशन 2024 की शुरुआती तैयारी से भी जोड़कर देखा गया। नीतीश ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा कर लोगों को विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ ही गरीब ग्रामीण 'जीविका दीदियों' को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करके अपने पक्ष में माहौल बनाकर बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राजनीतिक पंडितों तक यह मैसेज पहुंचा दिया कि नीतीश कुमार जिस भी पलड़े में रहे वह पलड़ा हमेशा भारी रहेगा और नीतीश कुमार कभी भी किसी भी पलड़े में जाकर सत्ता का खेल पलट सकते हैं। तो इन बिंदुओं से आप समझ सकते हैं कि जीविका का बिहार में कितना महत्वपूर्ण स्थान है और नीतीश कुमार उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट क्यों मानते हैं।

☞ **जीविका में सब कुछ ठीक नहीं है :-** जीविका बिहार में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केवल सच ने अपने पिछले कई अंकों में जीविका में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमित और घोर अराजकता की स्थिति को उजागर किया है। परंतु आज केवल हम ही नहीं

आनंद शंकर

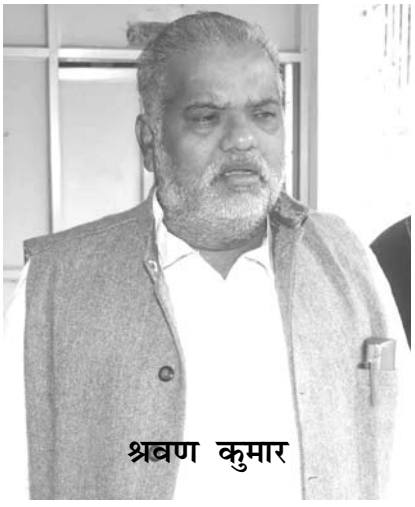

श्रवण कुमार

मो० इसराईल मंसूरी

बल्कि खुद जीविका के राज्य स्तर के अधिकारी जीविका के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर एच.आर. आनंद शंकर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लगातार जीविका में हो रहे बड़े भ्रष्टाचारों की पोल खोल रहे हैं। जिससे परेशान होकर जीविका ने उन्हें जबरदस्ती एल.डब्लू.पी. (Leave Without Pay) पर भेज दिया है।

☞ **यहां पर हम पूरे घटनाक्रम की विस्तृत चर्चा कर रहे हैं :-** दिनांक 15 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य महबूब आलम के द्वारा तथा दिनांक 08/03/2022 को बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य मोहम्मद इसराइल द्वारा तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह पूछा गया था कि मंत्री ग्रामीण विकास विभाग यह बताने का कष्ट करेंगे की, क्या यह सही है कि जीविका के राज्य स्तरीय नियुक्तियों में नियुक्त कर्मियों के शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच अभी तक नहीं हो पाई है? यहां पर आपको बताते चलें कि इस प्रकार के प्रश्न विधानसभा में ना तो पहली बार पूछे गए थे और ना ही आखरी बार। जीविका कर्मियों की नियुक्ति के समय दिए गए प्रमाण पत्र और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच से संबंधित प्रश्न कई बार विधानसभा में , विधानसभा के बाहर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

दिनांक 23 जून 2022 को जनशक्ति विकास पार्टी (डे.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को एक मेल किया जिसमें बिहार जीविका के विभिन्न पदों पर बहाल हुए कर्मियों और पदाधिकारियों के बड़े पैमाने पर शैक्षणिक तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों के फेक अथवा जाली होने का आरोप लगाया।

दिनांक 27 जून 2022 को एफ.न. - जे-11060/61/2020-आर एल(इ 370529) में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर बिहार जीविका के विभिन्न पदों पर बहाल हुए कर्मियों और पदाधिकारियों के बड़े पैमाने पर शैक्षणिक तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों के फेक अथवा जाली होने के मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया और इसके ठीक दूसरे दिन अर्थात 28 जून 2022 को पत्रांक बीआरएलपीएस/ इएसटीटी - एच आर /1932/ 22/1064 में जीविका के निदेशक रामनिरंजन सिंह के सिग्नेचर

श्री मो० इसराईल मंसूरी, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-2990

क्र.सं.	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री मो० इसराईल मंसूरी, स०वि०स०	श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
	प्रश्न क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के पटना स्थित राज्य कार्यालय में नियुक्त कर्मियों द्वारा नियुक्ति के समय समर्पित शैक्षिक एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की अबतक जाँच नहीं की गई है ।	अस्वीकारात्मक है। तथ्य यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया के प्रथम चरण नियुक्ति के पश्चात योगदान के समय दूसरी बार प्रत्येक के शैक्षणिक एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्रों की समुचित ज जाती है।
2.	यदि हाँ तो सरकार कबतक जीविका राज्य कार्यालय में कार्यरत उक्त कर्मियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 803744 / पटना, दिनांक 08/03/2022
ग्रा0वि0-6/प्रश्न-10-03/2022

प्रतिलिपि- पाँच प्रतियों में प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक-916 दिनांक-03.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-2022
(राजेश परिमल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 803744 / पटना, दिनांक 08/03/2022

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय विधान मंडलीय कोषांग (प्रशाखा-11) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8-3-2022
सरकार के उप सचिव

से यह कार्यालय आदेश निकाला गया कि जीविका के राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर नियुक्त कर्मियों और पदाधिकारियों की शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। उक्त कार्यालय आदेश में इस जांच के लिए पूरा नियम कानून और कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए । साथ ही इसी कार्यालय आदेश में इस पूरी जांच प्रक्रिया को जीविका के तात्कालिक राज्य परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन विकास – आनंद शंकर के देखरेख में करने को कहा गया। अब यहीं से विवाद की जड़ शुरू हुई। जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक आनंद शंकर पत्र मिलने के बाद एक्शन में आए और धीरे-धीरे करके पूरे बिहार के जीविका कर्मियों के कार्य अनुभव और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू करवाई।

जून 2022 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार थी जिसमें केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में नीतीश कुमार के सरकार में सम्मिलित थी और जीविका को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे करीबी और ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है इसी वजह से उस समय यह मुद्दे बहुत बड़े परिदृश्य का रूप नहीं ले पाए और धीरे-धीरे इन मुद्दों को दबा दिया गया। परंतु कहते हैं ना कि गंदे चीज को जितना ढका जाए वह गंदा चीज ढकने के बावजूद भी दिन पर दिन अत्यधिक बदबू करने लगता है और इस मुद्दे को प्रकाश में लाने के लिए सोने पर सुहागा तो तब हो गया जब दिनांक 10 अगस्त 2022 को एक बार फिर एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बना लिए।

जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/Estt-HR/1932/22/1066 दिनांक : 28.06.2022

कार्यालय आदेश

विदित है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) में राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों / कर्मियों की शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन नियुक्ति हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में की जानी है।

इस संबंध में राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यरत सभी कर्मियों एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक का शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन राज्य कार्यालय एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न पदों (यथा - सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक एवं लेखापाल) पर कार्यरत कर्मियों के शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन जिला कार्यालय द्वारा कराया जाएगा।

राज्य स्तर पर शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन हेतु निदेशक, जीविका एवं जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं कार्यानुभव का सत्यापन हेतु जिला परियोजना प्रबंधक नोडल होंगे तथा राज्य स्तर से अपेक्षित मार्गदर्शन हेतु राज्य परियोजना प्रबंधक-मानव संसाधन विकास से संपर्क स्थापित करें।

28/06/2022
(राम निरंजन सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित पदाधिकारी / कर्मी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित संचिका।

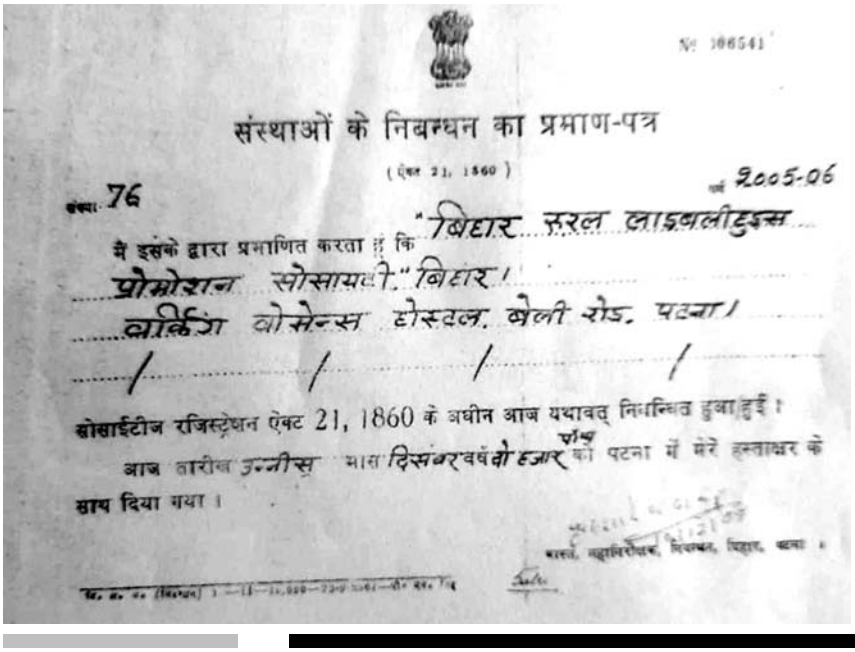

खैर, सरकार किसी की भी हो सत्ता की कुंजी तो हर समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास रही और यही वजह है की जीविका में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमित, अराजकता की स्थिति को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से उठने के बाद भी शासन तंत्र ने इसे बड़े पैमाने पर फैलने से पहले ही दबा दिया। चूकि नीतीश कुमार जी की साख जीविका पर लगी है और जीविका बदनाम होती है तो सीधे-सीधे नीतीश कुमार के साख पर असर पड़ेगा । यही वजह है की जीविका में वर्षो से होते आ रहे शोषण और भ्रष्टाचार की खबरों को शासन तंत्र ने कभी भी पनपने नहीं दिया और यही कारण है कि वर्षो से जीविका की अंदरूनी गलतियां, अराजकता, भ्रष्टाचार और शोषण आज चरमोत्कर्ष पर हैं । फिर भी जीविका के और बिहार सरकार के बड़े अधिकारी और मंत्री चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन सब की जांच अगर स्वच्छ तरीके से हो गई तो जीविका के बहुत कम अधिकारी होंगें जो पाक साफ बच पाएंगें । बाकी सभी को जेल जाना पड़ सकता है या फिर जीविका से बाहर होना पड़ सकता है। केवल सच ने अपने पुराने कई अंकों में जीविका में हो रहे व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार के मुद्दों को कई बार उठाया है परंतु हर बार नीतीश कुमार की साख के कारण जीविका के बड़े भ्रष्टाचारी बच जाया करते हैं। खैर, 10 अगस्त 2022 को पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जनता की नब्ज टटोलने और देश में अपने समर्थन में माहौल बनाने के लिए नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकलते हैं और फिर से

No 106541

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 76 वर्ष 2005-06

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोमोशन सोसायटी" बिहार। वर्किंग वोमेन्स होस्टल, बेली रोड, पटना। / / / /

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख उन्नीस मास दिसंबर वर्ष दो हजार पाँच को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

जीविका दीदियों को बुलाकर अपनी वाहवाई लूटते हैं। परंतु सच तो सच होता है धीरे-धीरे जीविका में हो रहे भ्रष्टाचार ,अनियमितताएं, शोषण और जाली शैक्षणिक तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित मामले सोशल मीडिया पर छाने लगे और केवल सच ने भी लगातार इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया । हमने कई बार खबर के माध्यम से जीविका के बड़े अधिकारियों से सीधे और स्पष्ट सवाल पूछे परंतु आज तक जीविका के किसी भी अधिकारी ने हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और आज भी हम अपने प्रश्नों को लेकर इस आस में हैं की जीविका का कोई अधिकारी कभी तो तैयार होगा और हमारी सभी सवालों के जवाब देगा, तब तक हम प्रयास करते रहेंगें और इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करते रहेंगें।

इसी क्रम में जब जीविका के कर्मियों और अधिकारियों के शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगा तब पुनः दिनांक 3 जनवरी 2023 को पत्रांक बीआरएलपीएस/इएसटीटी एच आर/1932/22/5393 में जीविका के निदेशक रामनिरंजन सिंह के सिग्नेचर से यह कार्यालय आदेश दिया गया कि जीविका के राज्य परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन आनंद शंकर जीविका कर्मियों और पदाधिकारियों के शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापन की प्रक्रिया हर हाल में 28 फरवरी 2023 तक पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। फिर क्या था आनंद शंकर तो प्रथम आदेश से ही इस प्रक्रिया में लग चुके थे और अब तक तो उन्हें जीविका के अधिकांश फर्जी और जाली सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। आनंद शंकर आरंभ से ही गलत को गलत कहने वाले और कर्तव्यनिष्ठ छवि के कड़क अधिकारी माने जाते रहे है । और इसी वजह से कई बार कई प्रखंड परियोजना प्रबंधक और जिला परियोजना प्रबंधकों तथा राज्य के कई अधिकारियों कर्मियों से भी उनकी नोकझोंक हो चुकी है और इसी कारण उन पर एससी एसटी एक्ट में एक एफआईआर भी हो चुका है। आनंद शंकर अपने काम के प्रति सजग और काफी निष्ठावान रहे हैं।

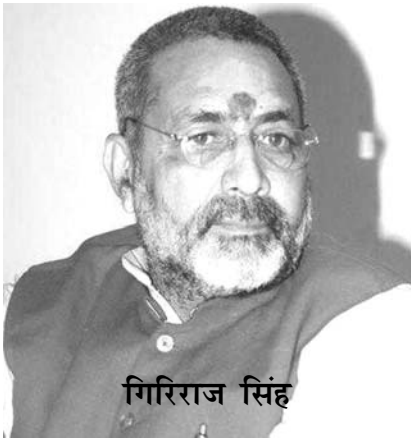
गिरिराज सिंह

इसी कारण जब से उन्हें इस संपूर्ण जांच प्रक्रिया को सौंपा गया तब से वह निरंतर कार्य करते हुए इसके तह तक गए और इसी क्रम में उन्होंने कई कर्मियों अधिकारियों के प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।

☞ **सूत्रों के अनुसार आनंद शंकर के द्वारा कईयों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया :-** हम आपको बताते चलें कि यहां तक तो सब कुछ ठीक था आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ। हमने पहले भी जीविका के राज्य कार्यालय में गुटबंदियों के बारे में बताया है । जीविका के राज्य कार्यालय के अधिकारी आपस में कई गुटों में बटे हुए हैं और उनमें सबसे बड़ा और अत्यधिक प्रभावी गुट माना जाता है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन मुकेश चंद्र शरण का। मुकेश चंद्र शरण का राज्य कार्यालय में इतना दबदबा है कि कहा जाता है जो इनकी शरण में आया उसका बेड़ा पार है। अर्थात मुकेश चंद्र शरण के गुट में जो शामिल हो गया उसका जीविका में कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है इसका सबसे ताजा और स्पष्ट उदाहरण है जीविका पटना जिला के पूर्व एच एन एस मैनेजर गुड़िया कुमारी जिसको की दिनांक 23 नवंबर 2022 को पत्रांक बीआरएलपीएस/इएसटीटी -एच आर /1992/ 22/4809 में प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण श्रीमती गुड़िया कुमारी को कारण बताओ नोटिस जारी करके कहा गया कि उनके द्वारा प्रदत्त कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो कि विकास सार्थी पटना से संबंधित है में इंटर्न्स से जुड़ी जानकारी छिपाई गई और जीविका के किसी भी पद पर इंटर्न्स का उल्लेख नहीं है अतः उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पटना के एचएनएस मैनेजर रहते हुए मास्क घोटाले का भी सबूत के साथ आरोप गुड़िया कुमारी पर लग चुका है और उनके पति

F. No. J-11060/61/2020-RL (E-370529)
भारत सरकार/Government of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय/Ministry of Rural Development
ग्रामीण विकास विभाग/Department of Rural Development
https://rural.nic.in
(आर.एल. विभाग)

7वीं मंजिल,एनडीसीसी II भवन/7th Floor, NDCC II Building
जय सिंह रोड,नई दिल्ली-1. /Jai Singh Road, New Delhi-1.
दिनांक: 27 जून , 2022/27th June, 2022

To,

The Secretary,
Department of Rural Development,
Government of Bihar
Old Secretariat,
Patna – 800015
Email: rlrsec-bih@nic.in

Subject: Forwarding of public grievance- Regarding fake educational and work experience certificate

Sir,

I am directed to enclose herewith complaint received from Mr. Pradeep Kr. Singh ,Shivpuri , Patna , Bihar regarding subject cited above. You are therefore requested to take necessary action in the matter. Reply in the matter may please be sent direct to the applicant, under intimation to this office.

Encl : As above

Yours faithfully

(Vinod Kumar) 27/06/2022
Under Secretary to the Govt. of India

मुकेश चंद्र शरण

विनोद कुमार खुद भी इनके जाली कार्य अनुभव प्रमाण के बारे में जीविका को लिखित रूप से अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। राज्य कार्यालय में गुड़िया कुमारी का दबदबा इस बात से लगा सकते हैं कि पटना से लखीसराय जिला में ट्रांसफर होने के बाद भी लगातार कई महीनों तक कार्यालय ना जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई भी लेटर इन के खिलाफ जारी नहीं किया गया। इस गुट में दूसरा नाम है कार्यालय सहायक मानव संसाधन भावना कुमारी का। कार्यालय सहायक मानव संसाधन श्रीमती भावना कुमारी को 23 जनवरी 2023 को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था कि उनका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो कि अशोक पेपर मिल का है परंतु जांच के दौरान जानकारी मिली कि उक्त संस्था में उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है जिस हेतु श्रीमती भावना कुमारी को दिए गए सैलरी का लाभ स्थगित किया जाए। इसी प्रकार इस ग्रुप में कई लोग हैं और सभी लोग गोलबंद हैं। खैर यह बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह बातें आनंद शंकर के फेसबुक पोस्ट से सामने निकल कर आती हैं। यहां पर हम बताते चलें कि आनंद शंकर ने यहीं पर गलती कर दी। उन्होंने जीविका के बड़े मठाधीशों पर सीधे प्रहार कर दिया। आनंद शंकर ने मुकेश चंद्र शरण गुट के कई लोगों पर सीधे आरोप लगा दिया।

बहरहाल आपको यह जानकारी दे दें कि आनंद शंकर और मुकेश चंद्र शरण की आपस में 2021 में जब मुकेश चंद्र शरण के शैक्षणिक और कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी से संबंधित पत्र निर्गत किया था तब से ही नहीं बनती है और दोनों ही अपने–अपने स्तर पर एक दूसरे की काट में रहते हैं। वैसे तो मुकेश

गुड़िया कुमारी

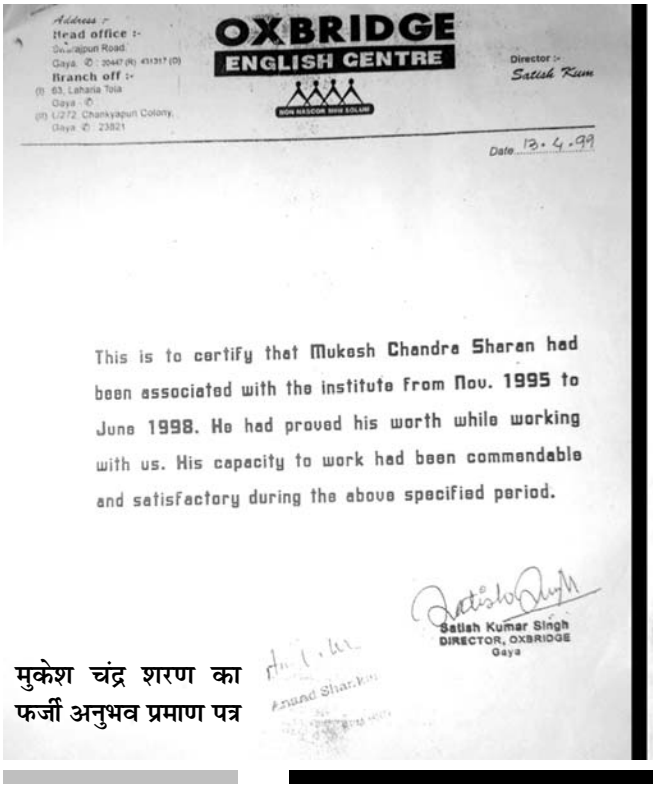

चंद्र शरण के कार्य अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी से जुड़ा मामला अत्यधिक पुराना है। 2021 में ही आनंद शंकर ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया था कि मुकेश चंद्र शरण ने जो कार्य अनुभव प्रमाण पत्र गया के ऑक्सब्रिज इंग्लिश सेंटर का दिया है उसमें पहली बात तो मुकेश चंद्र शरण ने किस पद पर काम किया है वह पद नहीं लिखा है और दूसरा सबसे

OXBRIDGE
ENGLISH CENTRE
Director :- Satish Kum
Date 13.4.99

This is to certify that Mukesh Chandra Sharan had been associated with the institute from Nov. 1995 to June 1998. He had proved his worth while working with us. His capacity to work had been commendable and satisfactory during the above specified period.

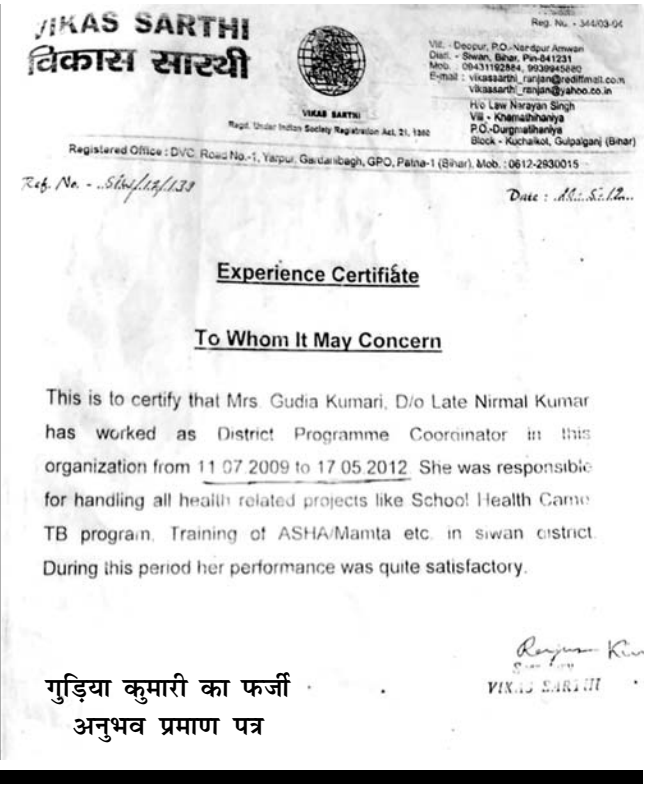

Satish Kumar Singh
DIRECTOR, OXBRIDGE
Gaya

मुकेश चंद्र शरण का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र

VIKAS SARTHI
विकास सारथी
Registered Office : DVC Road No.-1, Yarpur, Gardanibagh, GPO, Patna-1 (Bihar), Mob. : 0612-2930015

Experience Certificate

To Whom It May Concern

This is to certify that Mrs. Gudia Kumari, D/o Late Nirmal Kumar has worked as District Programme Coordinator in this organization from 11.07.2009 to 17.05.2012. She was responsible for handling all health related projects like School Health Camp, TB program, Training of ASHA/Mamta etc. in siwan district. During this period her performance was quite satisfactory.

VIKAS SARTHI

गुड़िया कुमारी का फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र

JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

पत्रांक: BRLPS/Estt-HR/1992/22/4790 दिनांक: 23·11·2022

सेवा में,

श्री अजीत कुमार,
जिला परियोजना प्रबंधक (BRLPS202325),
जिला– बांका

विषयः **कारण बताओ नोटिस।**

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रदत्त एक कार्यानुभव प्रमाण–पत्र जो कि ग्राम विकास नवयुवक मंडल, लपौरिया, राजस्थान से संबंधित है, जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर हुई है, का सत्यापन कराया गया। आपके द्वारा प्रदत्त उक्त सर्टिफिकेट का सत्यापन के क्रम में ग्राम विकास नवयुवक मंडल, लपौरिया, राजस्थान द्वारा सूचित किया कि श्री अजीत कुमार ने कभी भी संस्था के साथ काम नहीं किया है और न ही जीविका में प्रस्तुत सर्टिफिकेट उनके द्वारा निर्गत किया गया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीविका में प्रस्तुत सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर उनके सचिव के हस्ताक्षर से पूर्णतः भिन्न है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि आपने पदीय एवं वित्तीय लाभ लेने एवं जीविका में नियुक्ति हेतु फर्जी सर्टिफिकेट जानबूझ कर प्रस्तुत किया एवं संस्था को वित्तीय नुकसान पहुँचाया।

उपरोक्त के आलोक मे आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के अंदर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जीविका के नियमानुसार आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

23/11/22

(आनंद शंकर)
राज्य परियोजना प्रबंधक – मा०सं०वि०

प्रतिलिपि:
1. निदेशक
2. मुख्य वित्त पदाधिकारी, राज्य कार्यालय
3. प्रभारी एच०आर० मैनेजर – बांका
4. संबंधित संचिका

JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

पत्रांक: BRLPS/Estt-HR/1992/22/ 4809 दिनांक: 23·11·2022

सेवा में,

श्रीमति गुड़िया कुमारी,
प्रबंधक–स्वास्थ्य एवं पोषण (BRLPS202446),
जिला – लखीसराय।

विषयः **कारण बताओ नोटिस।**

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा प्रदत्त एक कार्यानुभव प्रमाण–पत्र जो कि विकास सारथी, पटना से संबंधित है, जिसके आधार पर आपकी नियुक्ति प्रबंधक–स्वास्थ्य एवं पोषण के पद पर हुई है, का राज्यस्तरीय कमिटि द्वारा सत्यापन कराया गया। आपके द्वारा प्रदत्त उक्त सर्टिफिकेट का सत्यापन के क्रम में विकास सारथी, पटना द्वारा सूचित किया कि आप इस संस्थान में तीन वर्षों तक जिला प्रोग्राम कॉर्डिनेटर पद पर इंटर्न के रूप में कार्यरत थी एवं आपको कार्य के बदले वेतन का भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि यात्रा एवं अन्य खर्च हेतु Stipend के रूप में आंशिक राशि दी जाती थी। परंतु आपके द्वारा प्रस्तुत उक्त संस्था से संबंधित कार्यानुभव प्रमाण–पत्र में इंटर्न का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है आप विकास सारथी संस्था के साथ आप इंटर्न के रूप में कार्यरत थी एवं जीविका के किसी पद पर इंटर्न का कार्यानुभव मान्य नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के प्राप्ति के सात कार्य दिवसों के अंदर अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करें। अगर आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जीविका के नियमानुसार आपके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

23/11/22

(आनंद शंकर)
राज्य परियोजना प्रबंधक – मा०सं०वि०

प्रतिलिपि:
1. निदेशक
2. मुख्य वित्त पदाधिकारी, राज्य कार्यालय
3. प्रभारी जिला परियोजना प्रबंधक – लखीसराय
4. एच०आर० मैनेजर – लखीसराय
5. संबंधित संचिका

बड़ा मिस मैच यह है की ऑक्सब्रिज इंग्लिश सेंटर में 1995 से 1998 के बीच कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि इसी दौरान मुकेश चंद्र शरण का रेगुलर ग्रेजुएशन का शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी है। अब तो मुकेश चंद्र शरण ही बताएंगे कि ऑक्सब्रिज इंग्लिश सेंटर में वे शिक्षक थे, ऑफिस बॉय थे, या चपरासी थे और दूसरी बात यह है कि जब वे ऑक्सब्रिज इंग्लिश सेंटर में कार्य कर रहे थे तो रेगुलर ग्रेजुएशन में उनके जगह पर क्लास कौन कर रहा था और अगर क्लास कोई दूसरा कर रहा था तो फिर मुकेश चंद्र शरण जी ग्रेजुएशन फाइनल एग्जाम खुद पास करते हैं या फिर दूसरे से करवाते हैं यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम यहां पर स्पष्ट कर दें कि यह बातें हम नहीं कह रहे हैं यह बातें जीविका के राज्य कार्यालय से कही गई हैं जिसके स्पष्ट प्रमाण हमारे पास हैं। बस यही विवाद तूल पकड़ने लगा और मुकेश चंद्र शरण गुट के कई लोगों के साथ और भी फर्जी लोग इसमें फंसते नजर आने लगे तब आनंद शंकर को रोकने की कोशिश की गई। परंतु आनंद शंकर का जमीर जीविका से गद्दारी करने को नहीं माना और बिहार जीविका में हो रहे इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार , शोषण , वित्तीय अनियमितता और अराजकता

अरबिंद चौधरी

की स्थिति का भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने कमर कस लिया। आनंद शंकर ने उपरोक्त अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे पीछे नहीं हटेंगे और भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। अब इस बात पर जीविका में हड़कंप मच गया। सभी अधिकारी परेशान हो गए कि अगर जीविका के भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं तो उसमें केवल वर्तमान के अधिकारी और पदाधिकारी ही नहीं फंसेंगें बल्कि 2007 से 2014 तक 7 सालों तक जीविका के सीईओ रहे अरबिंद चौधरी (भा०प्र०से० 1995) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार सरकार और 2016 से 2022 तक 6 सालों तक जीविका के सीईओ रहे बाला मुरुगन डी (भा०प्र०से० 2005) जो कि अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं , पर भी आंच आ सकती है क्योंकि जीविका में कुछ ऐसी भी नियुक्तियां हैं जो इन लोगों के समय हुई और कुछ ऐसे भी बड़े कारनामे हुए जो उपरोक्त लोगों के रहते हुए ही हुई है और जब

बाला मुरूगन डी

राहुल कुमार

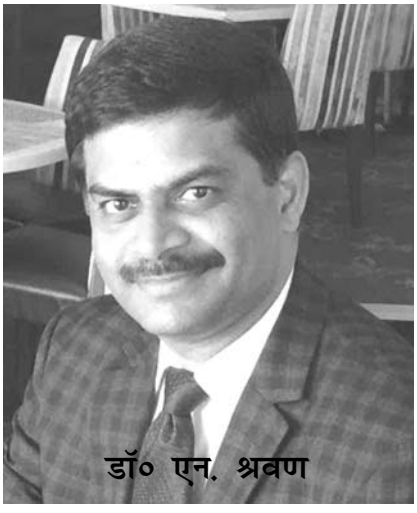
डॉ० एन. श्रवण

इन पर आंच आएगी तो सीधे-सीधे बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार पर आंच आ सकती है , शाख खराब हो सकती है और जीविका उनकी ड्रिम प्रोजेक्ट में इस प्रकार का गोरख ध ंधा का भंडाफोड़ होगा तो अभी विपक्षी एकता की सबसे बड़े सूत्रधार माने जाने वाले नीतीश कुमार जी कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होने की लालसा भी चकनाचूर हो सकती है।

इन सभी बातों पर गहन अध्ययन करने के बाद जीविका प्रशासन ने आनंद शंकर पर एक ग्रीवांस डलवा कर दिनांक 20 जुलाई 2023 को उन्हें एल.डबलु.पी. पर भेज दिया गया।

इस पूरे घटना क्रम में आनंद शंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखा और कहा की उनके खिलाफ तीन महिलाओं ने गोलबंदी की जिसमें पहली महिला को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के कारण पेनल्टी लग चुका है, दूसरी महिला अपने पति को फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर जॉइनिंग करने के कारण उस पर भी पेनल्टी लग चुका है और तीसरी जीविका कर्मी जीविका में कार्य करने की योग्यता नहीं रखती है और इन सब को जो सपोर्ट कर रहीं हैं उन पर आनंद शंकर पहले ही फाइल फेंकने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने संबंधी फाइल पुट अप कर चुके हैं जो कि 2 साल से लंबित है। इस संबंध में आनंद शंकर ने फेसबुक पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें राज्य कार्यालय के एक कर्मी कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड थी की कुछ महिलाओं ने जबरदस्ती आनंद शंकर के खिलाफ ग्रीवेंस पर सिग्नेचर लिया है और उसने दबी जुबान से ग्रीवेंस के लिए उकसाने वालों में भावना, आशा, अनुमेहा और हेमा का नाम लिया और सूत्रों के हवाले से हमें भी यही जानकारी मिल रही है कि उक्त महिलाएं ही आनंद शंकर के खिलाफ ग्रीवंश डाली है जिसके फलस्वरूप आनंद शंकर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और तब से ही आनंद शंकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार जीविका में हो रहे बड़े धांधली, वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और शोषण की बातें सबूत के साथ उजागर कर रहे हैं। आनंद शंकर के द्वारा इस प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट कोई छोटी-मोटी बात नहीं है क्योंकि आनंद शंकर जीविका के राज्य कार्यालय के बड़े अधिकारी हैं और अगर उनके द्वारा जीविका में बड़े भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है और उसके सबूत भी सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं तो यह एक गंभीर मामला है और सरकारी एजेंसियों को भी इस पर स्वत: संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए।

☞ **अब यह विवाद फिर से एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है :-** दिनांक 31 जुलाई 2023 को जनशक्ति विकास पार्टी (डे.) के राष्ट्रीय

प्रदीप कुमार सिंह

अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता श्री गिरिराज सिंह के मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार को एक मेल किया जिसमें बिहार जीविका परियोजना में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार के संबंध में राज्य परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन आनंद शंकर के द्वारा किए गए खुलासों और तथ्यों सहित जीविका में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई और तब फिर से दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जे-11060/61/2020-आर एल ई - 370529 में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र के माध्यम से जीविका परियोजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जवाब मांगा और और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए और इस पत्र के निर्गत होने के बाद ही फिर से बवाल मच गया और इसको लेकर बिहार और केंद्र की सरकारों के बीच भी काफी हलचल का माहौल है।

राज्य परियोजना प्रबंधक मानव संसाधन विकास आनंद शंकर अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जीविका में आरंभ से लेकर आज तक के हजारों करोड़ों-अरबों रुपए घोटाले, अराजकता और जीविका में हो रहे कई गड़बड़ियों के बारे में लिख चुके हैं और कई के सबूत भी दे चुके हैं । और केवल सच ने भी समय-समय पर जीविका में हो रहे भ्रष्टाचारों से रूबरू कराया है। हमने जब इस संबंध में खबर बनाना आरंभ किया तो कई प्रश्न तो पहले से हमारे जेहन में थे और कई प्रश्न आनंद शंकर के फेसबुक पोस्ट से भी निकल कर सामने आते हैं जिसके जवाब जीविका प्रशासन को देने चाहिए ताकि बिहार के आम जनमानस को बिहार की जीविका दीदियों को सच का पता चल सके, इस संबंध में दूध का

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society

please refer note on pre-page- 65 regarding allowing joining of 80 candidates those were put on hold by HRD due to various shortcomings in documents related to qualification/experience submitted by them at the time of joining.

In this regard, following are my serious submissions regarding some of the candidates those cases I have dealt with:-

1. **Mr. Shailesh Kumar for the position of BPM (S. No.-29)**
   Shortcomings & Observations:-
   - A. He submitted Experience Certificate without reference number whereas experience certificate submitted by the same institution (College) to other candidate who has also been selected on the position of BPM has reference number.
   - B. He did not submit any proof of salary disbursement to him at the time of Joining
   - C. Now, he has submitted salary slip wherein his position has been mentioned as Assistant Manager-Project whereas in experience certificate his designation has been mentioned as Project Manager.
   - D. Phone number mentioned on experience certificate submitted at the time application is different that was submitted at the time of joining.
   - E. On salary slip, mode of payment has been mentioned as cash. Cash is always issued through voucher not salary slip. As per information received from concerned organization, salary slip is not being issued from there. In the case of other candidate from same institution, salary details have been provided on letter head.
   - F. On one of the certificate, signature/stamp seems to be scanned.
   - **G. Above experience is also not relevant to as required for the positon of BPM.**
   - **H. Nothing is available to substantiate the other one pager experience certificate submitted by Mr. Shailesh Kumar as he has not submitted salary disbursal proof that is mandatory for allowing joining to the candidate and he has showed inability to provide that.**

Thus, First experience certificate provided by Mr. Shailesh Kumar is forged/Manipulated whereas there is nothing to substantiate his another experience certificate and he has also shown inability to produce the same. Hence, his joining may not be allowed.

As Public Information Officer (PIO), on one RTI application, I had to send certificates related to Educational Qualifications and Experience details of all the employees to information seeker (Applicant). But on verification of file of Mr. Mukesh Chandra Sharan, Project Coordinator-FI, it was found that Certificates related to his educational qualifications were not available in his file. Therefore, Mr. Mukesh Chandra Sharan was requested to submit the same by you, but till date he has not submitted same.

Besides, at the time of his joining to the position of SPM-MF, Mr. Mukesh Chandra Sharan had furnished information in his resume as under:-

"I have 2 years of work experience with an in institution in Gaya called "Oxbridge" but he did not submitted related experience certificate at the time of joining but his joining was allowed on position of SPM-MF and even his salary fitment was done by fitment committee on the basis of said undertaking without verifying the document.

Later on, CAG in its report asked for the certificate experience related to Oxbridge as claimed by Mr. Mukesh Chandra Sharan, SPM-MF, then Mr. Sharan submitted the same wherein period of his experience with Oxbridge has been mentioned November, 1995 to June, 1998 (2 years 8 Months) that is serious mismatch from his claim in his resume. Besides, no designation has been mentioned in his experience certificate. Further, period of his experience coincides with his years of full time graduation.

Above mentioned facts are of very serious nature which involves huge financial implications.

Being submitted for necessary guidelines pls.

(Anand Shankar)
SPM-HRD

Director

Your above note
In my view, the difference in his statement at 'A' above and the certificate produced by him ('B' above) do not affect his claim negatively because the

दूध पानी का पानी हो सके और दोषियों पर उचित, विधि सम्मत कार्रवाई किया जा सके। इसी सोच के साथ जब एक निष्पक्ष पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए उक्त सभी प्रश्नों के जवाब लेने हेतु हम दिनांक 10 अगस्त 2023 को बिहार जीविका के राज्य कार्यालय में दोपहर के लगभग 3:00 बजे पहुंचे और जीविका के सीईओ राहुल कुमार से मिलने हेतु उनके पी. ए. के पास अपना विजिटिंग कार्ड दिया । हमारा विजिटिंग कार्ड जैसे ही अंदर तक जाता है तुरंत एक मिनट से भी कम समय में हमें यह बता दिया जाता है की जीविका के सीईओ राहुल कुमार जी हम लोगों से नहीं मिलेंगें । हमने उनके पी. ए. से बहुत आग्रह किया फिर भी वह नहीं माने । उसके बाद हमने फोन के माध्यम से भी सीईओ राहुल सर से संपर्क करना चाहा, व्हाट्सएप पर भी अनुमति मांगीं परंतु ना तो सीईओ राहुल कुमार ने हमारा फोन उठाया ना हीं हमारे मैसेज का कोई जवाब दिया, तब अंत में हम उनके पी. ए. साहब को अपना नाम और नंबर लिखा कर वहां से विदा लिया और उनसे आग्रह किया कि हमें जीविका के सीईओ राहुल सर से कुछ देर का समय दिलवाने की कृपा करें ताकि हम उपरोक्त मामले संबंधी प्रश्न पूछ कर उसे इस खबर का हिस्सा बना सकें। परंतु इस संबंध में खबर लिखे जाने तक हमारे पास कोई भी ना तो कॉल, ना मैसेज, ना कोई इनफॉरमेशन आ पाया।

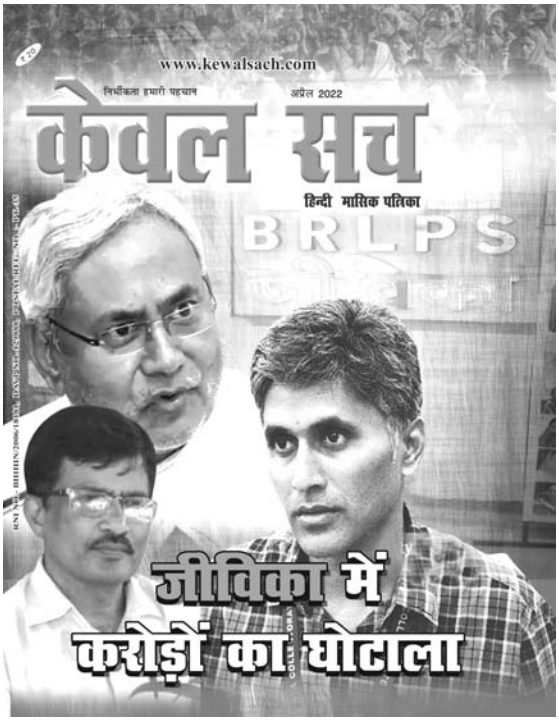

जीविका के सीईओ राहुल कुमार के ना मिलने पर हम जीविका के डायरेक्टर श्री राम निरंजन सिंह जी से मिले । स्वभाव से काफी सरल अत्यंत विनम्र व्यक्तित्व वाले राम निरंजन सिंह जी ने भी उक्त प्रश्नों के जवाब देने में असमर्थता जताई और कहा की इन सभी प्रश्नों के जवाब देने हेतु वह अधिकृत नहीं हैं। और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से यह भी बताया कि इन प्रश्नों के जवाब देने के अधिकृत जीविका में केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है सीईओ राहुल कुमार।

इन सभी घटनाओं से एक स्पष्ट बात तो निकल कर सामने आती है जीविका के अधिकारी केवल सच के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर उनके पास हमारे प्रश्नों के कोई जवाब हैं ही नहीं। हमने पहले भी कई बार जीविका के अलग-अलग राज्य परियोजना प्रबंधकों से सवाल पूछे हैं परंतु आज तक किसी ने भी केवल सच के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है।●

दोषी महिला पर्यवेक्षिका पर डीपीओ रीना कुमारी इतना मेहरबान क्यों?

● ललन कुमार

बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाल विकास परियोजना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों का शुरू से ही विवादों से नाता रहा है। बात आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण की हो अथवा टी.एच.आर वितरण की हो, सब कुछ मैनेज कर ही चलाया जाता है। इसी प्रकार इसी विभाग में सर्वाधिक धांधली आंगनवाड़ी सेविका के चयन में पाया जाता है। बात जब बाल विकास परियोजना से बाहर निकल कर जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी तक चली जाती है तब ही सभी मामले की असलियत सामने आती है। आंगनवाड़ी सेविका बहाली के एक मामले में अस्थावा प्रखंड के महमदपुर पंचायत अंतर्गत केंद्र संख्या 156 तथा वार्ड संख्या 09 से संबंधित है। जिसमें महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती के द्वारा नाजायज राशि लेकर कम प्राप्तांक वाली महिला को आंगनबाड़ी सेविका बना दिया गया। जब अधिक अंक वाली आवेदिका अंशु कुमारी के द्वारा इस मामले को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तक ले जाया गया तो जांच में इसका खुलासा हुआ की महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती के द्वारा कम प्राप्तांक वाली आवेदिका के अंको को बढ़ाकर तथा अधिक अंक वाली उम्मीदवार अंशु कुमारी के अंकों को घटाकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। वास्तव में

रीना कुमारी
डीपीओ, आईसीडीएस, नालंदा

इस केंद्र पर पर्यवेक्षिका के द्वारा मोटी राशि लेकर कम अंक वाली आवेदिका अनुराधा कुमारी को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में चयन कर लिया गया। जब द्वितीय स्थान की आवेदिक अंशु कुमारी के द्वारा इस संबंध में उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई तो मामले की जांच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अस्थावा के द्वारा की गई। जांच में यह बात सामने आया कि अनुराधा कुमारी के कम प्राप्तांक रहने के बावजूद उसका अंक पत्र से छेड़छाड़ कर अंको में वृद्धि की गई है। जबकि दूसरे आवेदिका के अधिक अंक रहने के बावजूद उसके अंक पत्र में छेड़छाड़ कर उसे घटा दिया गया है। मामले में पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का उजागर हुआ। अस्थावा परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 156 पर सेविका चयनप्रक्रिया को गलत ठहराते हुए, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रीना कुमारी आपिलवाद संख्या 13 के आदेश में स्पष्ट रूप से चयनित सेविका अनुराधा कुमारी को चयन रद्द करने तथा दोषि महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभागीय पत्रांक 1846 दिनांक 10.06.2010 कि कंडिका (14)के आलोक में अनुबंध की समाप्ति का प्रस्ताव अविलंब उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया था। चयनित सेविका अनुराधा कुमारी

का चयन तत्काल रद्द कर दिया गया ,लेकिन दोषी महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती पर अब तक ना तो प्राथमिकी दर्ज हुआ ना ही विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किया गया,जबकि आदेश निर्गत हुई नौ माह से अधिक समय बीत गया। उक्त मामले कि सत्यता जानने के लिए केवल सच पत्रिका की टीम विभागीय कुछ पुरुष व महिला कर्मियों से मिलकर बात की तो मेरा नाम नहीं छपने की शर्त पर डीपीओ कार्यालय नालन्दा में व्याप्त भ्रष्टाचार की सारी बाते कह सुनाई । जैसे चावल घोटाला ,सेविका/ सहायिका का चयन, किसी कर्मी का पुन निर्योजन हो,सीडीपीओ का अतिरिक्त प्रभार का मामला एवं अन्य कोई मामला हो केवल शर्त यही है कि आप मुंह मांगी राशि देने के लिए तैयार रहे ,काम आपका हो जायेगा। यह भी जानकारी मिली की दोषि महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती और जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (रीना कुमारी)के बीच मोटी राशि के आधार पर मामला को दबाकर रफा दफा कर दिया जायेगा। यह भी बात उजागर हुआ की शुभोपम भारती एक रसूखदार महिला पर्यवेक्षिका है, ऐसे ही नहीं डीपीओ मैडम मेहरबान रहती है, नौ माह बीत जाने के उपरान्त किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना इस विभाग में एक अलग तरह की पहचान स्थापित करता है। इन सब कारणों के आधार पर अब तक महिला पर्यवेक्षिका शुभोपमा भारती अब भी अपने कार्य पर बनी हुई है और नियमित वेतन मिल भी रहा है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा नहीं माना जाता है या यह भी कहा जा सकता है की एक भ्रष्ट पदाधिकारी की बात कौन अम्ल में लता है। लोगों का यह भी कहना है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी किसी लालचवश महिला पर्यवेक्षिका को बचाने में जुटी हुई है। अब तो इस मामले मे जिला पदाधिकारी तथा विभाग के उच्चाधिकारियों के पास या न्यायालय में जाने पर ही आवेदिका अंशु कुमारी को न्याय मिलने की उम्मीद है।●

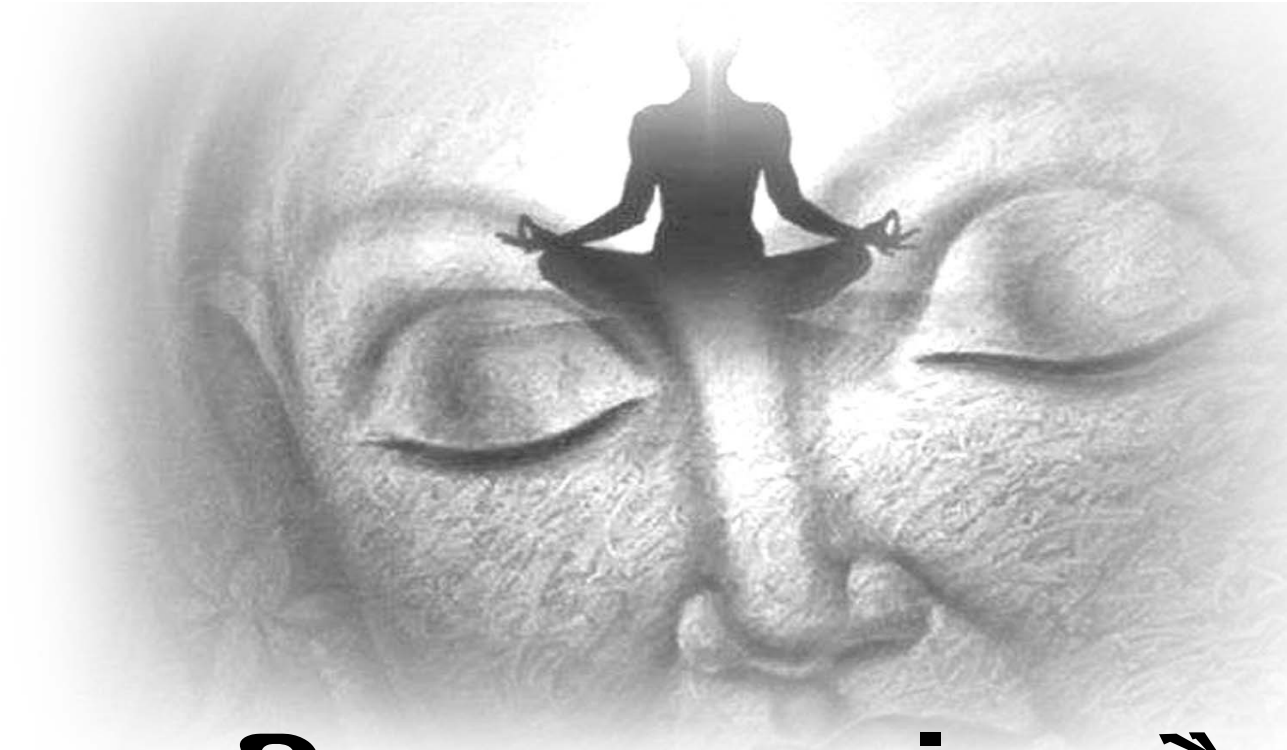

आत्मचिन्तन, आत्म मंथन और आत्म मार्गदर्शन

● हुक्मदेव नारायण यादव

राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्रिय बन्धुओं को सप्रेम नमस्कार, मैं एक वरिष्ठ नागरिक के हैसियत से निवेदन कर रह हूँ। 1960 से अब तक के राजनीतिक यात्रा में बहुत कुछ देखा है, सुना है और सहा है। समाज को रूपान्तरित होते देखा हैं। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक शोषण को देखा है। उस शोषण के विरूद्ध लड़ने वाले संग्राम से जुड़ा रहा हूँ। अपनों का प्यार और सम्मान के साथ पराये का अपमान को भी देखा है। फिर अपनों के द्वारा किये गये अपमान को भी सहा है और प्रहार को झेला है। उसी तरह पराये और विरोधियों के सम्मान और सहयोग को भी देखा है। नई पीढ़ी के लोगों को इतिहास को पढ़ना चाहिए। अपने पूवर्जों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उससे प्रेरणा मिलेगी। जानने का प्रयास करना चाहिए कि निर्धनता में रहते हुए कमजोर और कम संख्या वाली जाति में जन्म लेने वाले भी कैसे महान बने थे और बिहार का नेतृतव किये थे। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे लोग हुए है। पिछड़े वर्ग और दलित समाज में एक दोष है कि वे अपने पूर्वजों की पूजा करना नहीं जानते। थोड़ी सी सम्पन्नता आ जाने पर अपने पूर्वज से ही नाता तोड़ लेते है। इस हीन भावना से बाहर निकले। अपने पूर्वजों पर गर्व करें। भारत में बसने वाले सभी जातियों के पूर्वजों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। सभी प्राचीन ग्रन्थों और धार्मिक ग्रन्थों में उनकी कहानी मिल जाएगी। उन्हें उसको पढ़ना चाहिए और अपने पूर्वजों की महानता पर गर्व करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके गुणों और आर्दशों का अनुकरण, अनुशरण और अनुपालन करना चाहिए। लोकतंत्र तर्क से चलता है। तर्क का आधार विद्या, बुद्धि, ज्ञान, अध्ययन, शालीनता और सदाचार होता है। क्या नई पीढ़ी के लोग इस पर चिन्तन करेगें? पिछड़े और दलित वर्ग में जन्म लेने वालों ने भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। आज हम अपने को उनके वंश का मानते है परन्तु उनके गुणों का अनुकरण नहीं करना चाहते हैं। क्या नई पीढ़ी के लोग उन गुणों का अनुकरण और अनुशरण कर उन्ही के जैसे राष्ट्र पुरूष बनना चाहते है अथवा अंध जातिवाद और अंध स्वार्थवाद में फंसकर अपने समाज को अज्ञानता के अन्धकार में भटकने के लिए छोड़ देना चाहते हैं। इतिहास चक्र के अनुसार सभी को अवसर मिलता है।

बिहार में पिछले 33 वर्षों से पिछड़ों

के हाथ में शासन रहा है। सबसे लम्बे समय से श्री नीतिश कुमार का शासन चल रहा है। खिलाड़ी बदलता है परन्तु खेल और कप्तान नहीं बदलता है। एक ही कप्तान चालाकी से अथवा खिलाड़ियों की मजबूरी का लाभ उठाकर दोनो पक्ष का कप्तान बनते रहे हैं। समय के अनुसार सभी पक्षो के खिलाड़ी कप्तान का गुणगान और निंदा करते रहे है। अभी भी खेल जारी है। कब तक यह खेल जारी रहेगा यह ईश्वर जाने। युवा में चेतना आये और वे अपने को अंध जातिवाद, अंध व्यक्तिवाद तथा अंध परिवारवाद से मुक्त करे। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, पक्षपातवाद और व्यक्तिवाद के विरूद्ध लड़ने वाले भी सत्ता पाने के बाद उसी दलदल में धँस गये। जाति के कल्याण का नारा लगाया, समता समाज का आदर्श दिखाया और सत्ता पाने के बाद उसी दलदल में धंसते चले गये। विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्य सभा और दल के प्रधान पदों पर एक ही परिवार के लोग कैसे विराजमान हो गये। अंध जातिवाद के नाम पर उनकी जाति के कुछ सत्ता के दलालों ने अपने नीजी स्वार्थ के लिए जाति के लोगो को अन्धा बनाकर रखा। सभी का खेल देखते आ रहे हैं। इसी बिहार में स्व० कर्पूरी ठाकुर जी पैदा हुए थे। सर्वसमाज के कुछ लोग उनके सहयोगी बने थे। वे समदर्शी बन कर समता समाज के दर्शन के अनुसार काम करने वाले थे। उस युग में सभी जाति और सभी दल में दो-चार ऐसे महान लोग हुए थे। हम उन्हें भूल गये। कारण वे राष्ट्रवादी, समाजवादी और लोकतंत्रवादी थे। गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, किन लोगों के कारण हुयी और किस कारण हुयी, इसकी खोज करने की आवश्यकता है।

संविधान के प्रस्तावना का प्रारम्भ होता है "हम भारत के लोग'' से। उसके अनुसार समता लाना है। संविधान का अर्थ होता है सम-विधान। अर्थात् राष्ट्र में समता लाना है। विषमता मिटेगी तो समता आयेगी। विषमता को खोजना होगा। जन्म, और अर्थ के आधार पर जो विषमता है, वहीं सबसे बड़ा कारण है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिक में "हम भारत के लोग'' का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है या नहीं? यदि नही तो पिछड़ा और दलित के नाम पर राजनीति करने वाले इसको बदलना क्यों नहीं चाहते है? इसका कारण है कि विषमता का आधार जन्म और अर्थ है। परिवर्तन चाहने वाले जानते है कि सभी जगह वंशवाद और जातिवाद है। उसको मिटाये बिना समता समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। परन्तु जब परिवर्तन का नारा देने वाले ही जतिवादी और वंशवादी बनकर पूँजीवादी व्यवस्था का अंग बन जाते है, तब कौन क्या करेगा? हाँ युवा पीढ़ी के लोग चिन्तन और मनन करे, अध्ययन करे और सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का विजय पताका फहरावे। न्यायपालिका और कार्यपालिका में भी "हम भारत के लोग'' की छवि दिखाई पड़े, इसके लिए एकजुट होकर संघर्ष करे या तो संस्था स्वयं ही अपने में परिवर्तन करे। नही तो युवा वर्ग लोकतात्रिंक तरीका से अहिंसक क्रान्ति के द्वारा अपने वोट से केन्द्र में ऐसी सरकार बनाये जो संविधान में संशोधन कर "हम भारत के लोग" वाली तस्वीर सभी संस्थाओ का बना सके। यदि इस परिवर्तन में कोई संस्था बाधक हो तो बालिग मताधिकार के आधार पर "हम भारत के लोग' के आदर्श के अनुसार नये संविधान सभा का गठन हो और नया संविधान बनाया जाए।

अभी बौद्धिक संघर्ष चल रहा है, जो काफी उपर के स्तर पर है। यह बहस गाँव गरीब और किसान के बीच चले। लोक शक्ति का निर्माण हो। लोक जागरण हों। लोक चेतना के द्वारा लोकसत्ता का निर्माण हो। युवा वर्ग के लोग सभी स्तरों पर इस पर बहस करे। भारतीय राजनीति के ध्रुवीरकण के वर्तमान स्थिति का व्यापक विश्लेषण करे। लोहिया ने कहा था जिन्हे क्रान्ति चाहिए वे कमजोर, निंबल और असंगठित है। जो सबल है उन्हे क्रान्ति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ''हम भारत के लोग" अपने वोट की क्रान्ति के द्वारा दिल्ली में ऐसी सरकार बना सकते हैं जो यह सब कर सके। दुनियाँ में कई तरह की क्रान्ति हुयी है, परन्तु डॉ० लोहिया ने कहा था भारत की क्रान्ति सबसे अलग तरीके की होगी। गाँधी, लोहिया, अम्बेडकर और दीन दयाल के आदर्शों के अनुसार नये भारत के निर्माण के लिए उसी अभिनव क्रान्ति की आवश्यकता है। नेता भी सही मिला है, नीति भी सही है और नेता की नीयत भी सही है।

अब केवल आवश्यकता है कि युवा पीढ़ी सभी ममता और मोह को छोड़कर खड़े हो जाए। भारत के रूपान्तरण की प्रक्रिया में गतिशीलता लाने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह करे। भारत को विश्व में महानता के शिखर पर पहँचा कर सम्पूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शक बनें। भारतीय संस्कृति के आधार शिला पर विश्व में नयी संस्कृति का निर्माण करे। इस राह के राही की विशेष जिम्मेदारी है। ●

(लेखक पूर्व संसद सदस्य, पूर्व केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हैं।)

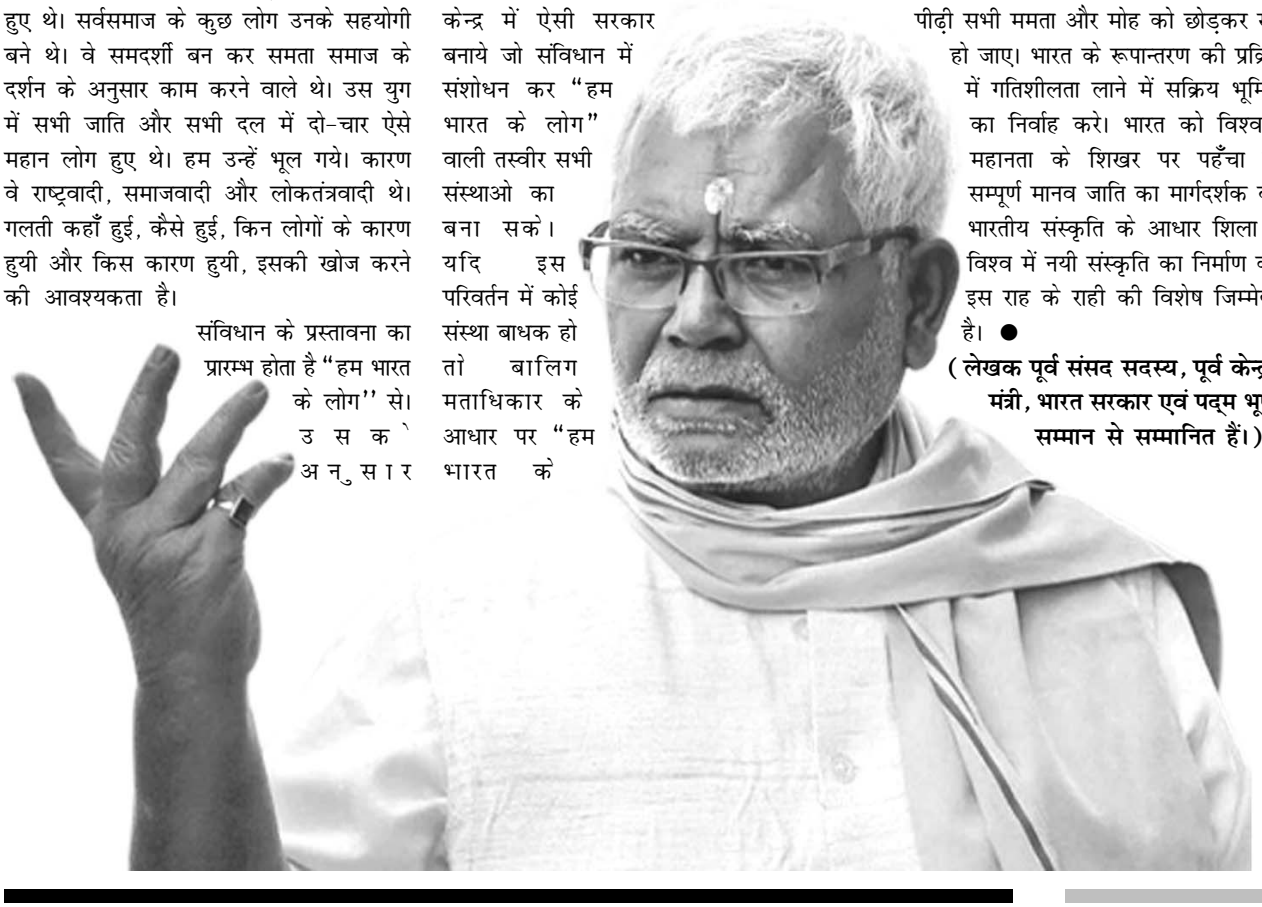

सत्य का क्षरण

राजनीतिक समाचारों से जुड़ा कलंक और पत्रकारिता पर इसका प्रभाव

सूचना अधिभार और तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण के प्रभुत्व वाले युग में, पत्रकारिता के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दुर्भाग्य से, एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति सामने आई है : राजनीतिक समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक कलंक बन गए हैं। इस घटना की विशेषता उन पत्रकारों की निरंतर जांच है जो राजनीतिक मामलों पर सच्चाई से रिपोर्ट करते हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष दूसरे पर पक्षपात करने और तथ्यों को विकृत करने का आरोप लगाता है। यह लेख इस परेशान करने वाली प्रवृत्ति की उत्पत्ति और परिणामों पर प्रकाश डालता है, पत्रकारों, समग्र रूप से पत्रकारिता और अंततः जनता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों की खोज करता है।

☞ **ध्रुवीकरण का उदय और पत्रकारिता पर इसका प्रभाव :-** राजनीतिक समाचारों में मौजूदा संकट की जड़ें समाज के बढ़ते ध्रुवीकरण में छिपी हैं। जैसे-जैसे वैचारिक विभाजन गहराता जा रहा है, व्यक्ति अपने विश्वासों में और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं और ऐसे समाचार स्रोतों की तलाश कर रहे हैं जो उनके पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों से मेल खाते हों। यह घटना, जिसे आमतौर पर "पुष्टिकरण पूर्वाग्रह" के रूप में जाना जाता है, ने प्रतिध्वनि कक्षों और फिल्टर बुलबुले का निर्माण किया है, जहां लोग समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से घिरे होते हैं और असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण से बचाए जाते हैं।

"पत्रकार सत्य की खोज में अपनी स्वतंत्रता और अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, फिर भी सराहना के बजाय, उन्हें अक्सर संदेह और संदेह का सामना करना पड़ता है, जो समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को कमजोर करने का एक रणनीतिक कदम है।" बदले में, पत्रकार अक्सर इस विभाजनकारी परिदृश्य की गोलीबारी में फंस जाते हैं। राजनीतिक मामलों पर रिपोर्टिंग करते समय, उन्हें अपने लक्षित दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि कोई पत्रकार एक सच्चा विवरण प्रस्तुत करता है जो एक पक्ष की पूर्वकल्पित धारणाओं को चुनौती देता है, तो उन पर पक्षपात का आरोप लगने या यहां तक कि व्यक्तिगत हमलों का सामना करने का जोखिम होता है। यह दमघोंटू माहौल पत्रकारिता की अखंडता के लिए हानिकारक है और इसके मूल उद्देश्य को कमजोर करता है: जनता को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना।

☞ **धारणा समस्या : पत्रकारों, पत्रकारिता और जनता के लिए एक नुकसान :-** राजनीतिक समाचारों से जुड़े कलंक का प्रभाव कई हितधारकों के लिए कई गुना और हानिकारक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पत्रकारों को अपने पेशे को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करता है। प्रतिशोध का डर या जनता का विश्वास खोने से पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों से समझौता करते हुए आत्म-सेंसरशिप हो सकती है। यदि पत्रकारों को विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों पर सटीक रिपोर्टिंग करने से हतोत्साहित किया जाता है, तो जनता सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ जानकारी तक पहुंच खो देती है।

"पत्रकार, अपनी अमूल्य सेवा के बावजूद, खुद को आलोचना और जांच का निशाना पाते हैं, भले ही उनका नाम अमीरों और शक्तिशाली लोगों की सूची से गायब हो।" इसके अलावा, यह प्रवृत्ति मीडिया में जनता के विश्वास को कम करती है। जब लोग मानते हैं कि पत्रकार पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं, तो समग्र रूप से पत्रकारिता की विश्वसनीयता कम हो जाती है। ऐसे युग में जहां गलत सूचना और दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर होता है, विश्वास की यह हानि समाज को और अधिक खंडित करती है, जिससे आम जमीन स्थापित

करना और रचनात्मक बातचीत में शामिल होना कठिन हो जाता है।

☞ **जिम्मेदारी की भूमिका: ईमानदार पत्रकारिता को पहचानना और उसका समर्थन करना :-** संदेह और अविश्वास की संस्कृति को कायम रखने के बजाय, उन पत्रकारों की पहचान करना और उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। पत्रकारिता की अखंडता और पेशेवर नैतिकता के पालन का जश्न मनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गुण विश्वसनीय और जवाबदेह रिपोर्टिंग का आधार बनते हैं। पत्रकारों के प्रयासों को मान्यता देकर, जो आख्यानों पर तथ्यों को प्राथमिकता देते हैं, समाज एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे सकता है जो जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और उद्देश्यपूर्ण जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देता है।

"जिम्मेदार पत्रकारिता पत्रकारों और जनता दोनों से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। सत्य के प्रति प्रतिबद्ध पत्रकारों का समर्थन करके और कई दृष्टिकोणों से जानकारी का मूल्यांकन करके, हम विभाजन को पाट सकते हैं और उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग के माहौल को बढ़ावा दे सकते हैं।" इसके अलावा, राजनीतिक समाचारों से जुड़े कलंक से निपटने में समाचार उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल पूर्वकल्पित धारणाओं की पुष्टि करने वाले स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय, आलोचनात्मक सोच में संलग्न होना और कई दृष्टिकोणों से जानकारी का मूल्यांकन करना अनिवार्य है। विविध दृष्टिकोणों की तलाश करके और सम्मानजनक प्रवचन में शामिल होकर, व्यक्ति ध्रुवीकरण के प्रभाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ सूचना पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं।

जो लोग पत्रकारों पर पक्षपात करने और बाहरी प्रभावों से आसानी से प्रभावित होने का आरोप लगाते हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन महत्वपूर्ण जोखिमों को भी याद रखें जिनका सामना पत्रकारों को अपना काम करने में करना पड़ता है। पत्रकारिता एक खतरनाक पेशा हो सकता है, दुनिया भर के पत्रकार सच्चाई को उजागर करने और जवाबदेह होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सत्य का साहसपूर्ण अनुसरण करने के कारण कई पत्रकारों को उत्पीड़न, शारीरिक हमलों और यहां तक कि हत्या का भी सामना करना पड़ा है। हिंसा के ये कृत्य न केवल समाज से मूल्यवान आवाजों को छीनते हैं बल्कि भय और धमकी का माहौल भी बनाते हैं जो सूचना के मुक्त प्रवाह को बाधित करता है। सत्य की निरंतर खोज में पत्रकारों द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करना और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने और जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना आवश्यक है।

कुल मिलाकर यह कह सकते है कि आज के दौर में राजनीतिक समाचारों से जुड़ा कलंक पत्रकारों, पत्रकारिता और जनता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जैसे-जैसे वैचारिक विभाजन गहराता जा रहा है और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह पनप रहा है, पत्रकार खुद को विश्वसनीयता की निरंतर लड़ाई के बीच में पाते हैं। हालाँकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से पक्षपाती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो जनता को सूचित करने और सशक्त बनाने का कार्य करता है। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर जो सत्य और अखंडता को महत्व देता है, इन सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध पत्रकारों का समर्थन करता है, और सक्रिय रूप से जिम्मेदार समाचार उपभोग में संलग्न होकर, हम इस कलंक के हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार करना शुरू कर सकते हैं और राजनीतिक पत्रकारिता में विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। केवल ऐसा करके ही हम सूचित सार्वजनिक चर्चा और अधिक एकजुट समाज को सुविधाजनक बनाने में पत्रकारिता की आवश्यक भूमिका को बहाल कर सकते हैं। ●

न्याय, न्यायालय और न्यायाधीश भी हैं, वगैर पैसे वाले कैसे पहुंचे?

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

यह एक तथ्य है कि पहला न्यायालय थाना होता है,जो चाहे तो प्रथम स्तर पर ही फैसला कर दोषी कौन है और निर्दोष कौन है जांच कर फैसला कर सकता है तथा निर्दोष को जेल नहीं भेज सकता है। छोटे-मोटे विवाद, पति-पत्नी का झगड़ा ,माता- पिता पुत्र का झगड़ा ,भाई-भाई का झगड़ा ,पड़ोसी का झगड़ा, गली नाली का झगड़ा आदि थाना से ही समझा-बुझाकर या डांट फटकार कर समाप्त कर दे सकता है। किंतु यही मुकदमा जब न्यायालय में पहुंचता है तो सच साबित करने में 10 साल, 20 साल लग जाता है। फिर भी गवाह के अभाव में सच्चाई नहीं भी मिल सकता है। अधिकांश गवाही झूठा होता है झूठे गवाही के आधार पर फैसला देना पड़ता है जिसके कारण निर्दोष को सजा मिल जाती है तथा दोषी निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर निकल जाता है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो दाने-दाने को मोहताज है उसे जेल भेज दिया जाता है, वह न्यायालय कैसे पहुंचे ,न्यायालय जाने के लिए

पैसे की आवश्यकता होती है। गाड़ी भाड़ा से लेकर वकील को देने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने पुलिस के सभी अधिकारियों से कहा है कि निर्दोष एवं गरीब को जेल भेजने से पहले एक हजार बार सोंचना चाहिए। निर्दोष को जेल भेजने वाले पुलिस अधिकारियों को मंदिर और मस्जिद जाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में भारी बदलाव की जरूरत है ताकि सबको सही रूप में न्याय मिल सके। आज पूरी दुनिया के साथ भारत में भी अगर कोई चीज सबसे महंगी है तो न्याय ही है। गरीबों के लिए न्याय प्राप्त करना आकाश के तारे तोड़ना जैसा है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि बहुत निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं पुलिस गलत केस को रोके? डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कहा बताया जाता है कि आज लाखों निर्दोष लोग जेल में हैं। सीआईडी विभाग से जांच करवा कर जेल से सभी निर्दोष लोगों को रिहा कर देना चाहिए। ●

एक ऐसे प्रधानमंत्री, जिन्हे मकान मालिक ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ लक्ष्मी नारायण सिंह पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि अपने देश एक ऐसे प्रधानमंत्री मंत्री थे जिन्हें जानकारी के अभाव में 94 साल के एक बूढ़े व्यक्ति को मकान मालिक ने किराया न दे पाने के कारण मकान से निकाल दिया। बूढ़े व्यक्ति के पास एक पुराना बिस्तर, कुछ एल्युमीनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई और सामान था। बूढ़े ने मालिक से किराया देने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आयी और उनके कहने पर मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए उस बूढ़े आदमी को कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए मना लिया। वह बूढ़ा आदमी अपना सामान अंदर ले गया। रास्ते से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुक कर यह सारा नजारा देखा। उसने सोंचा कि यह मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयोगी होगा। उसने एक शीर्षक भी सोच लिया, "क्रूर मकान मालिक, बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है।" फिर उसने किराएदार बूढ़े की और किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी ले लीं। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा, कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है? पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं"। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधान मंत्री किराया नहीं दे पाने के कारण

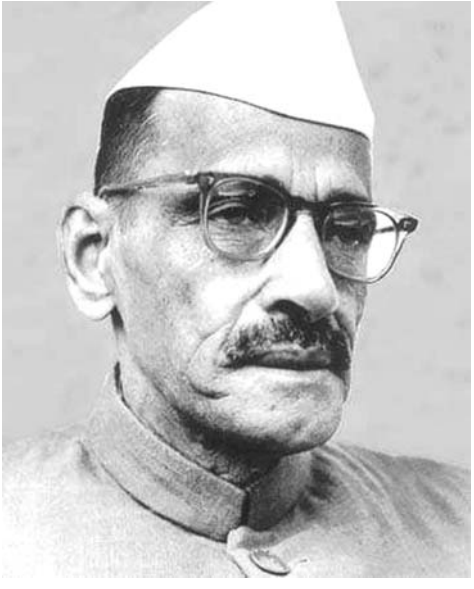

कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया।

टिप्पणी की थी कि आजकल फ्रेशर भी खूब पैसा कमा लेते हैं। जबकि एक व्यक्ति जो दो बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं? दरअसल गुलजारीलाल नंदा को वह स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण रु. 500/- प्रति माह भत्ता मिलता था। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस पैसे को भी अस्वीकार कर दिया था, कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। बाद में दोस्तों ने उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया कि उनके पास जीवन यापन का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अत: वो इसी पैसों से वह अपना किराया देकर गुजारा करते थे। अगले दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआइपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी हैं जो दो दो बार भारत के पूर्व प्रधान मंत्री रह चुके हैं। मकान मालिक अपने दुर्व्यवहार के लिए तुरंत गुलजारीलाल नंदा जी के चरणों में झुक गया। अधिकारियों और वीआईपीयों ने गुलजारीलाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्री गुलजारीलाल नंदा ने इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम, यह कह कर उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अंतिम श्वास तक वे एक सामान्य नागरिक की तरह, एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बन कर ही रहे। 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व एच डी देवगौड़ा के मिले जुले प्रयासों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पिछले 10 जून को उनकी 26 वीं पुण्यतिथि थी, पर शायद किसी व्यक्ति को स्मरण रहा हो। भारत में ऐसे भी प्रधानमंत्री थे।●

चिप लगाकर तीन वर्ष तक गर्भाधान रोकने की तैयारी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

बांह में चिप जैसा पालीमर कैप्सूल इप्लांट कर महिलाओं का गर्भधारण रोकने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने गर्भधारण के इस आसान व अत्याधुनिक साधन को उपलब्ध कराने के लिए शेखपुरा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। तीन माह बाद इंप्लांट निशुल्क शुरू हो जाएगा ।इसे बांह में इंप्लांट करने पर तीन वर्ष तक महिला गर्भवती नहीं हो सकती। चिप लगाने की प्रक्रिया को सबडर्मल सिंगल राड कहते हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली का एयरोसिटी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। बताया जाता है कि सबडर्मल सिंगल राड इंप्लांट कारगर गर्भ-निरोधक है। माचिस की तिल्ली से भी छोटा और कम मोटाई वाला एक चिप जैसा पालीमर कैप्सूल महिला की बाह के त्वचा के नीचे और मांस से पहले इंजेक्शन के माध्यम से लगा दिया जाएगा। यह चार सेंटीमीटर लंबा और दो एमएस मोटा होता है। इससे धीरे-धीरे रिसने वाले प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन से महिला में अंडाणु बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे वह गर्भवती नहीं होती है। इसे निकाल देने के बाद महिला पुन: गर्भधारण कर सकती है। इस तकनीक को परिवार नियोजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बताया जाता है कि विदेशों में काफी सफल सिद्ध हुआ है।●

डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर अवैध रूप से चल रहा था महावीर अल्ट्रासाउंड

● मनीष कमलिया/कृष्णा कुमार चंचल

नवादा जिले के हिसुआ नप क्षेत्र के नरहट रोड स्थित महावीर अल्ट्रासाउंड अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था । गलत रिपोर्ट के बाद हिसुआ थाना में आवेदन दिए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि मेसकौर थाना क्षेत्र के चोराबारा ग्राम निवासी रामप्रवेश कुमार ने हिसुआ थाना में आवेदन देकर कहा कि उनकी बहन पार्वती कुमारी का अल्ट्रासाउंड कराया गया था जिसमें गर्भवती बताया गया ,लेकिन दूसरे अन्य जगह जब जांच कराया तो रिपोर्ट गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा इसके गलत रिपोर्ट से हमारे परिवार पर मानसिक और आर्थिक क्षति हुआ है। हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और हमें बदनामी भी सहना पड़ा। परिवार के लोगों के साथ विवाद हो गया।

☞ **डॉक्टर न रखकर अप्रशिक्षित संचालक देते हैं गलत रिपोर्ट** :- महावीर अल्ट्रासाउंड में चिकित्सक और प्रशिक्षित लोग को न रखकर एक व्यक्ति गौतम कुमार द्वारा गलत रिपोर्ट दिया जाता है। जिस कारण कई बार तू -तू मैं- मैं होते रहा है। गलत रिपोर्ट दिए जाने से कई लोगों के साथ परेशानी हुआ है।

☞ **युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार** :- पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर हिसुआ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अक्षय कुमार बताया गया है। पुलिस इस बाबत आरोपी से गहन पूछताछ किया और 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया।

☞ **24 घंटे के हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद थाने से हुआ मामला रफादफा** :- बता दें कि पीड़ित परिवार द्वारा हिसुआ थाने में दिए आवेदन के बाद गिरफ्तार संचालक को 24 घंटे तक कस्टडी में रखा गया। उसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। कई सफेदपोश बीच बचाव में आगे आए। अंततः 5 अगस्त को रात्रि में आवेदक को मोटी रकम देकर मैनेज किया गया और थाने में दिया आवेदन वापस कराकर मोटी डील के बाद मामला रफादफा कर दिया गया।

☞ **सिविल सर्जन ने दिया कार्रवाई करने का आदेश** :- नवादा सिविल सर्जन रामकुमार प्रसाद ने पत्रांक संख्या 2250 एवं दिनांक 04/08/023 पत्र जारी कर अल्ट्रासाउंड संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। चिकित्सक डॉ. कन्हैया कुमार को लिखे पत्र में कहा गया कि प्रपत्र में जांच में स्पष्ट हुआ है कि चिकित्सक का हस्ताक्षर गलत है और फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। उन्होंने चिकित्सक से स्पष्टीकरण की मांग किया और जांच के बाद अल्ट्रासाउंड का लाईसेंस रद्द करने की बात कही है। ●

Office of The Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Nawada
कार्यालय-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा
सदर अस्पताल, नवादा – 805110
Sadar Hospital, Nawada- 805110
Phone : 06324-217679, Mob. No.-9470003536, E-mail : csnawada@gmail.com

बिहार सरकार   बिहार सरकार

ज्ञापांक 2250 / नवादा , दिनांक 04/08/2023

प्रेषित ,
डा0 कन्हैया कुमार
श्री महावीर अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर
स्टेशन रोड , ~~नवादा~~ हिसुआ, नवादा

विषय :- पी0सी0एण्ड पी0एन0डी0टी0 अधिनियम-1996 के अंतर्गत अभिलेख का उपस्थापन करने के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि पी0सी0एण्ड पी0 एन0 डी0टी0 अधिनियम-1994 के अंतर्गत संचालित अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर में निम्नलिखित अभिलेखों का संधारण किया जा रहा है यथा- (1)फॉर्म-एफ0 (11) ओ0पी0डी0 पंजी का संधारण (3)रसीद का संधारण (4) लिंग-भ्रूण-परीक्षण जॉच नहीं करने से सम्बन्धित प्रदर्शन करना आदि-आदि । फॉर्म-एफ0 माह जून,23 का समर्पित किया गया है । प्रपत्र के जॉच में स्पष्ट हुआ है कि चिकित्सक का हस्ताक्षर गलत है और फर्जी हस्ताक्षर किया गया है । जो नियम के विरूद्ध है ऐसी स्थिति में आपका निबंधन क्यों नहीं रद्द करते हुए अग्रत्तेर कारवाई किया जाय ।

अतएव, सूचित किया जाता है कि सभी अभिलेख के साथ स्वयं चिकित्सक उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे ताकि अग्रत्तेर कारवाई का निर्णय लिया जा सके । 04/08/2023

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य
चिकित्सा पदाधिकारी , नवादा ।